



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082023-248424
CG-DL-E-29082023-248424

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]
No. 208]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 2023/भाद्र 6, 1945
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 2023/Bhadra 6, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

(अंतिम जांच परिणाम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2023

ओआई मामला सं. - 10/2022

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच की मोटाई और 0.4 वर्गमीटर या उससे कम के क्षेत्रफल वाले घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/10/2022-डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

1. यतः सेफ्टी/स्पेशलिटी ग्लास प्रोसेसर की एक एसोसिएशन दि फेडरेशन ऑफ सेफ्टी ग्लास (एफओएसजी) (जिसे आगे 'आवेदक एसोसिएशन' भी कहा गया है) ने अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार मैसर्स जीएससी ग्लास (पी) लिमिटेड और मैसर्स टीपीआरएस एंटरप्राइजेज (जिन्हें आगे 'घरेलू उद्योग' भी कहा गया है) की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे 'संबद्ध देश' देश कहा गया है) से "1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच की मोटाई और 0.4 वर्गमीटर या उससे कम के क्षेत्रफल वाले घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास" (जिसे आगे 'संबद्ध वस्तु' भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।
2. और यतः प्राधिकारी ने आवेदक एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022, अधिसूचना सं. 6/10/2022-डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि उक्त संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाये तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है।
 - क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरुआत की कार्यवाही से पहले वर्तमान आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
 - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
 - ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात आयातकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदक एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी थी और उनसे विहित समय-सीमा के भीतर अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने का अनुरोध किया था।
 - घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई थी। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित की गई थी।
 - ड. भारत में संबद्ध दूतावास से उनके देश में उत्पादकों/निर्यातकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पदों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी।
 - च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार संबद्ध देश से निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने वाली सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी थी और उन्हें अपने अनुरोध से अवगत कराने का अवसर दिया था।

| | |
|------|--|
| i. | आर्कटुरस ग्लोबल सोर्सिंग एचके कंपनी लिमिटेड; |
| ii. | अरदा (झेजियांग) इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड; |
| iii. | चांगझोऊ फारेन ट्रेड कारपोरेशन; |

| | |
|---------|---|
| iv. | सिक्सी ईस्ट ग्लास कंपनी लिमिटेड; |
| v. | फिन्का इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड; |
| vi. | ग्रैंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड; |
| vii. | गुआंगडोंग गैलान्ज़ माइक्रोवेव ओवन और इलेक्ट्रिकल एप्लायंस कंपनी लिमिटेड |
| viii. | गुआंगडोंग नारदी इलेक एप्लायंस कंपनी लिमिटेड |
| ix. | गुआंगडोंग नारदी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंपनी लिमिटेड |
| x. | आईमार्केट चाइना कंपनी लिमिटेड |
| xi. | काइजिन एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड |
| xii. | एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, चीन |
| xiii. | एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स टियांजिन एप्लायंसेज |
| xiv. | फ़ोशान डिंपल इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड |
| xv. | नारदी ग्रुप लिमिटेड |
| xvi. | न्यूटाइम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड |
| xvii. | निंगबो आर्कटुरस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड |
| xviii. | निंगबो हाईटियन होल्डिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड |
| xix. | ओमिका इंडस्ट्रियल लिमिटेड |
| xx. | सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एच.के. कंपनी लिमिटेड |
| xxi. | शेन्ज़ेन होमी इलेक्ट्रिक कारपोरेशन |
| xxii. | शिपर चाइना बेस्ट होम एप्लायंस कंपनी लिमिटेड |
| xxiii. | शुंडे नेटिव प्रोड्यूस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड |
| xxiv. | सनटाइम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग लिमिटेड |
| xxv. | विनटाइम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड |
| xxvi. | झांगजीयागांग कियानचेन एप्लायंस कंपनी |
| xxvii. | झोंगशान क्यूरिनर्ट इंटेलिजेंट किचन कंपनी लिमिटेड |
| xxviii. | झोंगशान फूडस्टफ्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड |
| xxix. | झोंगशान फूडस्टफ्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, |
| xxx. | झोंगशान फूडस्टफ्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड |
| xxxi. | झोंगशान पुस्डेरी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड |
| xxxii. | झोंगशान साची एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड |
| xxxiii. | झोंगशान सिल्क इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ग्रुप कंपनी लिमिटेड |
| xxxiv. | झोंगशान तियानमेई इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड |

छ. संबद्ध जांच की जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर देते हुए जवाब दिया है:

| | |
|-----|--|
| i. | फ़ोशान शुंडेदेहोंग ग्लास इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड |
| ii. | फ़ोशान वालसिन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस कंपनी लिमिटेड |

| | |
|--------|--|
| iii. | हाल्टेक इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड |
| iv. | झोंगशान हुआंगपु जिनफुलई ग्लास क्राफ्ट फैक्ट्री |
| v. | फ़ोशान डिंपल इलेक्ट्रिक एप्लायंस कंपनी लिमिटेड |
| vi. | डिंपल एचके लिमिटेड |
| vii. | चुझोऊ झिंजियांग ग्लास एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड |
| viii. | फ़ोशान शुंडे गौहुआ ग्लास टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड |
| ix. | झोंगशान कुकिनार्ट इंटेलिजेंट किचन कंपनी लिमिटेड |
| x. | झांगजीयागांग वेइयू ग्लासवेयर कंपनी लिमिटेड |
| xi. | झांगजीयागांग वीयू इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड |
| xii. | वेइकांग (हांगकांग) लिमिटेड |
| xiii. | जियांगयिन सिटी हेंग फेंग प्लास्टिक एंड ग्लास कंपनी लिमिटेड |
| xiv. | स्कॉट ग्लास टेक्नोलॉजीज (सूझोऊ) कं, लिमिटेड |
| xv. | बेनक्सी चेंगसिन चेंगसिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड |
| xvi. | लियानयुंगांग चेंगसिन ग्लास प्रोडक्ट कं, लिमिटेड |
| xvii. | पिंगहु चेंगसिन ग्लास कंपनी लिमिटेड |
| xviii. | जिआंगसु शिउकियांग ग्लासवर्क कंपनी लिमिटेड |
| xix. | जियांगयिन सुइफेंग ग्लास कंपनी लिमिटेड |
| xx. | झांगजीयागांग कियानचेन एप्लायंस कंपनी |
| xxi. | झोंगशान मेयी एप्लायंस कंपनी लिमिटेड |
| xxii. | झोंगशान फूडस्टफ्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड। |

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थी।

| | |
|-------|--|
| i. | ए आर इंटरप्राइजेज |
| ii. | ए.के. इंडस्ट्रीज |
| iii. | एडीएम सोलर पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड |
| iv. | एजीएल इंडिया |
| v. | एल्पेक्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड |
| vi. | एएमजे इंटरप्राइजेज |
| vii. | अंकुर ट्रेडर्स एंड इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड |
| viii. | अविनाश इंडस्ट्रीज |
| ix. | यूरो होम एप्लायंस |

| | |
|--------|--|
| x. | गैस एप्लायंस स्पेयर |
| xi. | ग्लेन एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| xii. | गोल्ड मेडल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| xiii. | ग्रीनशेफ एप्लायंसेज लिमिटेड |
| xiv. | जे.डी. इंजीनियरिंग |
| xv. | मल्टीप्लेक्स एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| xvi. | निमोरो ग्रुप |
| xvii. | श्री बालाजी स्टील्स |
| xviii. | सुपर एलपीजी एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड |

- झ. निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी द्वारा उन्हें जारी प्रश्नावली का उत्तर दिया है:
- सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड
 - ग्लेन एप्लायंसेज प्रा. लिमिटेड
 - व्हेलरपूल ऑफ इंडिया प्रा. लिमिटेड
- ञ. प्राधिकारी ने ऊपर यथाउल्लिखित घरेलू उत्पादकों, ज्ञात उत्पादक/निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं को आर्थिक हित संबंधी प्रश्नावली भी भेजी थी। निम्नलिखित पक्षकारों ने उक्त प्रश्नावली का उत्तर दिया।
- फेडरेशन ऑफ सेफ्टी ग्लास
 - एससीएचओटीटी ग्लास टेक्नोलॉजीज (सूझोऊ) कं., लिमिटेड
 - जिआंगसु शियुकियांग ग्लासवर्क कंपनी लिमिटेड
 - जियानगिन सुइफेंग ग्लास कंपनी लिमिटेड
 - सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ग्लेन एप्लायंसेज प्रा. लिमिटेड
- ट. इसके अलावा, प्राधिकारी ने इस मामले में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) को उक्त प्रश्नावली के अनुसार सूचना देने के लिए आर्थिक हित प्रश्नावली भेजी थी ताकि यदि चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच मोटाई और 0.4 वर्ग मीटन या उससे कम क्षेत्रफल वाले घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाये तो प्रयोक्ता उद्योग पर उसके प्रभाव की मात्रा का आकलन किया जा सके।
- ठ. डीपीआईआईटी ने आगे इस मामले को टिप्पणी हेतु उद्योग के हितार्थियों को भेजा था। तदनुसार, सेंट-गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ सेफ्टी ग्लास (एफओएसजी) से टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं।
- ड. इसके अलावा, निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।

- i. चाइना चैंबर ऑफ कॉमर्स फार इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई)
 - ii. वुहान ग्लासिक्स ग्लासवेयर कंपनी लिमिटेड
 - iii. हाई होप झोंगडिंग कॉर्पोरेशन
- ढ. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (12 माह) की है। क्षति विश्लेषण अवधि में अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019, अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020, अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 और जांच की अवधि शामिल है।
 - ण. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और डीजी-सिस्टम, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदावार ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। सौदों की आवश्यक जांच और अपेक्षित विश्लेषण के बाद डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर विनिर्दिष्ट निर्यातक से निर्यातों की मात्रा के सह संबंध में आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना के लिए और प्रस्तुत उत्तरों की व्यवहार्य सीमा तक वैधता के लिए भरोसा किया गया है।
 - त. हितबद्ध पक्षकारों के साथ 23.11.2022 को एक चर्चा हुई थी जिसमें उन्होंने संबद्ध जांच में पीसीसी के दायरे और पीसीएन की जरूरत संबंधी टिप्पणियां की हैं। की गई चर्चा और उसके बाद प्राप्त अनुरोध के आधार पर प्राधिकारी ने 13.12.2022 को संबद्ध जांच में अपनाए जाने वाले पीसीएन मापदंडों को अधिसूचित किया।
 - थ. आवेदक से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।
 - द. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों के अगोपनीय अंश को उपलब्ध कराया गया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची को डीजीटीआर की वेबसाइट पर उन सभी से इस अनुरोध के साथ अपलोड किया गया था कि वे अन्य सभ हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल को भौतिक रूप में रखना संभव नहीं था।
 - ध. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार भारत ने संबद्ध वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा बेचने की लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। ऐसी क्षतिरहित कीमत पर यह पता लगाने के लिए विचार किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
 - न. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 31.01.2023 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से उनके विचार रखने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने तथा बाद में खंडन अनुरोध प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।
 - प. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों दिये गये तर्कों और जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने की सीमा तक और वर्तमान जांच से संगत समझे जाने पर प्राधिकारी द्वारा उस अंतिम जांच परिणाम में उचित ढंग से विचार किया गया है।
 - फ. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त ऐसी सूचना की सत्यता से स्वयं को संतुष्ट किया है जो इस अंतिम जांच परिणाम का आधार है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का संभव सीमा तथा उनकी संगतता के अनुसार सत्यापन किया है।
 - ब. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार

किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश भी दिया गया था।

- भ. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये अंतिम जांच परिणाम दर्ज किये हैं।
- म. नियमावली के नियम 16 के अनुसार जांच के अनिवार्य तथ्यों का 27 जून, 2023 के प्रकटन विवरण के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों को प्राधिकारी द्वारा संगत समझे जाने पर इन अंतिम जांच परिणामों में स्थान दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के बाद किये गये अधिकांश अनुरोध पहले के अनुरोधों का केवल दोहराव हैं। तथापि, प्रकटन पश्चात अनुरोधों की संगत समझी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में जांच की गई है।
- य. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 75.34 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पादन और समान वस्तु

4. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

“विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच की मोटाई और 0.4 वर्गमीटर या उससे कम के क्षेत्रफल वाले घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास” है। पीयूसी को टैम्पर्ड ग्लास या सेफ्टी ग्लास के तौर पर भी जाना जाता है। वर्तमान जांच घरेलू/गृह उपकरणों जैसे रेफ्रिजरेटर, कुक-टॉप, ओटीजी, माइक्रोवेव, एलईडी आदि में प्रयोग के प्रयोजनार्थ आयातित विचाराधीन उत्पाद तक सीमित है। ऑटोमोबाइल, वास्तुशिल्प आदि जैसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए आयातित टफएंड ग्लास पीयूसी के दायरे से बाहर है।”

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. वर्तमान जांच में पीयूसी की परिभाषा मौलिक रूप से गलत है। वर्तमान जांच में पीयूसी को अंतिम प्रयोग के आधार पर परिभाषित किया है जिससे काफी भ्रम उत्पन्न हो गया है। वर्तमान जांच में अंतिम प्रयोग के आधार पर परिभाषित पीयूसी के साथ समान वस्तु के प्रावधानों का दुरुपयोग हुआ है।
- ख. सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास भारत में आयातित पीयूसी पर शुल्क लगाने के लिए टफएंड ग्लास के अंतिम प्रयोग को मापने या जांच करने का कोई साधन या मापदंड नहीं है। आयातित उत्पाद पीयूसी है अथवा नहीं, इसकी जांच केवल रासायनिक/तकनीकी मापदंडों के आधार पर की जा सकती है। परंतु यह अंतिम प्रयोग के लिए संभव नहीं है।
- ग. चूंकि अंतिम प्रयोग उत्पाद का तकनीकी मापदंड नहीं है। इसलिए उसे बिक्री बीजक में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, परंतु केवल चूंकि मापदंड शामिल किये गये हैं।

- घ. घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त 0.4 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के टफएंड ग्लास, घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त 8 एमएम से अधिक मोटाई के टफएंड ग्लास और 0.4 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल और घरेलू उपकरणों में प्रयुक्त 1.8 एमएम तथा 8 एमएम के बीच मोटाई वाले टफएंड ग्लास भी समान वस्तु है और उन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है।
- ड. घरेलू तथा आयातित पीयूसी की गुणवत्ता में भारी अंतर है।
- च. टॉप लोड वाशिंग मशीनों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास दो प्रकार के होते हैं अर्थात् फ्लैट टफएंड ग्लास और कर्वड तथा रंगीन ग्लास। एलजी इंडिया वाशिंग मशीन डोर लिड के निर्माण के लिए 4 एमएम मोटाई के रंगीन कर्वड टफएंड ग्लास का प्रयोग करता है। यह कर्वड टफएंड ग्लास आयातित होता है क्योंकि एलजी इंडिया द्वारा अपेक्षित विनिर्देशनों के अनुसार घरेलू उद्योग उसकी आपूर्ति करने में असमर्थ है। चूंकि टफएंड ग्लास के घरेलू उत्पादक कर्वड टफएंड ग्लास की एलजी इंडिया की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसलिए प्राधिकारी को "कर्वड टफएंड ग्लास" को पीयूसी के दायरे से बाहर रखना चाहिए।
- छ. भारत में टफएंड ग्लास के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में 2 एमएम और 3.2 एमएम फ्लोट ग्लास अनुपलब्ध है क्यों फ्लोट ग्लास के भारतीय उत्पादक मांग-आपूर्ति की बाधाओं के कारण 2 एमएम और 3.2 एमएम के विनिर्माण और आपूर्ति में रुचि नहीं लेते हैं। हेल्दी इंडिया ने [***] और [***] से भारत में इससे कम मोटाई के टफएंड ग्लास खरीदने का प्रयास किया है, परंतु घरेलू उत्पादक एलजी इंडिया को उसके विनिर्माण आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित टफएंड ग्लास देने में विफल रहे हैं।
- ज. गुंबद आकार का टफएंड ग्लास फ्रंट लोड वाशिंग मशीनों में प्रयुक्त होता है। गुंबद आकार का टफएंड ग्लास फ्रंट लोड वाशिंग मशीनों के दरवाजे में फिट होता है। इसे सिंटरिंग की प्रक्रिया और मोल्ड के प्रयोग द्वारा बनाया जाता है। टफएंड ग्लास हीट टेंपर्ड होता है और आम तौर पर पारदर्शी होता है। घरेलू उत्पादक एलजी इंडिया को गुंबद आकार का टफएंड ग्लास देने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास उसके विनिर्माण की क्षमता नहीं है।
- झ. एलजी इंडिया प्राधिकारी से घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास के निम्नलिखित प्रकारों के संबंध में पीयूसी के दायरे के अंतर्गत स्पष्टीकरण पर विचार करने का प्राधिकारी से अनुरोध करता है:
- इंस्टा-व्यू डोर असेंबली
 - रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाली टफएंड ग्लास डोर असेंबली
 - माइक्रोवेव ओवन डोर असेंबली
- ञ. एलजी इंडिया ने घरेलू विनिर्माताओं से इंस्टा-व्यू डोर असेंबली खरीदने का प्रयास किया है। तथापि, वे ऐसा करने में असमर्थ हैं। आपूर्तिकर्ताओं ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस असेंबली के विनिर्माण के लिए भारत में अवसंरचना उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार एलजी इंडिया को इंस्टा-व्यू ग्लास की पूरी असेंबली को चीन जन. गण. से आयात करना पड़ा है। इस उत्पाद को भी विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखना चाहिए।
- ट. ओवन डोर में आम तौर पर आसानी से देखने के लिए एक खिड़की होती है जिसमें सुरक्षा बनाये रखने के लिए बाहरी पैनल से कुछ दूरी पर अनुकूल मैस की एक परत होती है। इस मैस से माइक्रोवेव दिखती है परंतु भीतर प्रकाश जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि माइक्रोवेव ओवन डोर ग्लाव असेंबली केवल एक टफएंड ग्लास नहीं है और इसमें असेंबली में विभिन्न घटक भी जोड़े जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन डोर असेंबली के आयात को एचएसएन कोड 85169000 के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। इस डोर असेंबली को शीर्ष 7007 के अंतर्गत टफएंड ग्लास के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है।
- ठ. गुब्ब टफएंड ग्लास को फ्रिज में ग्लास सेल्वज के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक विशिष्ट टफएंड ग्लास होता है जिसमें गुब्ब या ट्रिम्स होते हैं। यह गुब्ब/ट्रिम किसी गोंद या टेप के बिना ग्लास को उसके स्थान पर फिट कर देते हैं। गुब्ब की प्रक्रिया एक अतिरिक्त प्रक्रिया है जिसमें अतिरिक्त लागत और

संसाधन लगते हैं। इस प्रकार के टफएंड ग्लास न तो घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक मात्रा में बनाया जाता है और न ही वे अपेक्षित विनिर्देशनों को पूरा करते हैं और इसलिए इसे बाहर रखना चाहिए।

- ड. व्हर्लपूल ऐसे फ्रिज बनाता है जिसमें रंगीन और प्रिटेड रूप में टफएंड ग्लास की जरूरत होती है और इसका प्रयोग फ्रिज की पूरी डोर एसेंबली के फ्रंट पार्ट में होता है। घरेलू उद्योग इस प्रकार के ग्लास नहीं बनाता है क्योंकि प्रिंटिंग / कलरिंग की इस प्रक्रिया की प्रौद्योगिकी भारतीय उत्पादकों के पास उपलब्ध नहीं है। इस कारण से इसे उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए।
- ढ. प्राधिकारी वाशिंग मशीन और फ्रिज के निर्माण के लिए जरूरी टफएंड ग्लास की श्रेणी को वर्तमान जांच से बाहर कर सकते हैं और विशेष रूप से निम्नलिखित को जांच के दायरे से बाहर कर सकते हैं:

i. 3.2 एमएम मोटाई का टफएंड ग्लास

ii. 3.2 एमएम मोटाई का यूरो डीप ग्रेडोर टफएंड ग्लास

iii. 5 एमएम मोटाई का टफएंड डोर ग्लास, मोल्डिंग और फोर्मिंग तकनीक सहित

- ण. सैमसंग ने बताया है कि उनके आयात संबद्ध वस्तु की उपलब्धता के अभाव और घरेलू उद्योग के पास अपेक्षित क्षमता नहीं होने के कारण हुये हैं। इसके अलावा, उन्होंने बताया है कि घरेलू उत्पादक भारत में सैमसंग इंडिया के लिए अपेक्षित टफएंड ग्लास हेतु यथा आवश्यक संगत प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण आवश्यक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में समर्थ हैं।
- त. इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं की सूची की सरल समीक्षा यह दर्शाती है कि उसमें प्राथमिक रूप से ऐसे आयातक/प्रयोक्ता शामिल हैं जो सौर पैनलों और/ या चिमनी, गैस चूल्हें, ओवन आदि जैसे रसोई उपकरणों के लिए पीयूसी का प्रयोग करते हैं, जो इस अनुरोध को और अधिक सही सिद्ध करता है।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- क. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच की मोटाई और 0.4 वर्गमीटर या उससे कम के क्षेत्रफल वाले घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास" हैं।
- ख. संबद्ध वस्तु टैम्पर्ड ग्लास या सेफ्टी ग्लास के तौर पर भी जाना जाता है। वर्तमान जांच घरेलू/गृह उपकरणों जैसे रेफ्रिजरेटर, कुक-टॉप, ओटीजी, माइक्रोवेव, एलईडी आदि में प्रयोग के प्रयोजनार्थ आयातित विचाराधीन उत्पाद तक सीमित है। ऑटोमोबाइल, वास्तुशिल्प आदि जैसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए आयातित टफएंड ग्लास पीयूसी के दायरे से बाहर है।
- ग. संबद्ध वस्तु का प्रयोग विभिन्न उपकरणों जैसे गैस चूल्हा, रेफ्रिजरेटर, घरेलू वाशिंग मशीन, लाइटिंग फिक्चर्स, कुकटॉप, ओवन, ग्रिल, चिमनी आदि के विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। अपनी अंतर्निहित मजबूती, उच्च ऑप्टिकल स्पष्टता, असमतलता रहित समान सतह आदि के कारण उत्पाद के अनुप्रयोगों में विभिन्न प्रयोजनों हेतु वृद्धि हो रही है।
- घ. विचाराधीन उत्पाद को आम तौर पर एचएस कोड 70071900 के अंतर्गत आयातित किया जाता है। तथापि, आयात अन्य एचएस कोडों के अंतर्गत हो सकते हैं। किसी भी तरह एचएस कोड वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद का विवरण सभी परिस्थितियों में लागू होगा।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत घरेलू उद्योग भारतीय उत्पादकों द्वारा यथा अपेक्षित पीयूसी के सभी प्रकारों का उत्पादन करता है।

- च. हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुरोध कि पीयूसी को अंतिम प्रयोग आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल निराधार है और कानून, विषय तथा सीमा शुल्क प्रक्रियों के समझ के बिना है।
- छ. संबद्ध वस्तु आर्डर पर बनाये गये उत्पाद है। घरेलू उपकरण में प्रयुक्त टफएंड ग्लास वास्तुशिल्प, ऑटोमोबाइल आदि जैसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त टफएंड ग्लास का स्थान नहीं ले सकता है। घरेलू उपकरणों में प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाने हेतु ग्लास की प्रक्रियायें टफनिंग के स्तर से पहले करनी होती हैं। एक बार ग्लास के टफएंड होने पर ग्लास पर कोई अन्य प्रक्रिया नहीं हो सकती है।
- ज. अनेक टैरिफ लाइनों के लिए सीमा शुल्क वर्गीकरण स्वयं ही किसी उत्पाद के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण या अंतर की परिकल्पना करता है। जब सीमा शुल्क टैरिफ स्वयं प्रयोग आधारित वर्गीकरण विहित करता है तो यह कहना पूरी तरह निराधार और गलत समझ है कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास अंतिम प्रयोग को मापने का कोई साधन नहीं है।
- झ. एलजी, सैमसंग और व्हर्लपूल ने कतिपय उत्पादों को पीयूसी से बाहर रखने का अनुरोध किया है। तथापि, यह काफी चिंताजनक है कि उन्होंने बाहर रखने के लिए बताये गये ऐसे उत्पादों के विनिर्देशन और तकनीकी व्यौरों को गोपनीय रखा है। पीयूसी से किसी वस्तु को घरेलू उद्योग को संबंधित उत्पाद के विस्तृत विनिर्देशन दिये बिना बाहर नहीं किया जा सकता है।
- ञ. संबद्ध वस्तु उपकरणों में प्रयोग होती है। इस प्रकार उसके लिए उस उपकरण की जरूरत के समान होना आवश्यक है जिसमें वह प्रयोग होती है। किसी विनिर्माता के लिए प्रत्येक आकार, आयाम और प्रकार के अनुकूलित उत्पादों को तब तक बनाने का कोई औचित्य नहीं है जब तक उसे ऐसा आर्डर न मिले। चूंकि प्रमुख प्रयोक्ता चीन की कम कीमतों के कारण संबद्ध वस्तु का आयात पसंद करते हैं इसलिए ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें संबद्ध वस्तु के कुछ प्रकार या अनुकूलित किस्म को घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित नहीं किया गया हो। परंतु ऐसा गैर उत्पादन, यदि कोई हो, तो केवल उपभोक्ताओं से आर्डर नहीं मिलने के कारण ही हुआ है। इसी कारण से किसी भी पक्षकार ने संबद्ध वस्तु की किसी किस्म/प्रकार का उत्पादन करने में घरेलू उत्पादकों की तकनीकी क्षमता के अभाव को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
- ट. क्लीयर फ्लोट ग्लास की कमी के कारण संबद्ध वस्तु की अनुपलब्धता के संबंध में डीजीटीआर के रिकार्ड में यह प्रदर्शित होगा कि भारत में 2 एमएम से 3.5 एमएम मोटाई वाले क्लीयर ग्लास का पर्याप्त उत्पादन होता है। इसके अलावा, घरेलू उत्पादकों के पास 2 एमएम से 3.5 एमएम मोटाई वाले क्लीयर ग्लास के आयात का विकल्प भी है। इस प्रकार ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे घरेलू उद्योग उक्त मोटाई की संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता हो। वास्तव में आवेदकों ने स्वयं उक्त मोटाई की संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया है।
- ठ. संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादकों ने संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए सबसे आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया है। निदेशालय के समक्ष दो आवेदकों द्वारा प्रयुक्त मशीनरी भी उद्योग में सर्वोत्तम है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने बीआईएस जैसे किसी मापने योग्य मानक को उपलब्ध नहीं कराया है जो यह दर्शाता हो कि भारतीय विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित वस्तु घटिया गुणवत्ता की है। वास्तव में अधिकांश भारतीय उत्पादकों ने पहले ही बीआईएस लाइसेंस ले लिये हैं जबकि चीन के निर्यातकों के पास यह नहीं है। अतः इस संबंध में, पक्षकारों द्वारा लगाये गये आरोप केवल विभाग को गुमराह करने के इरादे से लगाये गये हैं।
- ड. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पक्षकारों के दावे के विपरीत चीन की वस्तुयें घटिया गुणवत्ता की है। चीन जन. गण. से कम कीमत और कम गुणवत्ता के आयातों की समस्या को डपीआईआईटी से हमें प्राप्त मेल में भी स्वीकार किया गया है जिसने चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के कम गुणवत्ता के आयातों को रोकने के लिए हमारे सुझाव मंगाये हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. जांच शुरुआत की सूचना में विचाराधीन उत्पाद को "1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच मोटाई और 0.4 वर्गमीटर या उससे कम के क्षेत्रफल वाले घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास" के रूप में परिभाषित किया गया है। पीयूसी को टेंपर्ड ग्लास या सेफ्टी ग्लास के रूप में भी जाना जाता है।

8. पीयूसी को अध्याय 70 के अन्तर्गत आयातित किया गया है जो "ग्लास और ग्लासवेयर" से संबंधित है। आवेदक एसोसिएशन के अनुसार आठ अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 70071900 है। यद्यपि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के विभिन्न अन्य उपशीर्षों जैसे 70072100, 70072900, 70074900, 70079900, 70134900, 70139900, 70199090, 70200019, 70200029, 70200090 के अन्तर्गत पीयूसी का आयात किया जाता है। यह उपशीर्ष केवल सांकेतिक हैं और पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि पीयूसी के आयात की सूचना विभिन्न अन्य उपशीर्षों के अन्तर्गत भी मिल सकती है।
9. जांच शुरुआत अधिसूचना में यह विनिर्दिष्ट किया गया था कि वर्तमान जांच घरेलू/गृह उपकरणों जैसे रेफ्रिजरेटर, कुक-टॉप, ओटीजी, माइक्रोवेव, एलईडी आदि में प्रयोग के प्रयोजनार्थ आयातित विचाराधीन उत्पाद तक सीमित है। किसी अन्य प्रयोजन जैसे ऑटोमोबाइल, वास्तुशिल्प आदि के लिए आयातित टफएंड ग्लास पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।
10. पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति संबंधी टिप्पणियां विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुई थीं और तदनुसार 23.11.2022 को इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक हुई थी। उक्त हितबद्ध पक्षकारों के विचारों और अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए 13.12.2022 निम्नलिखित पीसीएन पद्धति अधिसूचित की गई थी:

| क्र. सं. | पीसीएन मानदंड | विवरण | पीसीएन कोड |
|----------|-------------------|--|---|
| 1. | उपकरणों की श्रेणी | रेफ्रिजरेटर कुकटॉप/स्टोव वाशिंग मशीन माइक्रोवेव/ओटीजी/ओवन चिमनी इंडक्शन घरेलू उपकरणों के प्रयुक्त कोई अन्य टफएंड ग्लास | आर के डब्ल्यू एम वाई आई ओ |
| 2. | मोटाई | 1.8 एमएम से 3.2 एमएम 3.2 एमएम से अधिक 5 एमएम तक 5 एमएम से अधिक 8 एमएम तक | 32 50 80 |
| 3. | रंग (टिंट) | टिंटेड क्लीयर | टी एन |
| 4. | घुमाव | कर्वड समतल | सी एफ |
| 5. | आकार | आयताकार गैर आयताकार | आरई एनआर |

उदाहरण के लिए:

वाशिंग मशीन हेतु 3.2 एमएम की मोटाई वाले टिंटेड आयताकार कर्वड ग्लास।

| उपकरण | श्रेणी | मोटाई | रंग | घुमाव | आकार | पीसीएन |
|-------------|---------|-------|-----|-------|------|---------------------|
| वाशिंग मशीन | डब्ल्यू | 32 | टी | सी | आरई | डब्ल्यू-32-टी-सी-आई |

11. यह भी स्पष्ट किया गया था कि निम्नलिखित वस्तुएं पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।
- क. बर्तनों के ग्लास लीड्स में प्रयुक्त टफएंड ग्लास
 ख. इलेक्ट्रॉनिक स्विच तथा स्विच बोर्ड पैनल में प्रयोग टफएंड ग्लास
 ग. डबल ग्लेज्ड यूनिट (डीजीयू) में प्रयुक्त टफएंड ग्लास
12. प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों से निम्नलिखित उत्पादों को पीयूसी से बाहर रखने के अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं।
- क. वाशिंग मशीन के लिए कर्वड रंगीन ग्लास
 ख. माइक्रोवेव ओवन के लिए प्रयुक्त 2 एमएम और 3.2 एमएम मोटाई के टफएंड ग्लास
 ग. गुम्बद के आकार का टफएंड ग्लास
 घ. गूब्ड टफएंड ग्लास
 ङ. रेफ्रिजरेटर के दरवाजे के लिए मुद्रित/रंगीन टफएंड ग्लास
 च. यूरो डीप ग्रे टिंटेड ग्लास
 छ. 2 एमएम से 3.5 एमएम की मोटाई वाली संबद्ध वस्तुओं

उक्त अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है:

वाशिंग मशीन के लिए कर्वड रंगीन ग्लास

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि टॉपलोड वाशिंग मशीनों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास दो प्रकार के होते हैं अर्थात् फ्लैट टफएंड ग्लास और कर्वड तथा रंगीन टफएंड ग्लास। घरेलू प्रयोक्ताओं ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के पास रंगीन कर्वड टफएंड ग्लास के उत्पादन की क्षमता नहीं है। इसके अलावा, कर्वड टफएंड ग्लास के निर्माण के लिए घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त कटिंग और ग्राइंडिंग तकनीक के संबंध में समस्या है और इसलिए वे एलजी इंडिया की गुणवत्ता संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं।
14. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्रकार का टफएंड ग्लास पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी ने वाशिंग मशीन के लिए कर्वड रंगीन ग्लास को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है।

माइक्रोवेव ओवन/2 एमएम और 3.2 एमएम मोटाई वाली संबद्ध वस्तु के लिए प्रयुक्त 2 एमएम और 3.5 एमएम मोटाई के टफएंड ग्लास

15. प्राधिकारी 2 एमएम, 3.2 एमएम और 3.5 एमएम मोटाई के लिए विनिर्माण में टफएंड ग्लास के प्रयोग के संबंध में आयातकों/प्रयोक्ताओं के तर्कों को नोट करते हैं और यह कि भारत में 2 एमएम, 3.2 एमएम और 3.5 एमएम के फ्लोड ग्लास की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता है। अतः टफएंड ग्लास के घरेलू उत्पादकों को इस कच्ची सामग्री का आयात करना पड़ा है और इस कारण से वे भारत में प्रयोक्ताओं के लिए 2 एमएम, 3.2 एमएम और 5 एमएम मोटाई के टफएंड ग्लास के विनिर्माण और आपूर्ति में रुचि नहीं रखते हैं।
16. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड में यह सूचना उपलब्ध है कि घरेलू उत्पादक 2 एमएम से 3.5 एमएम की मोटाई वाले क्लीयर फ्लोट ग्लास का आयात करते हैं और उसे घरेलू रूप से भी मंगाते हैं तथा फिर इसे आगे टेंपर/ टफएंड करते हैं।

17. प्राधिकारी रिकार्ड में सूचना से यह भी नोट करते हैं कि मेसर्स जीएससी ग्लास के पास पीओआई के दौरान 3.2 एमएम और 3.5 एमएम टफएंड ग्लास को बनाने की क्षमता थी और उन्होंने इसे बेचा भी था। जबकि मेसर्स टीपीआरएस के पास 2 एमएम टफएंड ग्लास के उत्पादन की क्षमता है।
18. अतः प्राधिकारी घरेलू उपकरणों में प्रयुक्त 2 एमएम, 3.2 एमएम और 3.5 एमएम मोटाई के टफएंड ग्लास को पीयूसी के दायरे से बाहर नहीं रखते हैं।

गुम्बद के आकार का टफएंड ग्लास

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुंबद के आकार के टफएंड ग्लास भारत में कुछ प्रयोक्ताओं द्वारा फ्रंट लोड वाशिंग मशीनों में प्रयोग के लिए बनाये जाते हैं। इसे सिंटरिंग की प्रक्रिया और मोल्ड के प्रयोग से विनिर्मित किया जाता है। टफएंड ग्लास हीट टेंपर्ड होते हैं और सामान्यतः पारदर्शी होते हैं।
20. इस प्रकार के टफएंड ग्लास घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। अतः प्राधिकारी गुंबद के आकार के टफएंड ग्लास को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लेते हैं।

गुब्ब टफएंड ग्लास

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुब्ब टफएंड ग्लास एक विशिष्ट टफएंड ग्लास होता है जिसमें गुब्ब या ट्रिम्स होते हैं। इस गुब्ब/ट्रिम्स से ग्लास किसी गोंद या टेप के बिना अपनी जगह पर फिट हो जाता है। गुर्विंग की प्रक्रिया एक अतिरिक्त प्रक्रिया है जिसमें अतिरिक्त लागतें और संसाधन लगते हैं। इसे फ्रिज में ग्लास सेल्वस के रूप में प्रयोग किया जाता है।
22. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि उनके पास इस प्रकार के टफएंड ग्लास के उत्पादन की क्षमता है। अतः प्राधिकारी ने गुब्ब टफएंड ग्लास को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है।

रेफ्रिजरेटर के दरवाजे के लिए मुद्रित/रंगीन टफएंड ग्लास

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे कुछ फ्रिज निर्माता हैं जिन्हें रंगीन और मुद्रित रूप में टफएंड ग्लास की जरूरत होती है और इसे फ्रिज की पूरी डोर एसेंबली के सामने के भाग में प्रयोग किया जाता है।
24. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास मुद्रित/रंगीन टफएंड ग्लास के उत्पादन की क्षमता है और उसने इसे उत्पादित किया और बेचा भी है। अतः प्राधिकारी ने फ्रिज के दरवाजे के लिए मुद्रित/रंगीन ग्लास को पीयूसी के दायरे से बाहर नहीं रखने का निर्णय लेते हैं। तथापि जब ऐसे उत्पाद संयोजित रूप में आयातित होते हैं तो वे पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।

यूरो डीप ग्रे टिंटेड ग्लास

25. प्राधिकारी यूरो डीप ग्रे टिंटेड ग्लास के संबंध में घरेलू प्रयोक्ताओं के तर्कों को नोट करते हैं। घरेलू प्रयोक्ताओं ने यह बताया है कि भारतीय ग्लास प्रसंस्कर्ताओं को यूरो डीप ग्रे ग्लास के आयात की आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत में कोई भी ग्लास विनिर्माता ग्रे कलर में टिंटेड कलर ग्लास का उत्पादन नहीं करता है और मोल्डिंग तथा फोर्मिंग तकनीक वाले ग्लास के संबंध में भारत में कोई भी विनिर्माता ऐसी प्रौद्योगिकी के ग्लास का निर्माण नहीं करता है। ग्लास प्रोसेसर स्थानीय रूप से केवल कटिंग, एचिंग और टेंपरिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं, परंतु इसके लिए

अपेक्षित कच्ची सामग्री भारत में उपलब्ध नहीं है। अतः सैमसंग इंडिया को वाशिंग मशीन के विनिर्माण में प्रयोग के लिए भारत से बाहर के इन टफएंड ग्लास का आयात करना पड़ता है।

26. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त अनुरोध इस मान्यता पर आधारित है कि ऐसे फ्लोट ग्लास जो पीयूसी के लिए कच्ची सामग्री हैं, भारत में यूरो डीप ग्रे कलर में उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारत में उक्त उत्पाद की अनुपलब्धता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसके अलावा, चूंकि उक्त उत्पाद पीयूसी की एक कच्ची सामग्री है इसलिए उसे पीयूसी के घरेलू उत्पादकों द्वारा आयातित भी किया जा सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादकों के पास यूरो डीप ग्रे टिंटेड टफएंड ग्लास के उत्पादन की क्षमता है क्योंकि फ्लोट ग्लास से पीयूसी बनाने की प्रक्रिया फ्लोट ग्लास के टिंट/रंग में परिवर्तन के लिए कारण अलग नहीं होती है। अतः यदि ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए घरेलू उद्योग को कोई आर्डर दिया जाता है तो वह उसे पूरा कर सकता है।
27. तदनुसार, प्राधिकारी यूरो डीप ग्रे टिंटेड ग्लास को पीयूसी के दायरे से बाहर नहीं करने का निर्णय लेते हैं।
28. प्राधिकारी को घरेलू उपकरणों के लिए निम्नलिखित प्रकार के टफएंड ग्लास को पीयूसी के दायरे में रखने के संबंध में स्पष्टीकरणों पर विचार करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं:
 - क. इंस्टा-व्यू डोर असेंबली
 - ख. रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाली टफएंड ग्लास डोर असेंबली
 - ग. माइक्रोवेव ओवन डोर असेंबली
29. घरेलू उपकरणों के लिए उक्त प्रकार के टफएंड ग्लास को पीयूसी में रखने संबंधी स्पष्टीकरणों पर विचार के लिए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि टफएंड ग्लास डोर एसेंबली का हिस्सा है चाहे वह फ्रिज के लिए हो या माइक्रोवेव ओवन के लिए या डबल ग्लेज्ड यूनिट (डीजीयू) के समान किसी अन्य समान प्रयोजन के लिए हो। प्राधिकारी ने पहले ही डीजीयू में प्रयुक्त टफएंड ग्लास को 13.12.2022 को पीसीएन पद्धति को अधिसूचित करते हुए पीयूसी से बाहर रखा है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि संयोजित रूप में आयात करने पर टफएंड ग्लास जैसे इंस्ट-व्यू डोर एसेंबली, रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव ओवन को पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।
30. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित वस्तु घटिया गुणवत्ता की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने बीआईएस जैसा कोई मात्रात्मक मानक नहीं दिया है जो यह दर्शाता हो कि भारतीय विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित वस्तुएं घटिया गुणवत्ता की है। इसके अलावा, अधिकांश भारतीय उत्पादकों ने बीआईएस लाइसेंस प्राप्त किया है।
31. वर्तमान जांच रेफ्रिजरेटर, कुक-टॉप, ओटीजी, माइक्रोवेव, एलईडी आदि जैसे गृह/घरेलू उपकरणों में प्रयोग के प्रयोजनार्थ आयातित विचाराधीन उत्पाद तक सीमित है। ऑटोमोबाइल, वास्तुशिल्प जैसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए आयातित टफएंड ग्लास पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।
32. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि पीयूसी को अंतिम उपयोग के आधार पर परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी मानते हैं कि पीयूसी को अंतिम प्रयोग के आधार पर परिभाषित करने में कानून में कोई प्रतिबंध नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अनेक टैरिफ मदों के लिए सीमा शुल्क वर्गीकरण में किसी उत्पाद के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण या विभेद करने की परिकल्पना की गई है। जब सीमा शुल्क टैरिफ स्वयं

ही प्रयोग आधारित वर्गीकरण निर्धारित करता है तो यह बताना गलत है कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास अंतिम प्रयोग को मापने के लिए कोई साधन या मापदंड नहीं है। इस प्रकार अंतिम उपयोग के आधार पर पीयूसी के दायरे को परिभाषित करने के संबंध में कोई त्रुटि नहीं है।

33. उक्त के मद्देनजर विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:

“ घरेलू उपकरणों के लिए 1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच की मोटाई या 0.4 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल वाले टफएंड ग्लास” जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है:

- क) बर्तनों के कांच के ढक्कनों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास
- ख) इलेक्ट्रॉनिक स्विच और स्विच बोर्ड पैनलों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास
- ग) वाशिंग मशीन के लिए घुमावदार रंगीन ग्लास
- घ) डबल ग्लेज्ड यूनिट (डीजीयू) में प्रयुक्त टफएंड ग्लास
- ड.) गुंबद के आकार का टफएंड ग्लास
- च) ग्लूड टफएंड ग्लास

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

34. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नानुसार अनुरोध किये हैं:

- क. घरेलू उद्योग ने भारत में संबद्ध वस्तु के 17 घरेलू उत्पादकों के बारे में बताया है। यह अनुरोध किया जाता है कि हमारी समझ के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के विनिर्माता घरेलू उत्पादकों की संख्या पूंजी निवेश के कम स्तर और संबद्ध वस्तु के विनिर्माण को एमएसएमई क्षेत्र के लिए आरक्षित करने के कारण काफी अधिक होगी।
- ख. घरेलू उद्योग ने रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जो यह दर्शाता हो कि संबद्ध वस्तु के केवल 17 घरेलू उत्पादक हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने याचिकाकर्ता और समर्थक उत्पादकों के अलावा घरेलू उत्पादकों की उत्पादन के प्रमाणिक ब्यौरे भी उपलब्ध नहीं कराये हैं।
- ग. यह संभव है कि भारत में ऐसे अनेक अन्य घरेलू उत्पादक भी हों जिन्हें याचिका में नहीं रखा गया है। अतः प्रतिवादी प्राधिकारी से भारत में घरेलू उद्योग के रूप में आवेदकों की स्थिति की स्वतंत्र जांच करने और केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना पर भरोसा नहीं करने का अनुरोध करते हैं।
- घ. घरेलू उद्योग ने पहली बार 4 फरवरी, 2023 की अद्यतन याचिका में देश में टफएंड ग्लास के 202 उत्पादकों के ब्यौरे प्रदान किये हैं। इन 202 उत्पादकों में से घरेलू उद्योग ने बताया है कि भारत में पीयूसी की उनकी परिभाषा के अनुसार संबद्ध वस्तु के केवल 17 उत्पादक हैं। उन्होंने अन्य 185 शेष उत्पादकों से घोषणाओं/उत्पादन के ब्यौरों जैसे समर्थक किसी ठोस साक्ष्य को प्रदान नहीं किया है कि उन्होंने पूरी क्षति जांच अवधि अर्थात् 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं किया है।
- ड. मौखिक सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील ने एक विवरण दिया कि समर्थक उद्योग माननीय प्राधिकारियों को अपेक्षित आंकड़े देने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि समर्थक उद्योग में छोटी कंपनियां शामिल हैं। तथापि, इस पर बिना विचार किये प्राधिकारी को किसी जांच में सभी उद्योगों के लिए निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं में अनुपालन की आवश्यकता है। समर्थक उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत समर्थन पत्र दिनांक 27 सितंबर, 2018 की 2018 की व्यापार सूचना 13 में अधिदेशित समर्थन पत्रों के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं। व्यापार सूचना में कम से कम 30 मापदंड विहित हैं जिनमें सीए, प्रमाणन शामिल हैं। तथापि, याचिका के साथ संलग्न समर्थन पत्र में बहुत थोड़े से मापदंड दिये गये हैं।

प्राधिकारी के लिए सभी याचिकाकर्ताओं और उद्योगों हेतु मानकीकृत प्रपत्रों का पालन करना अपेक्षित है। व्यापार सूचना का चुनिंदा कार्यान्वयन नहीं अपनाया जाना चाहिए।

- च. जब अनेक घरेलू विनिर्माता हैं तो घरेलू उद्योग की स्थिति को विश्वसनीय साक्ष्य के साथ स्थापित करना चाहिए। वर्तमान मामले में आवेदक ने भारतीय उत्पादन के अपने विवरण के लिए सूचना के स्रोत का प्रकटन नहीं किया है।
- छ. कुछ प्रमुख विनिर्माता जैसे असाही ग्लास लिमिटेड न तो आवेदन के भागीदार हैं और न ही उसके समर्थक हैं। उनके नाम याचिका के प्रदर्श- 4 में अन्य घरेलू उत्पादकों की सूची में भी नहीं बताये गये हैं। इस प्रकार कुल घरेलू उत्पादन को निश्चित रूप से कम बताया गया है जो 2 आवेदकों की स्थिति पर प्रश्न उठाता है।
- ज. प्रमुख घरेलू उत्पादकों द्वारा भागीदारी नहीं करने की जांच की जानी चाहिए और उनकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इसके अलावा, कारोबार की मात्रा को देखते हुए याचिकाकर्ता के तर्क में कोई सच्चाई नहीं है कि प्राधिकारी की अपेक्षाएं काफी अधिक हैं और घरेलू उत्पादक पर्याप्त रिकार्ड नहीं रखते हैं।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

35. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- क. यह आवेदन सेफ्टी/विशिष्ट ग्लास प्रसंसकर्ताओं की एक एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ सेफ्टी ग्लास (एफओएसजी) द्वारा मेसर्स जीएससी ग्लास (पी) लिमिटेड और मेसर्स टीपीआरएस एंटरप्राइजेज की ओर से दायर किया गया है। यह आवेदन समर्थन पत्रों के माध्यम से मेसर्स नंदा ग्लास इंडस्ट्रीज और मेसर्स श्री अष्टविनायक ग्लास प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थित है।
- ख. आवेदकों का संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन में हिस्सा कानून के अंतर्गत विहित मापदंडों से काफी अधिक है। इसके अलावा, आवेदकों तथा समर्थकों के पास घरेलू बाजार में अधिकांश हिस्सा है।
- ग. यह दलील की कि आवेदक असाही जैसे उत्पादकों की तुलना में काफी छोटे विनिर्माता हैं, निराधार है। जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद "घरेलू उपकरणों में प्रयोग के लिए टफएंड ग्लास....." है। असाही और भारत में अन्य बड़े विनिर्माताओं जैसे सेंट गोबेन द्वारा उत्पादित टफएंड ग्लास, ऑटोमोबाइल अनुप्रयोगों के लिए है। अन्य प्रमुख कंपनियां अजय पॉली प्राइवेट लिमिटेड मुख्यतः घरेलू और वाणिज्यिक उद्योगों के लिए रेफ्रिजरेशन सीलिंग प्रणालियों का अधिकांशतः उत्पादन और आपूर्ति करते हैं। किसी भी तरह किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के लिए भी रिकार्ड में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि आवेदकों के पास कानून के अंतर्गत विहित कोई मापदंड नहीं है।
- घ. उपकरणों के लिए प्रयुक्त टफएंड ग्लास में स्पष्ट रूप से भिन्न-भिन्न उत्पादन प्रक्रिया और विशेषताएं हैं जो वास्तुशिल्प प्रयोजनों, ऑटोमोबाइल प्रयोगों आदि में प्रयुक्त टफएंड ग्लास से उन्हें अलग करती हैं। ऐसे उत्पाद विशेषताओं के अनुसार प्रतिस्थापनीय नहीं हैं और वास्तुशिल्प प्रयोजनों, ऑटोमोटिव प्रयोगों आदि के लिए प्रयुक्त टफएंड ग्लास के उत्पादन में शामिल उत्पादक उपकरणों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास के लिए अपेक्षित उपभोक्ताओं की जरूरतों को तथा इसके विपरीत को पूरा नहीं कर सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया के सत्यापन के दौरान प्राधिकारी को यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जो यह दर्शाएगा कि उपकरणों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास के लिए विभिन्न अतिरिक्त मशीनरी की आवश्यकता होती है जो अन्य प्रकार के टफएंड ग्लास विनिर्माताओं के पास उपलब्ध नहीं है।
- ड. वर्तमान मामले में वास्तुशिल्प/ऑटोमोबाइल प्रयोजन आदि के लिए प्रयुक्त टफएंड ग्लास और घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त टफएंड ग्लास के बीच स्पष्ट चिन्हांकन किया गया है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल और वास्तुशिल्प प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त टफएंड ग्लास में ट्रांसमिशन में स्पष्टता का कतिपय स्तर से अपेक्षित है जबकि उपकरणों के लिए प्रयुक्त टफएंड ग्लास में ऐसा कोई विनिर्देशन

अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा, इन दोनों ग्लासों की उत्पादन प्रक्रिया भी अलग है, क्योंकि उपकरणों में प्रयुक्त टफ़एंड ग्लास के लिए ड्रिलिंग, पेंटिंग/ कलर, घुमाव आदि के लिए अतिरिक्त मशीनरी की आवश्यकता होती है।

- च. हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि आवेदकों की स्थिति त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि उत्पादन के दायरे को अंतिम प्रयोग तक सीमित किया गया है, गलत है। नियम 5 के अंतर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षा की केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में जांच की जाए। रिकार्ड में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है कि जो यह सिद्ध करती हो कि विचाराधीन उत्पाद को अंतिम प्रयोग के आधार पर सीमित/परिभाषित नहीं किया जा सकता है।
- छ. एफओएसजी ने दो आवेदक घरेलू उत्पादकों की ओर से संबद्ध वस्तु घरेलू उत्पादकों की उपस्थिति में दिनांक 25.06.2021 संकल्प पारित होने के बाद पाटनरोधी शुल्क का आवेदन प्रस्तुत किया है।
- ज. एसोसिएशन के माध्यम से आवेदन दायर करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अधिकांश घरेलू उत्पादक पाटनरोधी आवेदन दायर करने के मामले में उलझन में थे, क्योंकि वे अपने उपभोक्ताओं को परेशानी में डालने के बारे में चिंतित थे। विचाराधीन उत्पाद एक आर्डर पर निर्मित उत्पाद है। विचाराधीन उत्पाद के अधिकांश आयातक भी घरेलू उत्पादकों से उत्पाद खरीद रहे हैं (यद्यपि कम मात्रा में)। अतः अधिकांश उपभोक्ता पाटनरोधी मामला दायर करने को एक प्रतिकूल कदम मानते हैं। यही कारण है कि घरेलू उत्पादक अपने नाम से या आवेदक के रूप में आवेदन दायर करने की इच्छा नहीं रखते हैं।
- झ. एक आवेदक मेसर्स जीएससी ग्लास द्वारा प्राप्त आर्डर जांच शुरूआत के बाद काफी कम हो गया है। इसके अलावा, जो उपभोक्ता वर्षों से जीएससी ग्लास से उत्पाद खरीदते थे, अब उन्होंने गलत कारण बताते हुए आपूर्ति की गई सामग्री को अस्वीकार करना शुरू कर दिया है। यह समझ से परे है कि उक्त घरेलू उत्पादक से अनेक वर्षों से संबद्ध उत्पाद को खरीदने वाले समान उपभोक्ताओं ने अचानक वर्तमान जांच की शुरूआत के बाद बिल्कुल समान उत्पादों को अस्वीकार करना क्यों शुरू कर दिया है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

36. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

“(ख) घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।”

37. यह आवेदन सेफ्टी/विशिष्ट ग्लास प्रसंस्कर्ताओं की एक एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ सेफ्टी ग्लास (एफओएसजी) द्वारा मेसर्स जीएससी ग्लास (पी) लिमिटेड और मेसर्स टीपीआरएस एंटरप्राइजेज (“आवेदकों”) की ओर से दायर किया गया है। यह आवेदन समर्थन पत्रों के माध्यम से मेसर्स नंदा ग्लास इंडस्ट्रीज और मेसर्स श्री अष्टविनायक ग्लास प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थित था।
38. हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि समर्थक उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत समर्थन पत्र 2018 की व्यापार सूचना 13 दिनांक 27 सितंबर, 2018 में अधिदेशित समर्थन पत्रों के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार सूचना सं. 04/2021 दिनांक 16.06.2021 के माध्यम से प्राधिकारी ने ऐसे मामलों में जहां व्यापार सूचना सं. 13/2018 दिनांक 27/09/2018 के अनुबंध 1 और अनुबंध 2 में यथा निर्धारित सूचना का अनुपालन नहीं हुआ हो, वहां समर्थकों से अपेक्षित सूचना में ढील दी है। उक्त व्यापार सूचना में पीओआई सहित क्षति अवधियों के संबंध में कतिपय मूल सूचना दी गई थी जो समर्थकों द्वारा दिये जाने के लिए अपेक्षित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में समर्थन पत्र व्यापार सूचना सं. 04/2021 दिनांक 16.06.2021 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं।

39. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र में स्थित हैं और तुलनात्मक रूप से छोटी कंपनियां हैं। संबद्ध वस्तु के आयातक कम मात्राओं में घरेलू उत्पादकों से संबद्ध वस्तु की खरीद भी कर रहे हैं और उनके उपभोक्ता हैं।
40. असाही और अजय पॉली के पीयूसी के प्रमुख उत्पादक होने संबंधी हितबद्ध पक्षकारों की चिंताओं को नोट करते हुए प्राधिकारी ने पीयूसी के दो कथित उत्पादकों को पत्र भेजे थे। तथापि, किसी भी कथित उत्पादक से उत्तर नहीं मिला है।
41. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी आवेदक ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है या वे संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं है। प्राधिकारी ने रिकार्ड में विस्तृत सूचना की जांच की है और नोट करते हैं कि आवेदकों के पास नियम 2(ख) के अनुसार कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है।
42. समर्थकों सहित आवेदकों के पास कुल घरेलू उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक (अर्थात् *** प्रतिशत) हिस्सा भी है। अतः घरेलू उद्योग नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करते हैं।

ड. गोपनीयता

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

43. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका अधूरी है और इसमें ऐसी अनिवार्य सूचना का प्रकटन नहीं किया गया है जो हितबद्ध पक्षकारों के लिए उनका बचाव करने के लिए आवश्यक है।
- ख. याचिका का अगोपनीय अंश, गोपनीय अंश की अनुकृति नहीं है। अतः निर्यातक अपने हित का कारगर ढंग से बचाव करने में असमर्थ हैं।
- ग. याचिकाकर्ता ने व्यापार सूचना सं. 10/2018 दिनांक 07/09/2018 की अपेक्षाओं की अनेदखी की है और अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- घ. याचिका में निम्न के संबंध में पर्याप्त सूचना नहीं दी गई है: (i) विनिर्माण प्रक्रिया; (ii) विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों के नाम; (iii) घरेलू उद्योग को छोड़कर सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा और मूल्य; (iv) क्षमता उपयोग के लिए औसत उद्योग मानक; (v) मालसूची के लिए औसत उद्योग मानक; (vi) जुटाई गई निधियां: ऋण और अग्रिम; (vii) निर्यात कीमत/इकाई; (viii) पीवीआईटी के लिए औसत उद्योग मानक; (ix) पीयूसी की खरीद; (x) क्षतिरहित कीमत।
- ड. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 10/2018 सूचना नहीं देने के लिए कोई कारण नहीं बताया है।
- च. याचिकाकर्ता ने कंपनी की वार्षिक रिपोर्टों के बारे में अनुचित रूप से गोपनीयता का दावा किया है।
- छ. घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। यह बताया गया था कि लागत और कीमत निर्धारण से संबंधित समस्त सूचना गोपनीय रखी गई है और उनका अगोपनीय अंश आंकड़ों के रूझान बताते हुए प्रदान किया गया है।
- ज. निर्यातकों की शेयरधारिता संबंधी सूचना गोपनीय रखी गई है क्योंकि यह व्यापार संवेदनशील सूचना है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

44. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया है।
 - ख. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता केवल लागत निर्धारण सूचना के लिए है जिसमें लागत और कीमतें शामिल हैं।
 - ग. घरेलू उद्योग ने उस समस्त सूचना जिसके लिए गोपनीयता का दावा किया गया है, के सूचीबद्ध आंकड़े प्रदान किये हैं।
 - घ. निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय अंश गोपनीय अंश की अनुकृति नहीं है।
 - ड. निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और आंकड़ों का उचित सूचीकरण प्रदान नहीं किया है।
 - च. निर्यातकों ने उद्यम की संरचना, शेरधारिता की प्रवृत्ति, निर्यातक और अन्य उद्यमों के बीच संबंध के स्वरूप आदि जैसी मूल सूचना को गोपनीय रखा है। यह बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

45. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के अगोपनीय अंश को सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराया था।
46. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

47. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विभिन्न अनुरोधों में अन्य पक्षकारों के गोपनीयता के दावों का मुद्दा उठाया है। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई है। कमियों को नोट करने पर हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग के प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचना का कड़ाई से अनुपालन करते हुए उनकी याचिका/उत्तर में सूचना अद्यतन करने के लिए कहा गया है। परिणामस्वरूप हितबद्ध पक्षकारों ने अद्यतन सूचना उपलब्ध करायी है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया था।

48. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी हितबद्ध पक्षकारों से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें।

च. विविध मुद्दे

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

49. अन्य हितबद्ध पक्षकारों निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क. भारतीय मानक ब्यूरो टफएंड ग्लास पर लागू बीआईएस मानक ला रहा है। इस प्रकार ऐसा कोई उत्पादक/निर्यातक जो बीआईएस के अंतर्गत विहित अपेक्षित मानकों को पूरा करने में करने में असमर्थ होगा वह भारतीय बाजार से स्वतः बाहर हो जाएगा। इससे संबद्ध देश से आयातों की मात्रा घट जाएगी और घरेलू उत्पादकों के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। जिससे उन्हें पहले से सुधरती हुई आर्थिक स्थिति में और सुधार करने का अवसर मिल जाएगा।
- ख. संशोधित बीआईएस मानक 2553: भाग 1, 1 अप्रैल, 2023 से संबद्ध वस्तु के आयात पर लागू होगा। बीआईएस मानक के माध्यम से भारत सरकार संबद्ध वस्तु के आयातों पर गुणात्मक विनियमन लागू करती है। इसके परिणामस्वरूप भारत में घरेलू बाजार में आने वाली कम कीमत की और घटिया गुणवत्ता की संबद्ध वस्तु बाहर हो जाती है। अतः कम कीमत पर भारत में खराब गुणवत्ता के आयात स्वतः बंद हो जाएंगे और घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा हो जाएगी।
- ग. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग ने अपनी बाजार आसूचना पर आधारित आयात आंकड़ों का मनमाने ढंग से प्रयोग किया है। हम समझते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त आंकड़े प्रतिनिधि या विश्वसनीय नहीं हैं। ऐसा इस कारण से है कि प्राधिकारी ने भी घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है।
- घ. घरेलू उद्योग का हिस्सा बने उत्पादकों अर्थात् मेसर्स जीएससी ग्लास (पी) लिमिटेड और मेसर्स टीपीआरएस एंटरप्राइजेज ने अपने आयातों और संबद्ध वस्तु के आयातकों/निर्यातकों के साथ अपने संबंधों के लिए सही हस्ताक्षरित घोषणाएं प्रस्तुत नहीं की है।
- ङ. सीसीसीएमई को हितबद्ध पक्षकार माना जाना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों की परिभाषा इस अर्थ में शामिल है और इस प्रकार परिभाषा में विहित पक्षकारों की सूची पूर्ण नहीं है और उक्त परिभाषा में सूचीबद्ध नहीं किया गया कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी पाटनरोधी जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में शामिल किया जा सकता है।
- च. वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार टैरिफ उपशीर्ष 7007 1900 के लिए आयात डाटाबेस के रूप में संबद्ध वस्तु के आयात आंकड़ों को वर्गमीटर (एसक्यूएम) में दर्ज किया गया है। तथापि, आवेदकों ने आयात आंकड़ों से संबंधित सूचना मीट्रिक टन (एमटी) में प्रस्तुत की है। एसक्यूएम से आयात आंकड़ों को एमटी में बदलने के लिए प्रयुक्त पद्धति को आवेदकों द्वारा बताया नहीं गया है।
- छ. आयातों को अलग करने में प्रयुक्त पद्धति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य अंतिम प्रयोगों के लिए टफएंड ग्लास को बाहर रखा जाएगा, प्रकट नहीं किया जाए।
- ज. याचिका में प्रदत्त आयात आंकड़े ग्लास उत्पादों में सौदावार आयात आंकड़ों को प्रभावित करने के अंतर्निहित मुद्दों के कारण विश्वसनीय नहीं हैं।
- झ. प्रतिवादी ने अनुरोध किया है कि आयात आंकड़े प्रवेश बिल ("बीओई") आधार पर सौदावार आयात आंकड़ें नहीं दर्शाते हैं। यह संभव है कि जब संबद्ध वस्तु आयात की गई है तो एकल बीओई को विभिन्न मोटार्ई के ग्लास के लिए बनाया जा सकता है। यह संभव है कि एक बीओई में 1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच मोटार्ई के आयातों के लिए अनेक प्रविष्टियां दी गई हों। तथापि, आयात सौदों में दर्ज संबद्ध वस्तु की मोटार्ई सर्वाधिक मोटार्ई का विवरण हो सकता है। ऐसे मामले में बीओई के मूल्य में बदलाव नहीं

होगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप एमटी आधार पर उच्चतर मात्रा होगी। परिणामस्वरूप प्रति एमटी कीमत घट जाएगी।

- ज. जांच शुरूआत अधिसूचना में डीजी सिस्टम से प्राप्त आयात आंकड़ों के बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी गई है। डीजी सिस्टम से मांगे गए संबद्ध वस्तु के वास्तविक आयात आंकड़ों का प्रकटन नहीं हुआ है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

50. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किये हैं:

- क. चाइना चेंबर ऑफ कॉमर्स फार इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई) को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग) के अनुसार हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है।
- ख. यह दावा कि डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता उद्योग प्रभावित होगा, बिल्कुल निराधार है। शुल्क का संभावित प्रभाव डाउनस्ट्रीम उद्योग पर बहुत कम होगा और अंतिम प्रयोक्ताओं पर लगभग शून्य होगा। 10 प्रतिशत शुल्क लागू करने का प्रभाव अंतिम डाउनस्ट्रीम उद्योग पर *** प्रतिशत से *** प्रतिशत के बीच होगा।
- ग. आयात आंकड़ों के सही होने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जताई गई अशंकाओं के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने याचिका दायर करने के समय अपने पास उपलब्ध निजी आयात आंकड़ों पर भरोसा किया था। डीजीसीआई एंड एस या डीजी सिस्टम्स के आंकड़े आवेदकों को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। वास्तव में जांच शुरूआत अधिसूचना में स्वयं नोट किया गया है कि प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद शुरू की गई है। इस प्रकार इस बारे में जताई गई आशंकाएं निराधार हैं।
- घ. यह अनुरोध किया जाता है कि याचिका से वर्णनात्मक हिस्से में स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदक संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उसके आयातक से संबंधित नहीं है। इस प्रकार, घोषणा में "निर्यातक" का न होना केवल एक टंकण की त्रुटि है और उसका कोई महत्व नहीं है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

51. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि बीआईएस मानक लागू होने से आयातों की मात्रा घट जाएगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पाटित हैं अथवा नहीं। बीआईएस द्वारा की गई कार्रवाई वस्तुओं के गुणात्मक पहलू को प्रभावित करेगी, परंतु संबद्ध वस्तु के पाटन, यदि कोई हो, को प्रभावित नहीं करेगी।
52. आवेदकों द्वारा उनकी याचिका में प्रयुक्त आयात आंकड़ों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जताई गई चिंताओं के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है। इस प्रकार इस वजह से हितबद्ध पक्षकारों के प्रति कोई पक्षपात नहीं हो सकता है।
53. इसके अलावा, जांच शुरूआत के बाद प्राधिकारी को डीजीसीआई एंड एस से सौदावार आयात आंकड़े भी प्राप्त हुए हैं। तथापि, जैसा हितबद्ध पक्षकारों ने नोट किया है और डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों तथा डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों दोनों के साथ सह संबंधित निर्यात आंकड़ों में देखा गया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि जब विभिन्न मोटार्ई की संबद्ध वस्तु का एक विशेष बीजक के अंतर्गत आयात किया जाता है तो डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों में ऐसी समस्त मात्रा दर्ज होती है जो केवल उस एक मोटार्ई शीर्ष के अंतर्गत हो, जबकि डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में एक बीजक में पृथक मदों के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाती है। इसके मद्देनजर सौदों की आवश्यक जांच और अपेक्षित विश्लेषण के बाद डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना करने और

विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातों की मात्रा से सह संबंधित करने तथा प्रस्तुत उत्तरों का सत्यापन करने, जहां तक व्यवहार्य हो, के लिए भरोसा किया गया है।

54. आयातों आंकड़ों को वर्गमीटर से एमटी में बदलने के लिए प्रयुक्त पद्धति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद को भारतीय बाजार में आमतौर पर वर्गमीटर में बेचा जाता है। घरेलू उद्योग उत्पादन, बिक्री, भंडार आदि से संबंधित मात्रात्मक आंकड़े केवल वर्गमीटर में ही रखता है। तथापि, संबद्ध जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग ने ग्लास के मानक भार / घनत्व (2.5 केजी/एम³) के आधार पर सभी मात्रात्मक मापदंडों को वर्गमीटर से एमटी में बदलने का प्रस्ताव किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने ग्लास के मानक भार के आधार पर एमटी में परिकलित सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है।
55. सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार यह नोट किया जाता है कि ग्लास का दावा किया गया मानक भार/ घनत्व ग्लास की मोटाई, ग्लास के घुमाव, ग्लास की कटिंग जैसे कुक टॉप/चिमनी आदि में के आधार पर विभिन्न पीसीएन प्रकारों के लिए अलग-अलग है। अतः निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु के बीच बिल्कुल सटीक तुलना और पाटन तथा क्षति मार्जिन के लिए उचित गणना के लिए प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तु को वर्गमीटर से एमटी भार में बदलने के लिए ग्लास के मानक भार का प्रयोग किया है।
56. आवेदकों द्वारा प्रदत्त गलत घोषणा के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में बताया है कि वे किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं हैं। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों से घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों का सत्यापन किया है और यह मानते हैं कि उन्होंने पीओआई या क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।
57. हितबद्ध पक्षकार के रूप में सीसीसीएमई की पात्रता के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि सीसीसीएमई को विहित समय-सीमा के भीतर संबद्ध जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है। तथापि प्राधिकारी ने फिर भी उचित स्थानों पर सीसीसीएमई द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

58. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में 'सामान्य मूल्य' का तात्पर्य है:

"(ग) किसी वस्तु के संबंध में 'सामान्य मूल्य' का तात्पर्य है-

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश

में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

59. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:
- क. चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) मानना लागू कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं हैं।
- ख. चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15 में संगम प्रावधान जो चीन जन. गण. को एनएमई मानता है, 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया है। अतः वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्राधिकारी को किसी जांच में चीन जन. गण. को एनएमई मानने की अनुमति देता हो।
- ग. यदि प्राधिकारी यह भी निर्धारित करते हैं कि चीन जन. गण. इस जांच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में तीसरी पद्धति (अर्थात् इसकी अन्य तर्कसंगत आधार पर) के अनुसार सामान्य मूल्य सीधे परिकलित नहीं कर सकते हैं।
- घ. प्राधिकारी को पहले निम्न के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए; (i) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य, (ii) ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत। यदि केवल इन दो पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं हो तभी उसे किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।
- ङ. शेनयांग मत्सुशिता, 2005 (181) ईएलटी 320 (एससी) के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी इस विचार का समर्थन करता है कि प्राधिकारी को केवल तभी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। यदि पहली दो पद्धतियां समाप्त हो गई हों।
- च. याचिका में ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है कि प्राधिकारी ने पहली दो पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन क्यों नहीं किया है।
- छ. सामान्य मूल्य के परिकलन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है और इसलिए प्रतिवादियों के लिए इस संबंध में, किसी दावे का उत्तर देना संभव नहीं है।
- ज. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त पाटन मार्जिन पर प्राधिकारी से किसी सत्यापन के बिना भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

60. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. चीन जन. गण. को चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार एनएमई माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1, नियम 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ख. नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा 8 प्राधिकारी के लिए यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ता है कि चीन एक एनएमई है, यदि निर्यातक अन्यथा सिद्ध न कर दें। इसलिए चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(ii) के समाप्त होने पर विचार किए बिना प्राधिकारी पैरा 8 द्वारा यह मानने के लिए बाध्य हैं कि चीन एक एनएमई है।
- ग. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा धारा 15(क)(i) की समाप्ति के बाद स्वयं नहीं मिल जाता है, बल्कि इसके लिए चीन को एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15 के अन्य प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

- घ. निर्यातकों के बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार का काफी हस्ताक्षेप है जो चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देना आवश्यक बना देता है।
- ड. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक चीन के प्रतिवादी निर्यातक नियमावली के अंतर्गत उल्लिखित प्रत्येक मापदंड के संबंध में जांच को पास न कर लें।
- च. चीन जन. गण. से उत्पादकों के बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को हाल की अनेक जांचों में इसी आधार पर अस्वीकार किया गया था।
- छ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध न करें कि प्रमुख निविष्टियों की वास्तविक खरीद कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाएं।
- ज. यदि चीन के निर्यातक यह सिद्ध करने में असमर्थ हों कि उनके लेंखे अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों से संगत है तो बाजार अर्थव्यवस्था आधार अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- झ. यह सिद्ध करना प्राधिकारी का कार्य नहीं है कि प्रतिवादी कंपनियां बाजार अर्थव्यवस्था के महौल में प्रचालन कर रही हैं। परंतु यह प्रतिवादी चीनी निर्यातकों को सिद्ध करना है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन कर रहे हैं।
- ञ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी कंपनी और उसका समूह समग्र रूप से यह दावा करें। यदि समूह को बनाने वाली एक या उससे अधिक कंपनियां उत्तर नहीं देती हैं तो बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे को अस्वीकृत करना चाहिए।
- ट. इस प्रकार चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के आधार पर उसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा डीजीटीआर की संगत प्रक्रिया के अनुसार लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद निर्धारित किया जा सकता है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

61. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थी जिसमें प्राधिकारी द्वारा उनसे विहित प्रपत्र और ढंग से सूचना देने की सलाह दी गई थी। निम्नलिखित उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

- क. फ़ोशान शुंडे देहोंग ग्लास इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- ख. झोंगशान हुआंगपु जिनफुलई ग्लास क्राफ्ट फैक्ट्री
- ग. चुझोऊ झिंजियांग ग्लास एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड
- घ. फ़ोशान शुंडे गौहुआ ग्लास टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- ड. झांगजीगांग वीयू ग्लासवेयर कंपनी लिमिटेड
- च. जियानगिन सिटी हेंग फेंग प्लास्टिक एंड ग्लास कंपनी लिमिटेड
- छ. स्कॉट ग्लास टेक्नोलॉजीज (सुझोऊ) कं, लिमिटेड
- ज. बेनक्सी चेंगक्सिन चेंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड
- झ. लियानयुंगांग चेंगक्सिन ग्लास प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड
- ञ. पिंगहु चेंगक्सिन ग्लास कंपनी लिमिटेड
- ट. जिआंगसु झिउकियांग ग्लासवर्क कंपनी लिमिटेड
- ठ. जियानगिन सुइफेंग ग्लास कंपनी लिमिटेड
- ड. झोंगशान मेयी एप्लायंस कंपनी लिमिटेड

छ.3.1. सामान्य मूल्य का निर्धारण

बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की जांच

62. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थी जिसमें प्राधिकारी द्वारा उनसे विहित प्रपत्र और ढंग से सूचना देने की सलाह दी गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने के लिए संगत प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

63. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफसाफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने - उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था, वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण मूल्य की तुलनीयता का की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी

मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

64. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) तथा अनुबंध-1 के पैरा 7 पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में विनिर्माण, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। आवेदक ने बताया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है, तो सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।
65. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं। तथापि, एक्सेशन प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाठनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है। यह नोट किया जाए कि चूंकि चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए सामान्य मूल्य परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार करना अपेक्षित है।
66. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है इसलिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जिसका पाठन निम्नानुसार है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देकते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-1 के पैरा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य मूल्य को किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य, या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तथापि, जब ऐसा आधार संभव न हो, केवल तभी प्राधिकारी भारत में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।

68. नियमावली के अनुबंध-1 पैरा 7 के अनुसार प्राधिकारी किसी तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की तीसरी पद्धति को तब अपना सकते हैं जब उन्होंने पहली पद्धति अर्थात् तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य और दूसरी पद्धति अर्थात् किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत को समाप्त कर लिया हो। तथापि, यह नोट किया जाता है कि पहली दो पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए पक्षकारों द्वारा कोई सूचना/साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। प्राधिकारी को बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में संबद्ध वस्तु की कीमत या परिकलित कीमत, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत संबंधित सूचना नहीं दी गई है। इसके अलावा, भारत (संबद्ध देश को छोड़कर) में अन्य देशों से आयात भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयातों की तुलना में काफी कम (143 एमटी) हैं। उक्त सूचना/साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी तीसरी पद्धति अर्थात् किसी अन्य तर्कसंगत आधार के अनुसार सामान्य मूल्य के परिकलन का निर्णय लेते हैं। परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुबंध-1 पैरा vii में यथा निर्धारित "भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत" के अनुसार निर्धारित किया गया है। सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में बिक्री सामान्य तथा प्रशासनिक खर्च और लाभ के लिए तर्कसंगत योग करके उसके आधार पर परिकलित किया गया है।

छ.3.2. निर्यात कीमत का निर्धारण

सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

i. मेसर्स फोशान शुंडेदेहोंग ग्लास इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन. गण., मेसर्स फोशान वालसिन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस कंपनी लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) चीन जन. गण. और मेसर्स हालटेक इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) हांग कौंग

69. पीओआई के दौरान फोशान शुंडेदेहोंग ग्लास इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर ने भारत को अपने असंबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् फोशान वालसिन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से डिलीवर्ड (कारखानाद्वारा) आधार पर ***आरएमबी बीजक मूल्य पर *** संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। इसके अलावा, फोशान वालसिन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण. ने भी भारत को दूसरे संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् हालटेक इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, हांग कौंग के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध वस्तु का निर्यात भी किया है, और हालटेक इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, हांग कौंग ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक / निर्यातक ने केवल ऋण लागत पर समायोजन का दावा किया है क्योंकि वस्तुओं का भारत को डिलीवर्ड (कारखानाद्वारा) आधार पर निर्यात किया गया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित कारखानाद्वारा स्तर पर निवल निर्यात कीमत का पीसीएन वार भारित औसत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ii. मेसर्स झोंगशान हुआंगपु जिनफुलाई ग्लास क्राफ्ट फैक्ट्री (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन. गण., मेसर्स फोशान डिंपल इलेक्ट्रिक एप्लायंस कंपनी लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) चीन जन. गण. और मेसर्स डिंपल एचके लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) हांग कौंग

70. पीओआई के दौरान झोंगशान हुआंगपु जिनफुलाई ग्लास क्राफ्ट फैक्ट्री, चीन जन. गण. (जिसे आगे जिन फोलाई कहा गया है) ने एक असंबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् फोशान डिंपल इलेक्ट्रिक एप्लायंस कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. के जरिये डिलीवर्ड (कारखानाद्वारा) आधार पर भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है जिसमें से फोशान डिंपल इलेक्ट्रिक एप्लायंस कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. ने *** संबद्ध वस्तु का भारत को

भारत में असंबंधित उपभोक्ता को सीधे निर्यात किया है और शेष *** एमटी को दूसरे संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् डिंपल एचके लिमिटेड, हांग काँग के जरिए भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया गया है। उत्पादक / निर्यातक ने केवल ऋण लागत पर समायोजन का दावा किया है क्योंकि वस्तुओं का भारत को डिलीवर्ड (कारखानाद्वारा) आधार पर निर्यात किया गया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित कारखानाद्वारा स्तर पर निवल निर्यात कीमत का पीसीएन वार भारित औसत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

iii. मेसर्स फ़ोशान शुंडेगओहुआ ग्लास टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन. गण. और मेसर्स झोंगशान कुसिनर्ट इंटेलिजेंट किचन कंपनी लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) चीन जन. गण.

71. पीओआई के दौरान फ़ोशान शुंडेगओहुआ ग्लास टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. (जिसे आगे गोओहुआ कहा गया है) ने एक असंबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् झोंगशान कुसिनर्ट इंटेलिजेंट किचन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से भारत को एक संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। इसके अलावा, झोंगशान कुसिनर्ट इंटेलिजेंट किचन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. ने केवल असंबंधित उपभोक्ताओं को भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने भारत को *** संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

iv. चुझोऊ झिंजियांग ग्लास एप्लायंसेज कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.

72. पीओआई के दौरान चुझौ झिंजियांग ग्लास एप्लायंसेज कं, लिमिटेड, चीन जन. गण. ने केवल असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने एफओबी आधार पर भारत को भी *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने अंतरदेशीय परिवहन, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित कारखानाद्वारा स्तर पर निवल निर्यात कीमत का पीसीएन वार भारित औसत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

v. स्कॉट ग्लास टेक्नोलॉजीज (सूझोऊ) कं, लिमिटेड.

73. स्कॉट ग्लास टेक्नोलॉजीज (सूझोऊ) कं, लिमिटेड (जिसे आगे "स्कॉट ग्लास" कहा गया है) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। स्कॉट ग्लास ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तु का उत्पादन और सीधे निर्यात किया है। स्कॉट ग्लास विहित निर्यातक प्रश्नावली प्रपत्र में संगत सूचना दी है।

74. स्कॉट ग्लास ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 3क में भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यातों से संबंधित पीसीएन वार सूचना दी है। यह नोट किया गया है कि स्कॉट ग्लास ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को एफओबी डिलीवरी शर्तों पर *** एमटी संबद्ध वस्तु का उत्पादन और निर्यात किया है। स्कॉट ग्लास ने अंतरदेशीय परिवहन पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है जिसकी सत्यापन के बाद प्राधिकारी ने अनुमति दी है।

75. प्राधिकारी ने स्कॉट ग्लास द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में दी गई भारत को निर्यातों संबंधी पीसीएन वार जानकारी का सत्यापन किया है। स्कॉट ग्लास के लिए निर्धारित भारित औसत पाटन मार्जिन नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

vi झांगजीयागांग वेइयू ग्लासवेयर कंपनी लिमिटेड (वेइयू ग्लासवेयर), झांगजीयागांग वेइयू इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (वेइयू ट्रेडिंग), और वेइकांग (हांगकांग) लिमिटेड

76. वेइयू ग्लासवेयर ने अपने संबंधित व्यापारी वेइयू ट्रेडिंग, चीन और असंबंधित व्यापारी वेइकांग (हांगकांग) लिमिटेड के साथ निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है। उत्तर से यह नोट किया गया है कि वेइयू ग्लासवेयर द्वारा वेइयू ट्रेडिंग चीन को *** संबद्ध वस्तु बेची गई है। वेइयू ट्रेडिंग, चीन ने इसके बाद असंबंधित व्यापारी वेइकांग (हांगकांग) लिमिटेड के जरिए भारत को इसका निर्यात किया है। अंतरदेशीय परिवहन के संबंध उक्त उत्पादक और व्यापारी द्वारा समायोजनों का दावा किया गया है। आवश्यक डेस्क सत्यापन के बाद उक्त समायोजनों की अनुमति दी गई है। इसके अलावा संबंधित और असंबंधित व्यापारी दोनों को भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यात में घाटा हुआ है। अतः निर्यात कीमत में घाटों का समुचित समायोजन किया गया है। तदनुसार, वेइयू ग्लासवेयर के लिए निर्धारित भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

vii. जियानगिन सिटी हेंगफेंग प्लास्टिक एंड ग्लास कंपनी लिमिटेड (हेंगफेंग)

77. हेंगफेंग ने यह सूचित करते हुए निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है कि कंपनी ने स्वयं द्वारा उत्पादित *** एमटी संबद्ध वस्तु का भारत को सीधे निर्यात किया है। अंतरदेशीय भाड़ा, पत्तन प्रभार और अन्य संबंधी व्यय और ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया गया था। तथापि, इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हेंगफेंग ने केवल पीओआई के दौरान वाशिंग मशीन में प्रयुक्त केवल कर्वड रंगीन टफएंड ग्लास का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने इस प्रकार टफएंड ग्लास को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा है क्योंकि पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग ने उसका उत्पादन नहीं किया है।
78. तदनुसार, प्राधिकारी ने हेंगफेंग के लिए अलग पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं करने का निर्णय लिया है।

viii. मैसर्स जियांगयिन सुइफेंग ग्लास कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) जो संबंधित निर्यातक मैसर्स झांगजियागैंग कियानचेन एप्लायंस कंपनी लिमिटेड के जरिए संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रहा है।

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक मैसर्स जियांगयिन सुइफेंग ग्लास कंपनी लिमिटेड (सुइफेंग) ने पीओआई के दौरान संबंधित निर्यातक मैसर्स झांगजियागैंग कियानचेन एप्लायंस कंपनी लिमिटेड (कियानचेन) के जरिए संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। पूर्वोक्त दोनों उत्पादक और निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का अपना अलग-अलग विस्तृत उत्तर दिया है और निवल निर्यात कीमत (एनईपी) के निर्धारण हेतु सूचना प्रदान की है। पीओआई के दौरान पूर्वोक्त कंपनियों ने अपने निर्यातों के *** अमरीकी डॉलर के कुल एफओबी मूल्य वाली कुल *** एमटी मात्रा का भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन और संभलाई खर्च तथा ऋण लागत के लिए उनके द्वारा समायोजन का दावा किया गया है। उक्त समायोजनों की आवश्यक डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। तदनुसार सुइफेंगिस के लिए निर्धारित भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ix. मैसर्स झोंगशान मेयी एप्लायंस कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) जो असंबंधित निर्यातक मैसर्स झोंगशान फूडस्टफ्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड ऑफ ग्वांगडोंग के जरिए संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रहा है।

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक मैसर्स झोंगशान मेयी एप्लायंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे मेयी कहा गया है) ने ग्वांगडोंग के मैसर्स झोंगशान फूडस्टफ्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड ऑफ ग्वांगडोंग (जिसे आगे झोंगशान फूडस्टफ्स कहा गया है) के जरिए पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। पूर्वोक्त दोनों

उत्पादक और निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का अपना अलग-अलग विस्तृत उत्तर दिया है और निवल निर्यात कीमत (एनईपी) के निर्धारण हेतु सूचना प्रदान की है। पीओआई के दौरान पूर्वोक्त कंपनियों ने भारत को एफओबी आधार पर संबद्ध वस्तु की *** एमटी कुल मात्रा का निर्यात किया है। अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन और संभलाई खर्च तथा ऋण लागत के लिए उनके द्वारा समायोजन का दावा किया गया है। उक्त समायोजनों की आवश्यक डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। तदनुसार मेयी के लिए निर्धारित भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

x. मैसर्स जिआंगसु शिउकियांग ग्लासवर्क कंपनी लिमिटेड

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक मैसर्स जिआंगसु शिउकियांग ग्लासवर्क कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे शिउकियांग कहा गया है) ने पीओआई के दौरान भारत को सीधे संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है और निर्यातक का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया है। पीओआई के दौरान पूर्वोक्त कंपनी ने भारत को एफओबी मूल्य आधार पर संबद्ध वस्तु की *** एमटी कुल मात्रा का निर्यात किया है। अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन और संभलाई खर्च तथा ऋण लागत के लिए उनके द्वारा समायोजनों का दावा किया गया है। उक्त समायोजनों की आवश्यक डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। तदनुसार शिउकियांग के लिए निर्धारित भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

xi. बेनक्सी चेंगक्सिन चेंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड, लियानयुंगांग चेंगक्सिन ग्लास प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड और पिंगु चेंगक्सिन ग्लास कंपनी लिमिटेड

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बेनक्सी चेंगक्सिन चेंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड (बेनक्सी) और लियानयुंगांग चेंगक्सिन ग्लास प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (लियानयुंगांग) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के संबंधित उत्पादक हैं और दोनों उत्पादकों ने संबंधित निर्यातक पिंगु चेंगक्सिन ग्लास कंपनी लिमिटेड (पिंगु) के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। पीओआई के दौरान बेनक्सी ने भारत को एफओबी आधार पर संबद्ध वस्तु की *** एमटी कुल मात्रा का निर्यात किया है। अंतरदेशीय परिवहन के लिए उनके द्वारा समायोजनों का दावा किया गया है। उक्त समायोजनों की डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। तदनुसार बेनक्सी के लिए निर्धारित भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

83. पीओआई के दौरान लिआंगयुंग ने भारत को एफओबी आधार पर संबद्ध वस्तु की *** एमटी कुल मात्रा का निर्यात किया है। अंतरदेशीय परिवहन के लिए उनके द्वारा समायोजनों का दावा किया गया है। उक्त समायोजनों की डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। तदनुसार लिआंगयुंग के लिए निर्धारित भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन

84. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच में सहयोगी उत्पादक बेनक्सी चेंगक्सिन चेंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कं, लिमिटेड और लियानयुंगांग चेंगक्सिन ग्लास प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड और निर्यातक पिंगु चेंगक्सिन ग्लास कं, लिमिटेड एक दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। समान समूह के संबंधित निर्यातक उत्पादकों या निर्यातक उत्पादकों को पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए एक एकल कंपनी मानने की प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया रही है और इसलिए उनके लिए एक एकल पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाता है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है कि अलग-अलग पाटन मार्जिन परिकल्पित करने से पाटनरोधी उपायों के प्रवंचना को बढ़ावा मिल सकता है, इस प्रकार वे सबसे कम अलग पाटन मार्जिन वाली कंपनी के जरिए भारत को उनके निर्यात भेज कर संबंधित निर्यातक उत्पादकों को सक्षम बनाकर उपायों को निष्प्रभावी कर सकते हैं।

85. उक्त के अनुसार समान समूह के संबंधित निर्यातक उत्पादकों को एक एकल कंपनी माना जाता है और उन्हें एकल पाटन मार्जिन प्रदान किया जाता है जिसे संबंधित समूहों में सहयोगी उत्पादकों के पाटन मार्जिन के भारित औसत के आधार पर परिकलित किया जाता है।

चीन जन. गण. से असहयोग उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

86. ऐसे सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

छ.3.3. पाटन मार्जिन का निर्धारण

87. संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

| क्र.सं. | उत्पादक का नाम | मुद्रा/इकाई | परिकलित सामान्य मूल्य | निर्यात कीमत | पाटन मार्जिन | पाटन मार्जिन | पाटन मार्जिन (रेंज) |
|---------|---|----------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | फ़ोशान शुंडेदेहोंग ग्लास इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड | यूएस डॉलर/एमटी | *** | *** | *** | *** | ऋणात्मक |
| 2 | झोंगशान हुआंगपु जिनफुलाई ग्लास क्राफ्ट फैक्ट्री | यूएस डॉलर/एमटी | *** | *** | *** | *** | ऋणात्मक |
| 3 | चुझोऊ झिंजियांग ग्लास एप्लायंस कंपनी लिमिटेड | यूएस डॉलर/एमटी | *** | *** | *** | *** | 20-30 |
| 4 | फ़ोशान शुंडेगौहूआ ग्लास टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड | यूएस डॉलर/एमटी | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| 5 | झांगजीगांग वीयू ग्लासवेयर कंपनी लिमिटेड | यूएस डॉलर/एमटी | *** | *** | *** | *** | 30-40 |
| 6 | स्कॉट ग्लास टेक्नोलॉजीज (सुझोऊ) कं, लिमिटेड | यूएस डॉलर/एमटी | *** | *** | *** | *** | ऋणात्मक |
| 7 | बेनक्सी चेंगक्सिन चेंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड | यूएस डॉलर/एमटी | *** | *** | *** | *** | *60-70 |
| 8 | लियानयुंगांग चेंगक्सिन ग्लास प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड | यूएस डॉलर/एमटी | *** | *** | *** | *** | *60-70 |
| 9 | जिआंगसु शियुक्वियांग ग्लासवर्क कंपनी लिमिटेड | यूएस डॉलर/एमटी | *** | *** | *** | *** | ऋणात्मक |
| 10 | जियानगिन सुइफेंग ग्लास कंपनी लिमिटेड | यूएस डॉलर/एमटी | *** | *** | *** | *** | 0-10 |
| 11 | झोंगशान मेयी एप्लायंस कंपनी लिमिटेड | यूएस डॉलर/एमटी | *** | *** | *** | *** | 0-10 |
| 12 | अन्य | यूएस डॉलर/एमटी | *** | *** | *** | *** | 60-70 |

* भारित औसत, पाटन मार्जिन, पाटन मार्जिन प्रतिशत और पाटन मार्जिन रेंज

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

88. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क. घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच में कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, उत्पादकता, कर्मचारियों की संख्या आदि जैसे सभी मात्रा संबंधी मापदंडों में क्षति जांच अवधि के लिए भारी वृद्धि हुई है।
- ख. आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एडीए के अनुच्छेद 3.2 और नियमावली के नियम अनुबंध-II पैरा (ii) के अंतर्गत कोई भारी कीमत प्रभाव सिद्ध नहीं करते हैं।
- ग. आवेदन के भाग के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा ऐसा कोई ब्यौरा/साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे हितबद्ध पक्षकार समग्र या सापेक्ष रूप से आयातों में वृद्धि का आकलन कर सकें।
- घ. घरेलू बिक्री कीमत में क्षति जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है। चीन से सीआईएफ कीमत जिसे केवल सूचीबद्ध संख्या में दिया गया है, के आधार पर चीन की आयात कीमत में दूसरी ओर क्षति जांच अवधि के दौरान 38 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। तथापि, जब घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट की वस्तुनिष्ठ ढंग से जांच की गई है तो यह देखा जा सकता है कि आयात कीमतों और घरेलू कीमतों के बीच कोई संबंध नहीं है। ये दोनों अलग-अलग दिशा में जा रहे हैं।
- ड. घरेलू उद्योग के आरोप के अनुसार लागत में मामूली गिरावट के संबंध में यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की प्रति एमटी लागत में क्षति जांच अवधि के दौरान 36 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है जिसे मामूली गिरावट मानने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह अनुरोध है कि प्रति एमटी लागत में पीओआई में 36 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। तथापि, घरेलू बिक्री कीमत में आधार वर्ष 2018-19 की तुलना में पीओआई में केवल 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि घरेलू बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग की लागत के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध है क्योंकि घरेलू बिक्री कीमत में लागत में गिरावट का अनुसरण किया है।
- च. घरेलू बिक्री कीमत और अन्य देशों से आयात कीमत के बीच प्रत्यक्ष संबंध है।
- छ. कीमत कटौती को तब तक क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है जब तक घरेलू उद्योग की बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग आदि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और वर्तमान जांच में ऐसा नहीं हुआ है।
- ज. वर्तमान जांच में परिकलित कीमत कटौती घरेलू उद्योग द्वारा आयात आंकड़ों के मनमाने प्रयोग के आधार पर परिकलित की गई है। अतः कीमत कटौती के आधार पर वर्तमान जांच में किसी क्षति का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।
- झ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने "ब्रिज स्टोन" के मामले के साथ वर्तमान मामले की समानता बनाने की मांग की है।
- ञ. घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता में कोई बदलाव नहीं हुआ है और क्षति जांच अवधि में यह समान बनी रही है। घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में क्षति जांच अवधि में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पीयूसी का उत्पादन आधार वर्ष 2018-19 में 100 से बढ़कर पीओआई में 328 हो गया है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी के उत्पादन में 228 प्रतिशत की भारी वृद्धि की गई है। इसके अलावा, पीओआई में घरेलू उद्योग के पीयूसी के उत्पादन में वृद्धि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21 की तुलना में 45

प्रतिशत आधार बिंदुओं तक रही है और उत्पादन में यह वृद्धि घरेलू कीमतों में 15 प्रतिशत मूल बिंदुओं की भारी वृद्धि के साथ-साथ हुई है। उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग में कोई क्षति नहीं हुई है।

- ट. आवेदकों ने आवेदन में यह माना है कि घरेलू उद्योग के बिक्री मात्रा में क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और इसलिए घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में कोई क्षति नहीं हुई है।
- ठ. आवेदकों ने स्वीकार किया है कि कर्मचारियों की संख्या तथा उन्हें प्रदत्त मजदूरी में क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ड. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि मांग में वृद्धि के बावजूद औसत भंडार में वृद्धि हुई है। यह अनुरोध किया गया है कि वर्तमान जांच में उत्पाद की प्रकृति को देखते हुए क्षति जांच के लिए यह कारक संगत नहीं है। घरेलू उद्योग ने आवेदन में स्वयं बताया है कि कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त ग्लास को टफनिंग की प्रक्रिया से पहले उपभोक्ता द्वारा जरूरी आकार के अनुसार कट, ड्रिल और ग्राइंड किया जाता है। ऐसा इस कारण से है कि टफनिंग की प्रक्रिया के बाद ग्लास को काटा, ड्रिल या ग्राइंड नहीं किया जा सकता है। अतः घरेलू उद्योग के पास मालसूची, यदि कोई हो, तो उपभोक्ता विशिष्ट होगी और भेजने के लिए प्रतीक्षारत होगी न कि इस तथ्य के कारण है कि घरेलू उद्योग पीयूसी को बेचने में सक्षम नहीं है।
- ढ. घरेलू उद्योग को घाटों में क्षति जांच अवधि में 73 प्रतिशत बिंदुओं का जबरदस्त सुधार हुआ है। इसी प्रकार घरेलू उद्योग के आरओसीई और नकद लाभ में भी यही रूझान रहा है और सुधार हुआ है।
- ण. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में 253 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में ऐसी वृद्धि किसी भी तरह से काफी अधिक है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की बिक्री और बाजार हिस्से दोनों में वृद्धि की दर मांग में वृद्धि की दर से काफी अधिक रही है।
- त. अन्य प्रमुख घरेलू उत्पादकों को शामिल नहीं करने का एक मात्र संभावित कारण प्राधिकारी को गलत और गैर प्रतिनिधि आंकड़े देकर गुमराह करना है। बाजार आसूचना से इन उत्पादकों को आवेदकों द्वारा काफी लाभप्रद पाया गया है। इसलिए क्षति मार्जिन की गणना में उन्हें शामिल करने से न केवल अधिक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी, बल्कि वह समूचे उद्योग का अधिक प्रतिनिधित्व करेगी।
- थ. घरेलू उद्योग को क्षति का मुख्य कारण उत्पादों के अपेक्षित विनिर्देशनों को पूरा नहीं करना और व्हेलपूल जैसे प्रमुख प्रयोक्ताओं के विनिर्देशनों के अनुसार पीयूसी के विनिर्माण में असमर्थता है। घरेलू उद्योग के उत्पाद में काफी अधिक अस्वीकृति होती है क्योंकि वे प्रयोक्ताओं के मापदंडों या विनिर्देशनों का पालन नहीं करते हैं। खराब फिनिश, असमान किनारे, खराब गुणवत्ता की पॉलिश और गलत आयाम घरेलू उत्पादकों के उत्पाद की स्थायी विशेषता है।
- द. आवश्यक कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण भी घरेलू उत्पादकों की ओर से कम क्षमता उपयोग होता है जिससे प्रयोक्ताओं की मांग को पूरा करने में उनकी अक्षमता से होने वाली क्षति और अधिक बढ़ जाती है।
- ध. प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए "सर्वोत्तम उपयोग" सिद्धांत को अपनाना चाहिए कि प्रति इकाई उच्च स्थिर लागत के प्रभाव को सामान्य बनाया जा सके।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

89. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. रिकार्ड में आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है।
- ख. संबद्ध देश से पीयूसी की आयातों की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई है। आयातों में वृद्धि समग्र और सापेक्ष दोनों तरह से हुई है।
- ग. आयातों की पहुंच मूल्य के कारण देश में संबद्ध वस्तु की कीमत में कटौती होना जारी है।
- घ. चीन से आयात कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री प्राप्ति से काफी कम है जिससे कीमत हास/न्यूनीकरण का पता चलता है। कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है और पूरी क्षति जांच अवधि में काफी अधिक रही है।

- ड. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर आयातों का काफी अधिक ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग के पास देश में पीयूसी की पर्याप्त मांग होने के बावजूद काफी अधिक अप्रयुक्त क्षमता है।
- च. घरेलू उद्योग की बिक्री में देश में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि के अनुसार वृद्धि नहीं हुई है। यह बात इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि यद्यपि मांग में आयातों के हिस्से में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परंतु घरेलू उत्पादकों के मांग में हिस्से में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- छ. आयातों द्वारा कीमत पर दबाव से यह सुनिश्चित हुआ है कि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं कर सका है। इस वजह से भारी घाटे और ऋणात्मक आरओसीई रही है।
- ज. कम कीमत के आयातों में घरेलू उद्योग को विचित्र स्थिति में ला दिया है जहां पर जब भी घरेलू उद्योग अच्छा बाजार हिस्सा प्राप्त करने का प्रयास करता है तब उसे घाटे में अपने उत्पाद को बेचना पड़ता है। यह समस्या पीओआई में बिल्कुल स्पष्ट है। जब घरेलू उद्योग अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा है, परंतु कम बिक्री कीमत के कारण घाटे में बना रहा है।
- झ. घरेलू उद्योग के कुछ मापदंडों में किसी सुधार का यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। डब्ल्यूटीओ के स्थापित न्यायशास्त्र, प्राधिकारी की पूर्व प्रक्रिया और भारत में न्यायालयों के पूर्व उदाहरण के अनुसार क्षति संबंधी मापदंडों की जांच चुनिंदा रूप से नहीं की जा सकती है जैसा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताया गया है।
- ञ. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटन से इतर कारकों से क्षति उठानी पड़ी है। केवल निराधार विवरण दिये गये हैं। अतः हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की अनदेखी करनी चाहिए।
- ट. यद्यपि आयातों में वृद्धि हुई है, परंतु आयात कीमतों में सुधार हुआ है। इसके कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमत को बढ़ाने और घाटे कम करने में सक्षम रहा था। तथापि, आयात कीमतें घरेलू उद्योग की लागत और कीमतों से कम बनी रही हैं। घरेलू उद्योग आयात कीमतों से मुकाबला करने में असमर्थ हैं जिसके परिणामस्वरूप आर्डर और बाजार हिस्से में नुकसान हुआ है। इस बात से पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध साफ तौर पर सिद्ध होता है।
- ठ. कोविड के प्रकोप के बावजूद चीन के निर्यातक भारतीय बाजार में प्रभुत्व की स्थिति बनाये हुये हैं और उनके पास 60 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सा है। इसके अलावा, भारतीय बाजार में उत्पादन लागत, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम पर पाटन किया जाना जारी है।
- ड. घरेलू उद्योग के निष्पादन मापदंड देश में पीयूसी की मांग में भारी वृद्धि के बावजूद या तो घटे हैं या स्थिर बने रहे हैं। मांग में ऐसी वृद्धि के बावजूद पीयूसी के संदर्भ में घरेलू उद्योगों की क्षमतायें पूरी क्षति अवधि में अप्रयुक्त रही हैं। जबकि चीन से आयात बढ़ते रहे हैं। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति चीन से पाटित आयातों के कारण हुई है।
- ढ. यह अनुरोध किया गया था कि घरेलू बाजार के मांग में भारी वृद्धि है। तथापि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इसी के साथ मांग में संबद्ध देश से बाजार हिस्से में आधार वर्ष से पीओआई तक भारी वृद्धि हुई है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

90. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोधों को नोट किया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर विधिवत रूप से विचार करने के बाद नियमावली के अनुसार विभिन्न मापदंडों की जांच की है। जहां प्राधिकारी द्वारा किये गये क्षति विश्लेषण से वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों का समाधान किया गया है।
91. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम-11 यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में किसी क्षति जांच में " पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. "... घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की

- कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
92. पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव से संबंधित अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान आयातों में भारी वृद्धि हुई है। देश में उत्पादन और खपत/मांग की दृष्टि से आयातों की मात्रा में क्षति जांच अवधि के दौरान काफी अधिक वृद्धि प्रदर्शित होती है।
93. पाटित आयातों के कीमत प्रभाव से संबंधित अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात कीमतों में क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। दूसरी ओर घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति और बिक्री लागत में गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि चीन से आयात कीमत में वृद्धि हुई है, परंतु वह घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत से कम बनी हुई है। चीन से आयातों की कम कीमत के कारण घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को घटाने पर मजबूर हुआ है। संबद्ध देश से आयातों द्वारा पड़ने वाले कीमत दबाव की मात्रा इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में भारी गिरावट और आयात कीमत में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग अब भी अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आयात कीमतें अब भी घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति से कम हैं।
94. इस अनुरोध के संबंध में कि अन्य देशों से आयात कीमतों और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के बीच प्रत्यक्ष सह संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से आयात मामूली मात्रा में हुए हैं। ऐसी मामूली मात्राएं घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती हैं।
95. इस तर्क के संबंध में कि कीमत कटौती में *ब्रिजस्टोन* मामले के अनुसार क्षति का कारक नहीं माना जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत कटौती की जांच केवल पाटित आयातों से कीमत प्रभाव से निर्धारण के लिए की गई है। अनुबंध-II द्वारा यथा अधिदेशित क्षति का विश्लेषण पैरा (iv) के अंतर्गत सूचीबद्ध अनिवार्य कारकों के संदर्भ में इस अंतिम जांच परिणाम में किया गया है।
96. इस अनुरोध के संबंध में कि कीमत कटौती को आवेदक द्वारा आयात आंकड़ों के मनमाने/गलत प्रयोग के आधार पर परिकलित किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में कीमत कटौती प्राधिकारी द्वारा डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आयात आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है।
97. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, रोजगार और मजदूरी आदि जैसे मापदंडों में काफी सुधार हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे मापदंडों में सुधार अधिकांशतः 2020-21 में टीपीआरएस एंटरप्राइजेज पीयूसी का उत्पादन शुरू करने के कारण हुआ है।
98. घरेलू उद्योग की औसत स्टॉक/मालसूची से संबंधित दलील के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि संबद्ध वस्तु आर्डर पर निर्मित उत्पाद है इसलिए मालसूची में परिवर्तन वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में क्षति का संगत कारक नहीं है।

99. प्राधिकारी इस तथ्य को नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की मांग में काफी वृद्धि हुई है, परंतु घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इसी अवधि के दौरान मांग में संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में भारी वृद्धि हुई है।
100. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि जब भी घरेलू उद्योग अच्छा बाजार हिस्सा लेने का प्रयास करता है तो उसे अपने उत्पाद घाटे में बेचने पड़ते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड में साक्ष्य दर्शाते हैं कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में लाभप्रद स्तर तक वृद्धि करने से प्रतिबंधित / रोका जा रहा है।
101. प्राधिकारी इस तथ्य को भी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात कीमत की बराबरी करने के लिए घरेलू बिक्री कीमत में भारी गिरावट के बावजूद घरेलू उत्पादक अब भी आयात कीमतों की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण मांग में संबद्ध देश से आयातों के हिस्से में पीओआई में काफी वृद्धि की प्रवृत्ति निरंतर देखी गई है।

I. पाटित आयातों की मात्रा और मांग/खपत

102. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से लिये गये सौदावार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा, पाटित आयातों का हिस्सा और क्षति जांच अवधि के दौरान मांग निम्नानुसार है:

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (पीओआई) |
|--|----------|---------|---------|---------|--------------------|
| घरेलू उद्योग की बिक्रियां | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 122 | 307 | 357 |
| अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 91 | 78 | 63 |
| कुल घरेलू बिक्रियां | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 94 | 97 | 88 |
| चीन जन. गण. से आयात | एमटी | 15619 | 15358 | 20390 | 30176 |
| गैर पाटित आयात | एमटी | 0 | 0 | 0 | 2607 |
| चीन जन. गण. से पाटित आयात | एमटी | 15619 | 15358 | 20390 | 27569 |
| अन्य देशों से आयात | एमटी | 480 | 546 | 1535 | 143 |
| कुल आयात | एमटी | 16099 | 15904 | 21926 | 30319 |
| आयात में चीन जन. गण. की % हिस्सेदारी | % | 97% | 97% | 93% | 100% |
| कुल आयात में चीन जन. गण. से पाटित आयातों का % हिस्सा | % | 97% | 97% | 93% | 91% |
| कुल आयात में अन्य देशों का % हिस्सा | % | 3% | 3% | 7% | 0% |
| कुल मांग/खपत | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 96 | 118 | 141 |

103. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग में पूरी क्षति अवधि के दौरान 2019-20 और 2018-19 में मामूली गिरावट को छोड़कर वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में भी क्षति जांच अवधि में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से पाटित आयात आधार वर्ष में 15619 एमटी से लगभग दोगुने होकर पीओआई

में 27569 हो गए हैं। इसी के साथ आयातों में अन्य देशों के हिस्से में गिरावट आई है। इसके अलावा, मांग में संबद्ध देश से आयात के हिस्से में भी आधार वर्ष में *** प्रतिशत से पीओआई में *** प्रतिशत की वृद्धि है।

II. उत्पादन और खपत की दृष्टि से संबद्ध देश से आयात

104. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि का समग्र रूप से तथा सापेक्ष रूप से प्रत्येक वर्ष घरेलू उत्पादन के साथ आयातों की तुलना करके विश्लेषण किया है।

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (पीओआई) |
|--|----------|---------|---------|---------|-----------------|
| संबद्ध देश से आयात | एमटी | 15,619 | 15,358 | 20,390 | 30,176 |
| संबद्ध देश से पाटित आयात | एमटी | 15,619 | 15,358 | 20,390 | 27,339 |
| घरेलू उत्पादन (आवेदक) | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 122 | 313 | 371 |
| घरेलू उत्पादन (समर्थक - नंदा ग्लास) | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 107 | 113 | 102 |
| घरेलू उत्पादन (समर्थक - श्री अष्टविनायक) | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 118 | 86 | 71 |
| घरेलू उत्पादन (आवेदक + समर्थक) | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 113 | 135 | 133 |
| घरेलू उत्पादन (अन्य उत्पादक) | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 74 | 58 | 41 |
| कुल भारतीय उत्पादन | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 94 | 97 | 88 |
| उत्पादन (कुल भारतीय उत्पादन) की तुलना में संबद्ध देश का प्रतिशत हिस्सा | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 104 | 135 | 220 |
| संबद्ध देश से पाटित आयात का प्रतिशत (कुल भारतीय उत्पादन) | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 105 | 135 | 202 |

105. यह देखा गया है कि:

- क. चीन जन. गण. से पाटित आयातों के हिस्से में क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ख. पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान आवेदकों द्वारा उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। जबकि अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन में गिरावट आई है।
- ग. उत्पादन के संबंध में आयातों की मात्रा में आधार वर्ष में *** प्रतिशत से पीओआई में *** प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

III. पाटित आयातों के कीमत प्रभाव

106. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती। इस संबंध में संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत और संबद्ध वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के बीच तुलना की गई है।

क. कीमत कटौती

107. कीमत कटौती निर्धारित करने के लिए उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत, सभी छूट और करों के निवल, व्यापार के समान स्तर पर तुलना की गई है।

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (पीओआई) |
|----------------------------------|----------|---------|---------|---------|--------------------|
| आयात की पहुंच कीमत | रू./एमटी | 65425 | 63223 | 66257 | 79093 |
| पाटित आयात की पहुंच कीमत | रू./एमटी | 65425 | 63223 | 66257 | 73452 |
| घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत | रू./एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 67 | 60 | 74 |
| कीमत कटौती | रू./एमटी | *** | *** | *** | *** |
| कीमत कटौती | % | *** | *** | *** | *** |
| कीमत कटौती | रेंज | 80-90 | 20-30 | 0-10 | 10-20 |
| कीमत कटौती (पाटित आयात) | रू./एमटी | *** | *** | *** | *** |
| कीमत कटौती (पाटित आयात) | % | *** | *** | *** | *** |
| कीमत कटौती (पाटित आयात) | रेंज | 80-90 | 20-30 | 0-10 | 10-20 |

108. यह नोट किया गया है कि कीमत कटौती संपूर्ण जांच अवधि सकारात्मक रही है। कीमत कटौती पीओआई में वृद्धि के साथ 2020-21 घटती रही है।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

109. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव कीमतों में भारी कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना की पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है।

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (पीओआई) |
|-------|-------|---------|---------|---------|--------------------|
|-------|-------|---------|---------|---------|--------------------|

| | | | | | |
|---|----------|-------|-------|-------|-------|
| बिक्री की लागत | रू./एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 93 | 66 | 55 |
| बिक्री कीमत | रू./एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 67 | 60 | 74 |
| संबद्ध देश से पहुंच मूल्य | रू./एमटी | 65425 | 63223 | 66257 | 79093 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 97 | 101 | 121 |
| संबद्ध देश से पाटित आयातों का पहुंच मूल्य | रू./एमटी | 65425 | 63223 | 66257 | 73452 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 97 | 101 | 112 |

110. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम है। आयातों का पहुंच मूल्य भी घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत भी उत्पादन लागत से कम रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के कारण घरेलू उद्योग लाभप्रदता स्तर तक अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं पा रहा है। इस प्रकार आयातों के कारण कीमत ह्रास और न्यूनीकरण दोनों हुआ है।

IV. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

111. नियमावली के अनुबंध-II में यह व्यवस्था है कि घरेलू उद्योग के पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. भारतीय उत्पादकों द्वारा रखे गए बाजार हिस्से में परिवर्तन

112. घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा निम्नानुसार है:

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (पीओआई) |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|--------------------|
| संबद्ध देश से आयात | एमटी | 15619 | 15358 | 20390 | 30176 |
| अन्य देशों से आयात | एमटी | 480 | 546 | 1535 | 143 |
| कुल आयात | एमटी | 16099 | 15904 | 21926 | 30319 |
| घरेलू उद्योग की बिक्रियां | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 122 | 307 | 357 |
| अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 91 | 78 | 63 |
| कुल भारतीय घरेलू बिक्रियां | एमटी | *** | *** | *** | *** |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 94 | 97 | 88 |
| मांग | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 96 | 118 | 141 |
| बाजार में हिस्सा | | | | | |
| संबद्ध देश से आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 102 | 111 | 137 |
| अन्य देशों से आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 118 | 272 | 21 |
| कुल आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 103 | 116 | 134 |
| कुल घरेलू बिक्रियां | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 97 | 82 | 62 |

113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पीओआई में *** प्रतिशत से पीओआई में *** प्रतिशत की भारी गिरावट आई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष में 51 प्रतिशत से पीओआई में 70 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है।

ख. आउटपुट और क्षमता उपयोग

114. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (पीओआई) |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|--------------------|
| क्षमता | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 100 | 100 | 100 |
| कुल उत्पादन | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 95 | 76 | 112 |
| मात्र पीयूसी उत्पादन | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 122 | 313 | 371 |
| क्षमता उपयोग (कुल उत्पादन) | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 96 | 75 | 112 |

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान समान बनी रही है। घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2020-21 को छोड़कर पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान निरंतर सुधार हुआ है।

ग. मालसूची

116. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची निम्नानुसार है:

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (पीओआई) |
|---------|-------|---------|---------|---------|--------------------|
| मालसूची | एमटी | *** | *** | *** | *** |

| | | | | | |
|-----------|----------|-----|-----|-----|------|
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 133 | 467 | 1219 |
|-----------|----------|-----|-----|-----|------|

117. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में भारी वृद्धि हुई है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि संबद्ध वस्तु आर्डर पर निर्मित उत्पाद है इसलिए मालसूची में परिवर्तन वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में क्षति का संगत कारक नहीं है।

घ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

118. प्राधिकारी ने रोजगार, प्रति कर्मचारी मजदूरी और प्रति कर्मचारी उत्पादकता से संबंधित सूचना की निम्नानुसार जांच की है:

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (पीओआई) |
|-----------------------|----------|---------|---------|---------|--------------------|
| उत्पादन | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 122 | 313 | 371 |
| कर्मचारी | सं. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 91 | 143 | 142 |
| उत्पादन/कर्मचारी | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 150 | 250 | 300 |
| मजदूरी | लाख रू. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 144 | 173 | 223 |
| मजदूरी/कर्मचारी (रू.) | रू./सं. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 158 | 120 | 157 |

119. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। कर्मचारियों की संख्या में और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में क्षति जांच अवधि के दौरान सुधार और वृद्धि हुई है। क्षति जांच अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी मजदूरी में भी सुधार हुआ है।

ड. बिक्री मात्रा और मूल्य

120. प्राधिकारी घरेलू उद्योग की बिक्री की प्राधिकारी ने निम्नानुसार जांच की है:

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (पीओआई) |
|-------------------|----------|---------|---------|---------|--------------------|
| बिक्री | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 122 | 307 | 357 |
| बिक्री मात्रा | रू. लाख | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 82 | 185 | 263 |
| बिक्री कीमत/यूनिट | रू./एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 67 | 60 | 74 |

121. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में क्षति जांच अवधि के दौरान निरंतर सुधार हुआ है। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है।

च. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

122. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नानुसार हैं:

| विवरण | यूओएम | | | | 2021-22 |
|---------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | (पीओआई) |
| बिक्री कीमत | रू./एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 67 | 60 | 74 |
| बिक्रियों की लागत | रू./एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 93 | 66 | 55 |
| लाभ और हानि | रू. लाख | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | -100 | -185 | -248 | -46 |
| लाभ और हानि | रू./एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | -100 | -151 | -81 | -13 |
| नकद लाभ | रू./एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | -100 | -158 | -78 | -3 |
| नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | -100 | -188 | -201 | -20 |

123. उपरोक्त तालिका से प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- क. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उत्पादन लागत से कम रही है जिससे घाटा हुआ है।
 ख. घरेलू उद्योग का घाटे में रहने जारी है। यद्यपि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के घाटे में कमी आई है।
 ग. घरेलू उद्योग की आरओसीई संपूर्ण जांच क्षति अवधि में ऋणात्मक रही थी।

घ. वृद्धि

124. घरेलू उद्योग के निष्पादन में मात्रा संबंधी कुछ मापदंडों जैसे उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभप्रदता और आरओसीई के संबंध में में सुधार हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में काफी नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और आरओसीई पूर्ववर्ती वर्ष में सुधार के बावजूद नकारात्मक बनी हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कुछ मापदंडों में आंकड़ों में सुधार टीपीआरएस एंटरप्राइजेज द्वारा 2020-21 में पीयूसी का उत्पादन शुरू करने के कारण हुआ है।

| विवरण | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|-------|---------|---------|---------|
|-------|---------|---------|---------|

| | | | (पीओआई) |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| उत्पादन | 22% | 156% | 19% |
| घरेलू बिक्री | 22% | 152% | 16% |
| प्रति इकाई लाभ/(हानि) | (51)% | 47% | 84% |
| मालसूची | 33% | 250% | 161% |
| बाज़ार हिस्सा (आवेदक) | 27% | 106% | (3)% |
| लाभ/(हानि) | (85)% | (34)% | 82% |
| प्रति यूनिट पीबीआईटी | (55)% | 49% | 87% |
| आरओआई % | (88)% | (7)% | 90% |

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु की बिक्री करते समय अपनी उत्पादन लागत की वसूली करने में भी असमर्थ रहा है। आयात कीमतें उत्पादन लागत से काफी कम हैं।

झ. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा काफी अधिक थी और ऐसे आयात उन कीमतों पर थे जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम थीं।

ब. पाटन की मात्रा

127. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन काफी अधिक है।

झ. क्षति संबंधी निष्कर्ष

128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की मात्रा में पीओआई के दौरान समग्र रूप से वृद्धि हुई है। देश में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भी आयातों की मात्रा में पीओआई में भारी वृद्धि के साथ निरंतर वृद्धि हुई है। आयात कीमतों में पीओआई में मामूली वृद्धि हुई है। तथापि, वह निरंतर घरेलू उद्योग की लागत से कम रही है। संबद्ध आयातों से डाले गए कीमत दबाव के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, आरओसीई और अन्य मापदंड बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। घरेलू उद्योग को क्षति जांच अवधि के दौरान वित्तीय घाटा उठाना पड़ता है। अतः प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण भारी वास्तविक क्षति हुई है।

ब. क्षति मार्जिन के मात्रा

129. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षतिरहित कीमत नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित, तुलना जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है।

संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन

130. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच में सहयोगी उत्पादकों बेनक्सी चेंगक्सिन चेंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड और लियानयुंगंग चेंगक्सिन ग्लास प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड और निर्यातक पिंगहु चेंगक्सिन ग्लास कंपनी लिमिटेड एक दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। प्राधिकारी की यह संगत परिपाटी रही है कि समान ग्रुप के संबंधित निर्यातक उत्पादकों या निर्यातक उत्पादकों को क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु एक एकल कंपनी माना जाए और इस प्रकार उनके लिए एक एकल क्षति मार्जिन निर्धारित किया जाये। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है कि अलग-अलग क्षति मार्जिन की गणना से पाटनरोधी उपायों की प्रवंचना को बढ़ावा मिल सकता है और इस प्रकार सबसे कम अलग क्षति मार्जिन वाली कंपनी के जरिए भारत को अपने निर्यात भेज कर संबंधित निर्यातक उत्पादक इसका फायदा उठाकर उपाय को निष्प्रभावी कर सकते हैं।
131. उपर्युक्त के अनुसार समान ग्रुप से संबंधित निर्यातक उत्पादकों को एक एकल कंपनी माना गया है और एक एकल क्षति मार्जिन दिया गया है जिसे संबंधित समूहों में सहयोगी उत्पादकों के क्षति मार्जिन के भारित औसत के आधार पर परिकलित किया गया है।
132. इस प्रकार ज्ञात किया गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | उत्पादक का नाम | मुद्रा/इकाई | क्षतिरहित कीमत | पहुंच मूल्य | पाटन मार्जिन | पाटन मार्जिन (%) | पाटन मार्जिन (रेंज) |
|----------|---|-----------------|----------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|
| 1 | फ़ोशान शुंडेदेहोंग ग्लास इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड | यूएस डॉलर/एम टी | *** | *** | *** | *** | ऋणात्मक |
| 2 | झोंगशान हुआंगपु जिनफुलाई ग्लास क्राफ्ट फैक्ट्री | यूएस डॉलर/एम टी | *** | *** | *** | *** | ऋणात्मक |
| 3 | चुझोऊ झिंजियांग ग्लास एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड | यूएस डॉलर/एम टी | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| 4 | चुझोऊ झिंजियांग ग्लास एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड | यूएस डॉलर/एम टी | *** | *** | *** | *** | ऋणात्मक |
| 5 | झांगजीगांग वीयू ग्लासवेयर कंपनी लिमिटेड | यूएस डॉलर/एम टी | *** | *** | *** | *** | 0-10 |
| 6 | स्कॉट ग्लास टेक्नोलॉजीज (सूज़ौ) कं, लिमिटेड | यूएस डॉलर/एम टी | *** | *** | *** | *** | ऋणात्मक |
| 7 | बेनक्सी चेंगक्सिन चेंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड | यूएस डॉलर/एम टी | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| 8 | लियानयुंगंग चेंगक्सिन ग्लास प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड | यूएस डॉलर/एम टी | *** | *** | *** | *** | 10-20 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 9 | जिआंगसु शियुकियांग ग्लासवर्क लिमिटेड | कंपनी | यूएस डॉलर/एम टी | *** | *** | *** | *** | ऋणात्मक |
| 10 | जियानगिन ग्लास लिमिटेड | सुइफेंग कंपनी | यूएस डॉलर/एम टी | *** | *** | *** | *** | ऋणात्मक |
| 11 | झोंगशान एप्लायंस लिमिटेड | मेयी कंपनी | यूएस डॉलर/एम टी | *** | *** | *** | *** | ऋणात्मक |
| 12 | अन्य | | यूएस डॉलर/एम टी | *** | *** | *** | *** | 20-30 |

*भारित औसत, क्षति मार्जिन, क्षति मार्जिन प्रतिशत और क्षति मार्जिन रेंज

ट. कारणात्मक संबंध की जांच और गैर-आरोपण विश्लेषण

133. नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर ऐसे किसी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाये। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गये आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथायें और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क. तीसरे देश से आयातों की मात्रा और कीमत

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से आयात काफी कम है और संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान काफी घट गए हैं।

ख. मांग में संकुचन

135. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग में संपूर्ण जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ग. खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

136. विचाराधीन उत्पाद की खपत की प्रवृत्ति में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथायें और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

137. संबद्ध वस्तु के आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं हैं और देश में मुक्त रूप से आयात योग्य हैं।

ड. निर्यात निष्पादन

138. प्राधिकारी ने केवल घरेलू प्रचालनों के लिए आंकड़ों पर विचार किया है।

च. उत्पादकता

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति जांच अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

छ. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

140. घरेलू उद्योग के निष्पादन मापदंडों पर इस अंतिम जांच परिणाम में किया गया विचार केवल विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन पर आधारित है।
141. इस प्रकार यह नोट किया गया है कि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारक यह नहीं दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को इन कारकों की वजह से क्षति हो सकती है। प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।
- क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में समग्र रूप से तथा उत्पादन तथा खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है।
- ख. संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में समान अवधि में गिरावट आई है।
- ग. पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। इसके अलावा, कीमत कटौती की वजह से बाजार में उत्पाद की कीमत पर ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है।
- घ. पाटित आयातों के कारण प्रतिकूल कीमत प्रभावों ने घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय को बुरी तरह प्रभावित किया है।
142. इस प्रकार प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग के संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

143. प्राधिकारी ने 27 जून, 2023 को प्रकटन विवरण जारी किया था जिसमें जांच में विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया गया और सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां मंगाई गईं। प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में उठाये गये अधिकांश मुद्दों को पहले ही उठाया गया था और उनका उचित ढंग से समाधान किया गया था। संगत समझे गये अतिरिक्त अनुरोधों की नीचे जांच की गई है।

ठ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

144. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:
- क. प्राधिकारी ने नोट किया है कि वीयू ग्रुप द्वारा समायोजन के रूप में केवल अंतरदेशीय परिवहन का दावा किया गया है। तथापि, निर्यातक ने अंतरदेशीय परिवहन (वीयू ग्लासवेयर), पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभारों (वीयू ट्रेडिंग) और बैंक प्रभार तथा ऋण लागत (वेइकांग) (हांगकांग) के लिए समायोजन का दावा किया है। उन्होंने प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणाम में पैराग्राफ में बदलाव कराने का अनुरोध किया है।
- ख. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आवेदकों द्वारा उनकी याचिका में प्रस्तुत आंकड़े प्रकटन विवरण में क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी द्वारा बताये गये आंकड़ों से अलग हैं। उन्होंने प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणाम में आंकड़ों में संशोधन के लिए कारण स्पष्ट करने का अनुरोध किया है।
- ग. प्राधिकारी ने यह नहीं बताया है कि संबद्ध जांच में "घरेलू उद्योग" के पास रेफ्रिजरेटर के दरवाजों के लिए मुद्रित/रंगीन टफांड ग्लास के उत्पादन की क्षमता है। परंतु इसके बजाय "घरेलू उत्पादकों" का उल्लेख किया है। प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध है कि क्या संबद्ध जांच में घरेलू उद्योग के पास रेफ्रिजरेटर के दरवाजों के लिए मुद्रित/रंगीन टफांड ग्लास के उत्पादन की क्षमता है या ऐसे कुछ

घरेलू उत्पादक है जो संबद्ध जांच का हिस्सा नहीं हैं परंतु उनके पास रेफ्रिजरेटर के दरवाजों के लिए मुद्रित/रंगीन टफएंड ग्लास के उत्पादन की क्षमता है।

- घ. प्राधिकारी ने इस तथ्य के आधार पर वाशिंग मशीन के लिए कर्वड कलर्ड ग्लास को बाहर रखा है कि आवेदक वाशिंग मशीन के लिए कर्वड कलर्ड ग्लास हेतु टफनिंग की प्रक्रिया नहीं करता है। वाशिंग मशीन के लिए कर्वड कलर्ड ग्लास और वाशिंग मशीन के लिए कर्वड प्लेन ग्लास दोनों के टफनिंग की प्रक्रिया समान है। अतः यदि वाशिंग मशीन के लिए कर्वड कलर्ड ग्लास को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाता है तो प्राधिकारी को वाशिंग मशीन के लिए कर्वड प्लेन ग्लास को भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए।
- ड. प्राधिकारी ने इस आधार पर पीयूसी में कतिपय उत्पादों को शामिल किया है कि घरेलू उद्योग के पास उनके विनिर्माण की क्षमता है। यह अनुरोध किया जाता है कि केवल घरेलू उद्योग की उत्पादन करने की क्षमता पर्याप्त नहीं है। डीजीटीआर द्वारा जारी प्रचालन प्रक्रिया मैनुअल के अनुसार केवल वे उत्पाद जिन्हें घरेलू उद्योग वाणिज्यिक मात्रा में आपूर्ति करता है, पीयूसी में शामिल किये जा सकते हैं।
- च. हेंगफेंग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैराग्राफ 76 में 'हेंगफेंग ने केवल वाशिंग मशीन में प्रयुक्त कर्वड कलर्ड टफएंड ग्लास का निर्यात किया है' के बजाय अज्ञान में यह बताया है कि "हेंगफेंग ने रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त केवल कर्वड कलर्ड टफएंड ग्लास का निर्यात किया है" का उल्लेख किया है। उन्होंने प्राधिकारी से इसमें सुधार करने का अनुरोध किया है।
- छ. सैमसंग इंडिया ने बताया है कि टफएंड ग्लास के घरेलू उत्पादकों के पास उनकी मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। एक आवेदक मेसर्स जीएससी ग्लास से किये गये पत्राचार के आधार पर सैमसंग ने बताया है कि उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता फ्रिज के लिए उनकी जरूरत का केवल *** प्रतिशत है। सैमसंग ने यह भी तर्क दिया है कि 3.2 एमएम से 3.5 एमएम की मोटाई की संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने की घरेलू उद्योग की केवल क्षमता पीयूसी में उक्त उत्पादों को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने यूरो डीप ग्रे टिटेटेड टफएंड ग्लास को बाहर रखने के अनुरोध को दोहराया है।
- ज. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की स्थिति का निर्धारण मूल रूप से गलत है क्योंकि वर्तमान जांच को पीयूसी की गलत परिभाषा के आधार पर जारी रखा गया है।
- झ. याचिकाकर्ता के सभी आर्थिक मापदंड वृद्धि के रास्ते पर हैं या मजबूत स्थिति दर्शाते हैं और ऐसे रूझानों को पाटन या क्षति की स्थिति नहीं बताया जा सकता है।

ठ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

145. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- क. प्रकटन विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत में 90 प्रतिशत से अधिक आयात पाटित कीमतों पर हुये हैं। कुछ निर्यातकों को पाटन नहीं करता हुआ पाया गया है या उनका क्षति मार्जिन ऋणात्मक रहा है। घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि प्रकटन विवरण में उक्त टिप्पणी बाजार वास्तविकताओं और घरेलू उद्योग की जानकारी के अनुसार नहीं है।
- ख. चीन के अधिकांश निर्यातक संबद्ध वस्तु को काफी कम कीमत पर बेच रहे हैं जिससे घरेलू उत्पादकों को बाजार में स्वयं को बनाये रखना असंभव हो गया है। ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को अशंका है कि ऐसे निर्यातकों ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर देते समय अपनी कीमतों में कृत्रिम रूप से वृद्धि की है।
- ग. प्राधिकारी को संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा सूचित निर्यात मात्रा और मूल्य के साथ डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में सूचित मात्रा और मूल्य का मिलान करना चाहिए। निर्यातकों के उत्तर केवल तभी स्वीकार किये जाएं यदि वे डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में सूचित मात्रा और मूल्य से मेल खाते हों और ऐसे निर्यातकों को अलग पाटन मार्जिन प्रदान करने के लिए लागू सभी शर्तों को पूरा करते हों।
- घ. यह अनुरोध किया गया है कि "गुब्ब टफएंड ग्लास" को भारत में अनेक उत्पादकों द्वारा विनिर्मित किया जाता है। ऐसे उत्पाद को जांच से बाहर करना आवश्यक नहीं है क्योंकि गुब्ब टफएंड ग्लास के निर्माण में किसी विशिष्ट प्रक्रिया/मशीनरी की आवश्यकता नहीं है और टफएंड ग्लास का उत्पादन करने वाला कोई उत्पादक मामूली प्रक्रिया और लागत जोड़कर ऐसे प्रकार के टफएंड ग्लास का आसानी से उत्पादन कर सकता है।

ठ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

146. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अधिकांश अनुरोध दोहराये गये हैं और उन पर यहां पहले ही ध्यान दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संगत सीमा तक किये गये और अन्य कहीं ध्यान नहीं दिये गये अनुरोधों की नीचे जांच की गई है:

- क. निर्यात कीमत में किये गये समायोजनों के संबंध में वीयू ग्रुप द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी के संबंध में यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने वीयू ग्लासवेयर से वीयू ट्रेडिंग को कीमत पर कारखानाद्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के आरंभिक बिंदु के रूप में विचार किया है। अतः वीयू ट्रेडिंग और वेइकांग (हांगकांग) द्वारा किये गये खर्चों को समायोजित नहीं किया गया है। वीयू ग्लासवेयर द्वारा किये गये अंतरदेशीय परिवहन खर्चों को कारखानाद्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए घटाया गया है। वीयू ट्रेडिंग और वेइकांग (हांगकांग) द्वारा उठाये गये घाटों का निर्यात कीमत में समुचित समायोजन किया गया है।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा याचिका में दिये गये आंकड़ों में और क्षति विश्लेषण से संबंधित प्रकटन विवरण में दिये गये आंकड़ों में अंतर के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण में दिये गये आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा उनके आवेदन में पहले दायर आंकड़ों के सत्यापन के पश्चात लिये गये हैं।
- ग. इस तर्क के संबंध में कि केवल उन उत्पादों को पीयूसी में शामिल किया जा सकता है जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा वास्तव में वाणिज्यिक मात्राओं में विनिर्मित और आपूर्ति किया जाता है, प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच में पीयूसी एक आर्डर पर निर्मित उत्पाद है। उत्पाद के विभिन्न मापदंड जैसे मोटाई, घुमाव, रंग आदि यह सुनिश्चित करते हैं कि पीयूसी में वास्तव में असंख्य किस्में हैं। घरेलू उद्योग ने बताया है कि वे किसी उत्पाद प्रकार का विनिर्माण केवल तभी कर सकते हैं यदि भारत में प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं द्वारा उसकी मांग की जाती है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दर्शाया है कि उनके पास पीयूसी में शामिल उत्पाद किस्मों के उत्पादन की क्षमता है। इसके अलावा, निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच भी दर्शाती है कि प्रत्येक उत्पादक पीयूसी के केवल कुछ ग्रेडों/प्रकारों की आपूर्ति कर रहा है। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि पीयूसी का उत्पादन और बिक्री प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं से प्राप्त आदेशों पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल उन उत्पाद ग्रेडों/प्रकारों को शामिल करना अतर्कसंगत होगा जिन्हें घरेलू उद्योग वाणिज्यिक मात्राओं में आपूर्ति किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिसमें पीयूसी के किसी प्रकार/ग्रेड का कोई आदेश घरेलू उद्योग को मिला हो और वे ऐसे प्रकार/ग्रेड की आपूर्ति करने में अक्षम हों।
- घ. इस अनुरोध के संबंध में कि वाशिंग मशीन के लिए कर्वड कलर्ड ग्लास को इस तथ्य के आधार पर बाहर रखा गया है कि आवेदक वाशिंग मशीन के लिए कर्वड कलर्ड ग्लास की टफनिंग प्रक्रिया नहीं करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वाशिंग मशीन के लिए कर्वड कलर्ड ग्लास को बाहर रखने के कारण के बारे में हितबद्ध पक्षकार की समझ गलत है। वाशिंग मशीन के लिए कर्वड कलर्ड टफएंड ग्लास को एलजी इलेक्ट्रानिक्स इंडिया प्रा० लि० के अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा बाहर किया गया है। इसके अलावा, वाशिंग मशीन के लिए कर्वड प्लेन ग्लास को बाहर रखने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने बताया गया था कि वे वाशिंग मशीन के लिए कर्वड कलर्ड टफएंड ग्लास का विनिर्माण नहीं करते हैं और उन्होंने उक्त उत्पाद को बाहर करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने कर्वड प्लेन टफएंड ग्लास के बिक्री के साक्ष्य प्रदान किये थे। इसलिए इसे बाहर रखना आवश्यक नहीं है।
- ड. इस तर्क के संबंध में कि 3.2 एमएम से 3.5 एमएम मोटोई वाली संबद्ध वस्तु के उत्पादन की केवल क्षमता होना पर्याप्त नहीं है, प्राधिकारी रिकार्ड में सूचना से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वास्तव में पीओआई के दौरान 3.2 एमएम और 3.5 एमएम टफएंड ग्लास का उत्पादन और बिक्री की है। इस प्रकार इसे बाहर रखने की आवश्यकता नहीं है।

- च. संबद्ध देश से निर्यातक द्वारा सूचित निर्यात मात्रा और मूल्य की तुलना डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में सूचित मात्रा और मूल्य के साथ करने के घरेलू उद्योग के अनुरोध के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा विश्लेषण प्रकटन विवरण जारी करने से पहले किया गया था।
- छ. "गुब्ब टफ़ांड ग्लास" को शामिल करने के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि आवेदक ने अन्य घरेलू उत्पादक द्वारा गुब्ब ग्लास के बिक्री के साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। तथापि, यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने उसका विनिर्माण या आपूर्ति की है या उसके पास इसके उत्पादक की क्षमता है। अतः प्राधिकारी "गुब्ब टफ़ांड ग्लास" को विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं करने का निर्णय लेते हैं।
- ज. सैमसंग द्वारा दिये गये इस तर्क के संबंध में कि एक आवेदक मेसर्स जीएससी ग्लास के पास अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है जो फ्रिज की उनकी जरूरत का केवल *** प्रतिशत है, प्राधिकारी रिकार्ड में आंकड़ों और सूचना से नोट करते हैं कि प्राधिकारी के समक्ष दोनों आवेदकों के पास स्वयं अधिकांश भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों और अन्य भारतीय उत्पादकों के पास काफी अप्रयुक्त क्षमताएं पड़ी हुई हैं जो भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। किसी भी तरह पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य किसी भी प्रकार से आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके।

ड. भारतीय उद्योग का हित

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किये गये अनुरोध

147. भारत उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- क. टफ़ांड ग्लास पर बीआईएस मानक लागू हो गया है। बीआईएस मानक की शुरुआत के साथ व्हर्लपूल चीन से फ्रिज के दरवाजों के लिए मुद्रित/रंगीन टफ़ांड ग्लास जैसे टफ़ांड ग्लास के प्रकारों का आयात नहीं कर सकेगा क्योंकि चीन के उत्पादक को बीआईएस प्रमाणन नहीं मिल पाएगा। इससे भारत में एकाधिकार की स्थिति बन जाएगी जिसमें प्रयोक्ता किसी भी प्रकार के टफ़ांड ग्लास का आयात करने में असमर्थ होंगे और आपूर्ति के लिए घरेलू उद्योग पर निर्भर होंगे। मांग-आपूर्ति बाधाओं के कारण घरेलू उद्योग अपने उत्पादों के लिए अत्यधिक कीमतें प्रभारित कर सकता है जो भारत में प्रयोक्ताओं के हित में नहीं है।
- ख. आवेदक उपकरण उद्योग पीयूसी पर शुल्क लागू होने से सीधे प्रभावित होगा। आवेदक उपकरण उद्योग घरेलू बाजार में पीयूसी की खराब गुणवत्ता के कारण आपूर्ति किये गये पीयूसी के आयातों पर काफी अधिक निर्भर है।
- ग. यदि पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो उपकरणों की लागत में काफी वृद्धि हो जाएगी जिसके कारण उपकरणों के आयात में वृद्धि होगी। इस प्रकार इससे उपकरण उद्योग नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।
- घ. पाटनरोधी शुल्क को लागू करना जनहित और भारत में प्रयोक्ता उद्योग के हित के विरुद्ध होगा।
- ड. संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों के पास प्रयोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं नहीं हैं।

ड.2. घरेलू उद्योग के द्वारा किये गये अनुरोध

148. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- क. शुल्क लागू होने से प्रयोक्ता उद्योग पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। उद्योग पर 10 प्रतिशत शुल्क का प्रभाव केवल *** - *** की रेंज में होगा।

- ख. घरेलू उत्पादकों की 70 प्रतिशत से अधिक की क्षमताएं बेकार पड़ी हैं। देश में भारी मांग के बावजूद घरेलू उत्पादकों की अधिकांश क्षमताएं अप्रयुक्त रहती हैं।
- ग. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अंतिम उपभोक्ताओं पर एडीडी के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क यदि लागू होता है तो उसे अंतिम प्रयोक्ता पर मामूली प्रभाव पड़ेगा।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

149. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय के लागू होने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी तरह प्रभावित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं की उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होंगे।
150. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं कि डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 10 प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क लागू होने पर *** प्रतिशत से *** प्रतिशत की रेंज में पड़ेगा। इस प्रभाव को घरेलू उद्योग द्वारा अपना क्षमता उपयोग बढ़ाने और अपनी लागत तथा संगत बिक्री कीमत कम करके आगे और घटाया जा सकता है। पर्याप्त क्षमताओं के साथ बाजार में पर्याप्त कंपनियों की मौजूदगी यह भी सुनिश्चित करती है कि उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति भारतीय बाजार में जारी रहे अतः यह स्पष्ट है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग का हित किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। अर्थात् यह निष्कर्ष है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से व्यापक जनहित को लाभ मिलेगा।
151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। विशेष रूप से जबकि पाटनरोधी शुल्क को घरेलू उद्योग की क्षति के निवारण के लिए आवश्यक राशि तक सीमित रखा जाए। इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क लगाने से पाटन की प्रक्रिया द्वारा मिलने वाले अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
152. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तु का संपूर्ण घरेलू उद्योग एमएसएमई के रूप में प्रचालन कर रहा है। उन्होंने बताया है कि एसोसिएशन के सभी सदस्यों के पास एमएसएमई प्रमाण पत्र हैं उन्होंने दो आवेदकों उत्पादकों का एमएसएमई प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया है।
153. घरेलू विनिर्माताओं द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु की गुणवत्ता से संबंधित अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि भारतीय उत्पादकों ने संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए उद्योग में सर्वोत्तम संयंत्र और मशीनरी लगाई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किये गये उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी कोई भी अशंका निराधार है। यह भी नोट किया जाता है कि प्रयोक्ता उद्योग अनेक मामलों में घरेलू उत्पादों और चीन से आयातित उत्पादों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। प्राधिकार यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादकों के पास पहले बीआईएस मानक हैं जबकि चीन से अधिकांश निर्यातकों ने अब तक बीआईएस मानक द्वारा विहित मानक का अनुपालन नहीं किया है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में उठाये गये मुद्दे रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों से सिद्ध नहीं होते हैं।

154. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध वस्तु पर बीआईएस मानक लागू होने से मांग-आपूर्ति में अंतर या देश में एकाधिकारी स्थिति हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु के पर्याप्त संख्या में उत्पादक हैं। संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताएं देश में संबद्ध वस्तु की मांग से अधिक हैं। इस प्रकार देश में एकाधिकारी स्थिति या मांग-आपूर्ति में अंतर के संबंध में जताई गई अशंकाओं में कोई सत्यता नहीं है।
155. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास स्वयं लगभग पूरी भारतीय मांग की आपूर्ति करने की क्षमताएं हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग पीओआई में कम रहा है। भारतीय उद्योग के पास भारतीय बाजार में उच्चतर हिस्सा रखने की क्षमता है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण भारतीय उद्योग को अप्रयुक्त क्षमता का सामना करना पड़ा है और उसके पास घरेलू बाजार में बहुत कम हिस्सा है जो अन्यथा अधिक होता। भारतीय उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताएं यह सुनिश्चित करेंगी कि यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो भी उत्पाद की कोई कमी न हो।
156. पूर्वोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का यह सुविचारित मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से घरेलू उत्पादकों जो सभी एमएसएमई क्षेत्र के हैं, के चीन से क्षतिकारी पाटित आयातों से अनुचित प्रतिस्पर्धा से संरक्षण द्वारा व्यापक जनहित में लाभ होगा।

ढ. निष्कर्ष और सिफारिशें

157. दिये गये तर्कों, किये गये अनुरोधों, प्रदत्त सूचना और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराये गये तथ्यों जैसे कि ऊपर दर्ज हैं, को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के उक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :

- क. विचाराधीन उत्पाद को भारत में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, परिणामस्वरूप पाटन हुआ है।
- ख. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक भी है।
- ग. संबद्ध देश से आयातों में पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान समग्र और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।
- घ. कीमत कटौती संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान सकारात्मक रही है।
- ङ. संबद्ध देश से आयात ऐसी कीमत पर हुए हैं जो बिक्री लागत से भी कम हैं। इन आयातों से घरेलू कीमतों पर कीमत हासकारी प्रभाव भी पड़ा है।
- च. घरेलू उद्योग संपूर्ण क्षति जांच अवधि में घाटे में चल रहा है।
- छ. यहां तक कि व्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) भी जांच अवधि के दौरान ऋणात्मक रहे हैं। घरेलू उद्योग के नकद लाभ भी ऋणात्मक रहे हैं।
- ज. तदनुसार, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति किसी अन्य ज्ञात कारक की वजह से नहीं हुई है।
- झ. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से काफी कम है जो भारी मार्जिन/ कम कीमत पर बिक्री दर्शाता है।
- ञ. रिकार्ड में सूचना दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं और डाउनस्ट्रीम उद्योग पर मामूली प्रभाव पड़ेगा।
- ट. इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।

158. पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और परिणामी क्षति की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाये जाना आवश्यक है। प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।
159. अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए लगाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के लागू स्तर पर होगा।

शुल्क तालिका

| क्र. सं. | शीर्ष | विवरण | मूलता का देश | निर्यात देश | उत्पादक | शुल्क की राशि | यूनिट | मुद्रा |
|----------|--|------------------------------------|--------------|--------------------------|---|---------------|-------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | 70071900, 70072100, 70072900, 70074900, 70079900, 70134900, 70139900, 70199090, 70200019, 70200029, 70200090 | घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास * | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई देश | फ़ोशान शुंडे देहोंग ग्लास इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड | शून्य | एमटी | यूएस डॉलर |
| 2 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई देश | झोंगशान हुआंगपु जिनफुलई ग्लास क्राफ्ट फैक्ट्री | शून्य | एमटी | यूएस डॉलर |
| 3 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई देश | चुझोऊ झिंजियांग ग्लास एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड | 144.3 | एमटी | यूएस डॉलर |
| 4 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई देश | फ़ोशान शुंडे गौहुआ ग्लास टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड | शून्य | एमटी | यूएस डॉलर |
| 5 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई देश | झांगजीयागांग वेइयू ग्लासवेयर कंपनी लिमिटेड | 41.8 | एमटी | यूएस डॉलर |
| 6 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई देश | स्कॉट ग्लास टेक्नोलॉजीज (सूझोऊ) कं, लिमिटेड | शून्य | एमटी | यूएस डॉलर |
| 7 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई देश | वेनक्सी चेंगक्सिन चेंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड | 135.3 | एमटी | यूएस डॉलर |
| 8 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. | लियानयुंगांग चेंगक्सिन ग्लास | 135.3 | एमटी | यूएस डॉलर |

| | | | गण. | गण. सहित कोई देश | प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड | | | |
|----|-------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|--|-------|------|-----------|
| 9. | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई देश | जिआंगसु शियुकियांग ग्लासवर्क कंपनी लिमिटेड | शून्य | एमटी | यूएस डॉलर |
| 10 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई देश | जियानगिन सुइफेंग ग्लास कंपनी लिमिटेड | शून्य | एमटी | यूएस डॉलर |
| 11 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई देश | झोंगशान मेयी एप्लायंस कंपनी लिमिटेड | शून्य | एमटी | यूएस डॉलर |
| 12 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई देश | उक्त क्र.सं. (1) से (11) में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक | 243 | एमटी | यूएस डॉलर |
| 13 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. के अलावा कोई देश | चीन जन. गण. | कोई | 243 | एमटी | यूएस डॉलर |

* "घरेलू उपकरणों के लिए 1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच की मोटाई और 0.4 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल वाले टफएंड ग्लास" जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है:

क) वर्तनों के कांच के ढक्कनों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास

ख) इलेक्ट्रॉनिक स्विच और स्विच बोर्ड पैनलों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास

ग) वाशिंग मशीन के लिए घुमावदार रंगीन ग्लास

घ) डबल ग्लेज्ड यूनिट (डीजीयू) में प्रयुक्त टफएंड ग्लास

ड.) गुंबद के आकार का टफएंड ग्लास

च) गुब्बे टफएंड ग्लास

ण. आगे की प्रक्रिया

160. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****FINAL FINDINGS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th, August, 2023

OI Case No. – 10/2022

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Toughened Glass for Home Appliances having thickness between 1.8 MM to 8 MM and area of 0.4 SqM or less” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/10/2022-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Rules”) thereof.

1. Whereas, the Federation of Safety Glass (FOSG), an association of safety/specialty glass processors (hereinafter referred to as the 'applicant association') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), on behalf of M/s GSC Glass (P) Ltd. and M/s TPRS Enterprises (hereinafter referred to as the 'domestic industry') in accordance with the Act and the Rules for initiation of an Anti-Dumping investigation concerning imports of Toughened glass for home appliances having thickness between 1.8 MM to 8 MM and area of 0.4 SqM or less (hereinafter referred to as the “subject goods”) from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”) and has requested for imposition of anti-dumping duty.
2. And whereas, the Authority, on the basis of *prima-facie* evidence submitted by the applicant association, issued a public notice vide Notification No. 6/10/2022-DGTR dated 30th September 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation in accordance with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the said subject country, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described hereinbelow has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules.
 - b. The Authority issued a public notice dated 30th September 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an investigation concerning the imports of the subject goods from the subject country.

- c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, known producers and exporters from the subject country, known importers / users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the information made available to it by the applicant association, and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was circulated to the other interested parties.
- e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the producers / exporters in their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers / exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- f. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the anti-dumping investigation to the following known producers/exporters in the subject country and offered an opportunity to make their submissions known in accordance with Rule 6(2) of the Rules:

| | |
|---------|---|
| i. | Arcturus Global Sourcing HK Co. Ltd.; |
| ii. | Arda (Zhejiang) Electric Co., Ltd.; |
| iii. | Changzhou Foreign Trade Corp.; |
| iv. | Cixi East Glass Co. Ltd.; |
| v. | Finca International Trading Co. Limited |
| vi. | Grand Import & Export Co., Ltd. |
| vii. | Guangdong Galanz Microwave Oven and Electrical Appliance Co. Ltd. |
| viii. | Guangdong Nardi Elec Appl Co Ltd |
| ix. | Guangdong Nardi Electrical Appl Co Ltd. |
| x. | Imarket China Co., Ltd. |
| xi. | Kaijin Appliances Co., Limited |
| xii. | Lg Electronics, China |
| xiii. | Lg Electronics Tianjin Appliances |
| xiv. | Foshan Dimple Electric Appliance Co. Ltd. |
| xv. | Nardi Group Limited |
| xvi. | Newtime Import and Export Corporation Limited |
| xvii. | Ningbo Arcturus Trading Co., Ltd |
| xviii. | Ningbo Haitian Holding Group Co.,Ltd |
| xix. | Omica Industrial Limited |
| xx. | Samsung Electronics H.K.Co.Ltd |
| xxi. | Shenzhen Homye Electric Corp. |
| xxii. | Shipper China Best Home Appliance Co Ltd |
| xxiii. | Shunde Native Produce Import and Export Co., Ltd |
| xxiv. | Suntime Import and Export Trading Limited |
| xxv. | Wintime Import and Export Corporation Limited |
| xxvi. | Zhangjiagang Qianchen Appliance Co. |
| xxvii. | Zhongshan Curinarte Intelligent Kitchen Co Ltd |
| xxviii. | Zhongshan Foodstuffs Imp and Exp Co Ltd |
| xxix. | Zhongshan Foodstuffs Imp. and Exp. Co., Ltd. |
| xxx. | Zhongshan Foodstuffs Imp. & Exp. Co., Ltd |
| xxxi. | Zhongshan Pusdary Trading Co., Ltd |
| xxxii. | Zhongshan Sacchi Appliances Co Ltd |
| xxxiii. | Zhongshan Silk Imp. and Exp. Group Co Ltd |
| xxxiv. | Zhongshan Tianmei Electrical Appliances Co.Ltd |

- g. In response to the initiation notification of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire response:

| | |
|--------|---|
| i. | Foshan Shunde Dehong Glass Industry Co., Ltd |
| ii. | Foshan Walsin Electrical Appliance Company Limited |
| iii. | Haltech Industrial Company Limited |
| iv. | Zhongshan Huangpu Jinfulai Glass Craft Factory |
| v. | Foshan Dimple Electric Appliance Co., Ltd. |
| vi. | Dimple HK Limited |
| vii. | Chuzhou Xinjiang Glass Appliances Co. Ltd. |
| viii. | Foshan Shunde Gaohua Glass Technology Co., Ltd. |
| ix. | Zhongshan Cucinate Intelligent Kitchen Co., Ltd |
| x. | Zhangjiagang Weiyu Glassware Co., Ltd. |
| xi. | Zhangjiagang Weiyu International Trading Co., Ltd. |
| xii. | Weikang (Hong Kong) Limited |
| xiii. | Jiangyin City Heng Feng Plastic and Glass Co., Ltd. |
| xiv. | SCHOTT Glass Technologies (Suzhou) Co., Ltd. |
| xv. | Benxi Chengxin Chengxin Electrical Co., Ltd |
| xvi. | Lianyungang Chengxin Glass Products Co., Ltd |
| xvii. | Pinghu Chengxin Glass Co., Ltd. |
| xviii. | Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co., Ltd |
| xix. | Jiangyin Suifeng Glass Co., Ltd |
| xx. | Zhangjiagang Qianchen Appliance Co. |
| xxi. | Zhongshan Meiyi Appliance Co. Ltd |
| xxii. | Zhongshan Foodstuffs Imp. and Exp. Co. Ltd. |

- h. The Authority sent questionnaires to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

| | |
|--------|--|
| i. | A R Enterprises |
| ii. | A.K. Industries |
| iii. | Adm Solar Power and Infrastructure Private Limited |
| iv. | Agl India |
| v. | Alpex Solar Private Limited |
| vi. | Amj Enterprises |
| vii. | Ankur Traders & Engineers Pvt. Ltd. |
| viii. | Avinash Industries |
| ix. | Euro Home Appliances |
| x. | Gas Appliances Spare |
| xi. | Glen Appliances Pvt Ltd |
| xii. | Goldmedal Electricals Pvt Ltd |
| xiii. | Greenchef Appliances Limited |
| xiv. | J.D. Engineering |
| xv. | Multiplex Appliances Pvt Ltd |
| xvi. | Nimoro Group |
| xvii. | Shri Balaji Steels |
| xviii. | Super Lpg Appliances Private Limited |

- i. The following importers and users have submitted responses to the questionnaires issued to them by the Authority:

- i. Samsung India Electronics Private Limited
- ii. LG Electronics India Pvt. Ltd

- iii. Glen Appliances Pvt. Ltd.
 - iv. Whirlpool of India Pvt. Ltd
- j. The Authority also sent economic interest questionnaires to the domestic producers, known producer/exporters, importers/users as mentioned above. The following parties have submitted response to the said questionnaire:
- i. Federation of Safety Glass
 - ii. SCHOTT Glass Technologies (Suzhou) Co., Ltd.
 - iii. Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co., Ltd
 - iv. Jiangyin Suifeng Glass Co., Ltd
 - v. Samsung India Electronics Private Limited
 - vi. Glen Appliances Pvt. Ltd.
- k. Further, the Authority sent the economic interest questionnaire to the concerned administrative ministry in this case, i.e. Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce and Industry to share information as per the said questionnaire to assess the extent of impact on the user industry if the Anti-dumping duty is imposed on the imports of the “toughened glass for home appliances having thickness between 1.8 MM to 8 MM and area of 0.4 SqM or less” originating in or exported from China PR.
- l. DPIIT further referred the matter to the industry stakeholders for comments. Accordingly, comments were received from Saint-Gobain India Pvt Ltd and the Federation of Safety Glass (FOSG).
- m. Further, the following interested parties have submitted comments on the petition filed by the domestic industry:
- i. China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME)
 - ii. Wuhan Classics Glassware Co., Ltd
 - iii. High Hope Zhongding Corporation
- n. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is from 1st April 2021 to 31st March 2022 (12 months). The injury analysis period covers April 2018 to March 2019, April 2019 to March 2020, April 2020 to March 2021 and the period of investigation.
- o. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and DG-Systems, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period. After due examination of the transactions and required analysis, DG Systems data has been relied upon for computation of the volume and value of imports to correlate quantum of exports from specified exporters and validate responses filed, to the extent feasible.
- p. A discussion was held on 23.11.2022 with the interested parties who has made comments on the scope of the PUC and need for PCNs in the subject investigation. Based on the discussion held and submission received thereafter, the Authority notified the PCN criteria to be adopted in the subject investigation on 13.12.2022.
- q. Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- r. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the

- request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing global pandemic.
- s. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India as per the information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
 - t. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 31.01.2023 through video conferencing. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
 - u. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by the various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in these final findings.
 - v. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final finding, to the extent possible and verified the data / documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and possible.
 - w. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
 - x. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded this final finding on the basis of the facts available.
 - y. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 27th June, 2023 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these final findings.
 - z. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs. 75.34.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as follows:

“Toughened glass for home appliances having thickness between 1.8 MM to 8 MM and area of 0.4 SqM or less” originating in or exported from China PR. The PUC is also known as tempered glass or safety glass. The present investigation is limited to the product under consideration imported for the purpose of use in home/household appliances such as refrigerator, cook-top, OTG, microwave, LED etc. Toughened glass imported for any other purpose such as automobiles, architecture etc. are excluded from the scope of the PUC.”

C.1. Submissions of the other interested parties

5. The other interested parties have submitted as follows with regard to the scope of the product under consideration and like article:
- a. The definition of PUC in the current investigation is fundamentally flawed. The PUC in the current investigation has been defined on the basis of end use which has created a lot of confusion. With the PUC defined on the basis of end-use in the current investigation, the provisions of like article have been misused.
 - b. There is no tool or yardstick with the customs authorities to measure/check the element of end use of the toughened glass for the imposition of duty on the PUC imported into India. The imported product whether or not a PUC can be checked only on the basis of chemical/technical parameters, but it is not possible for end use.
 - c. Since the end use is not a technical parameter of the product, it is not specified on the sales invoice but only the technical parameters are included.
 - d. Toughened glass of having area exceeding 0.4 SqM used for home appliances, toughened glass of having thickness more than 8MM used for home appliances, and toughened glass of area below 0.4SqM and thickness between 1.8MM and 8MM not used in home appliances, are also like articles and cannot be excluded from the scope of the product under consideration.
 - e. There is a significant difference in the quality of domestic and imported PUC.
 - f. The toughened glass used in top load washing machines are of two types i.e., flat toughened glass, and curved and coloured toughened glass. LG India uses coloured curved toughened glass of 4 mm thickness for manufacture of washing machines door lids. This curved toughened glass is imported as the domestic industry is unable to supply the same as per the specifications required by LG India. Since the domestic producers of toughened glass are not capable of satisfying LG India's requirements of curved toughened glass, the Authority should exclude "curved toughened glass" from the scope of the PUC
 - g. In India, there is unavailability of 2 MM and 3.2 MM float glass in sufficient quantities for manufacture of toughened glass as the Indian producers of float glass are not interested in manufacture and supply of 2 MM and 3.2 MM due to demand supply constraints. LG India has tried to procure this lower thickness toughened glass in India, from [***] and [***] but the domestic producers have failed to provide the required toughened glass to LG India for its manufacturing needs.
 - h. The dome-shaped toughened glass is used in the front load washing machines. The dome shaped toughened glass fits in the door of the front load washing machines. It is manufactured by the process of sintering and using moulds. The toughened glass is heat tempered and is generally transparent. The domestic producers have been unable to provide dome- shaped toughened glass to LG India as they do not possess the capability to manufacture the same.
 - i. LG India requests the Authority to kindly consider clarifications regarding the following types of the toughened glass for home appliances being under the scope of PUC –
 - i. Insta-view door assembly
 - ii. Toughened glass door assemblies used in refrigerators
 - iii. Microwave oven door assembly
 - j. LG India has attempted to procure Insta-view door assemblies from domestic manufacturers; however, it has been unable to do so. The suppliers themselves have admitted the there is no infrastructure available in India to manufacture this assembly. Thus, LG India has to import the entire assembly of Insta-view glass from China PR. This product should also be excluded from the product under consideration.
 - k. The oven door usually has a window for easy viewing, with a layer of conductive mesh some distance from the outer panel to maintain the shielding. The mesh reflects microwaves but allows light to enter the cavity. Thus, it is clear that a microwave oven door glass assembly is not just the toughened glass and as different components have also been added in the assembly. The imports of microwave ovens

- door assembly are cleared under HSN code 85169000. The door assembly is not being classified as toughened glass under heading 7007.
- l. The grooved toughened glass is used as glass shelves in the refrigerator. This is a specialized toughened glass that has grooves or trims in it. This groove / trim allows the glass to fit into a place without any adhesive or tape. The process of grooving is an additional process involving extra costs & resources. This type of toughened glass is neither manufactured by the domestic industry in commercial quantities, nor do they qualify the required specifications and hence, the same merits an exclusion.
 - m. Whirlpool manufactures refrigerators which require the toughened glass in coloured and printed form and the same is used with the front part of the entire door assembly of the refrigerator. The domestic industry does not manufacture this type of glass as the technology for this process of printing/colouring is not available with the Indian producers. For this reason, it should be excluded from the product scope.
 - n. The Authority may exclude the category of toughened glass required for manufacturing washing machine and refrigerator from the present investigation and particularly exclude the following from the scope of investigation:
 - i. Toughened glass of 3.2 MM thickness
 - ii. Euro deep grey door toughened glass of 3.2 MM thickness
 - iii. Toughened door glass of 5MM thickness with moulding and foaming technology
 - o. Samsung has stated that the imports by them are on account of lack of availability of subject goods and requisite capacity with domestic producers. Further, they have stated that domestic producers are unable to meet requisite quality standards due to lack of relevant technology in India as required for the toughened glass requirements for Samsung India.
 - p. Also, a bare review of the list of known importers/users provided by the domestic industry shows that it primarily includes importers/users who use PUC for solar panels and/or kitchen appliances like chimneys, gas stoves, ovens, etc which further substantiates the submission.

C.2. Submissions of the domestic industry

6. The domestic industry has submitted as follows with regard to the scope of the product under consideration and like article.
 - a. The product under consideration (PUC) for the purpose of the present investigation is "toughened glass for home appliances having thickness between 1.8 MM to 8 MM and area of 0.4 SqM or less" originating in or exported from China PR.
 - b. The subject goods are also known as tempered glass or safety glass. The present investigation is limited to the product under consideration imported for the purpose of use in home/household appliances such as refrigerator, cook-top, OTG, microwave, LED etc. Toughened glass imported for any other purpose such as automobiles, architecture etc. are excluded from the scope of the PUC.
 - c. The subject goods are used for manufacturing various appliances such as gas stoves, refrigerators, domestic washing machines, lighting fixtures, cook-top, ovens, grills, chimneys etc. Due to its inherent strength, high optical clarity, distortion free smooth surface etc., the application of the product has been increasing for different purposes.
 - d. The product under consideration is generally imported under HS code 70071900. However, imports may also be taking place under other HS codes. In any case, the HS code description is only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.
 - e. Contrary to the claims of the interested parties, the domestic industry produces all types of the PUC as required by the Indian customers.
 - f. The submissions of the interested parties that the PUC cannot be defined on end-use basis is completely misplaced and based upon lack of understanding of the law, the subject and the custom procedures.
 - g. The subject goods are made-to-order products. The toughened glass used in home appliance cannot substitute the toughened glass used for any other purpose such as architecture, automobile etc. The processes to be carried out on glass to make it suitable for use in home appliances, are to be carried out

- before the stage of toughening. Once the glass is toughened, no further process can be carried out on glass.
- h. The customs classification itself, for a huge number of tariff lines, envisages the classification or distinction on the basis of usage of a product. When the customs tariff itself prescribes use base classification, it is entirely misplaced and misconceived to state that there is no tool with the customs authorities to measure end use.
 - i. LG, Samsung and Whirlpool have asked for exclusion of certain products from the PUC. However, it is very concerning that they have kept the specification and technical details of such products for which exclusion is sought as confidential. No exclusion in the PUC can be made until and unless the detailed specification of the concerned product is provided to the domestic industry.
 - j. The subject goods are meant for consumption in appliances. Thus, the same is required to match the requirements of the appliances that they are used for. It makes absolutely no sense for any manufacturer to make customized products of each size, dimension, and variety unless it gets order for the same. Since the major users prefer to import the subject goods because of the lower Chinese prices, there might be cases where some type or customized variant of the subject good may not have been produced by the domestic producers. But, such non-production, if any, is entirely on account of the lack of orders from the customers. It is for this reason that none of the parties have provided any evidence to demonstrate the lack of technical capability of the domestic producers to produce any variant/type of the subject goods.
 - k. As regards the non-availability of the subject goods on account of lack of clear float glass, the records of DGTR would reflect that there is ample production of clear glass having thicknesses of 2 MM to 3.5 MM in India. Additionally, the domestic producers also have the option to import the clear glass having thicknesses of 2 MM to 3.5 MM. Thus, there is no reason why the domestic producers cannot produce the subject goods of the said thicknesses. In fact, the applicants themselves have produced the subject goods of the said thicknesses.
 - l. The Indian producers of the subject goods have employed the most cutting-edge technology to produce the subject goods. The machinery employed by the two applicants before the Directorate also is best in the industry. None of the interested party has given any quantifiable standard such as BIS, which can demonstrate that the goods produced by the Indian manufacturers are of inferior quality. In fact, most of the Indian producers already have obtained the BIS license as against the Chinese exporters who do not have the same. Therefore, the allegations raised by the parties in this regard are only intended to mislead the department.
 - m. It is very clear that contrary to the claims of the parties, the Chinese goods are the ones which are of inferior quality. The menace of the low-priced and low-quality imports from China PR is also acknowledged by the mail received by us from DPIIT which invited our inputs to curb the low-quality imports of the subject goods from China PR.

C.3. Examination by the Authority

7. The product under consideration as defined in the notice of initiation is “toughened glass for home appliances having thickness between 1.8 MM to 8 MM and area of 0.4 SqM or less”. The PUC is also known as tempered glass or safety glass.
8. The PUC is imported under Chapter 70 which pertains to "Glass and glassware". As per the applicant association, the classification at 8-digit level is 70071900 even though the PUC is imported under various other sub-headings such as 70072100, 70072900, 70074900, 70079900, 70134900, 70139900, 70199090, 70200019, 70200029, 70200090 of the Customs Tariff Act, 1975. The subheading is indicative only and is not binding on the scope of the PUC since the imports of PUC may be reported under various other subheadings also.
9. In the initiation notification, it was specified that the present investigation is limited to the product under consideration imported for the purpose of use in home/household appliances such as refrigerator, cook-top, OTG, microwave, LED etc. Toughened glass imported for any other purpose such as automobiles, architecture etc. are excluded from the scope of the PUC.

10. Comments on the scope of the PUC and the PCN methodology were received from various interested parties and accordingly, a meeting to discuss the same was held on 23.11.2022. Taking into consideration, the views and submissions of the said interested parties, the following PCN methodology was notified on 13.12.2022

| Sl. No. | PCN Criteria | Description | PCN Code |
|---------|------------------------|--|---------------------------------|
| 1. | Category of Appliances | Refrigerator Cooktop/stove Washing Machine Microwave/OTG/Oven Chimney Induction Any other toughened glass used for home appliances | R K W M Y I O |
| 2. | Thickness | 1.8 MM to 3.2 MM above 3.2 MM till 5 MM above 5 MM till 8 MM. | 32 50 80 |
| 3. | Color (Tint) | Tinted Clear | T N |
| 4. | Curvature | Curved Flat | C F |
| 5. | Shape | Rectangular Non-Rectangular | RE NR |

For example:

Tinted rectangular curved glass having thickness of 3.2 MM for Washing Machine:

| Appliance | Category | Thickness | Color | Curvature | Shape | PCN |
|-----------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|
| Washing Machine | W | 32 | T | C | RE | W-32-T-C-RE |

11. It was also clarified that the following goods have been excluded from the scope of the PUC:
- Toughened glass used in glass lids of utensils
 - Toughened glass used in electronic switch and switch board panels
 - Toughened glass used in Double Glazed Unit (DGU)
12. The Authority has further received the requests of interested for the exclusion of the following products from the scope of PUC:
- Curved coloured glass for washing machines
 - 2 MM and 3.2 MM thickness toughened glass used for microwave ovens
 - Dome shaped toughened glass
 - Grooved toughened glass
 - Printed/coloured toughened glass for refrigerator door
 - Euro deep grey tinted glass
 - Subject goods having thicknesses of 2MM and 3.5 MM

The said requests are examined as under:

Curved coloured glass for washing machines

13. The Authority notes that the toughened glass used in top load washing machines are of two types i.e., flat toughened glass, and curved and coloured toughened glass. The domestic users have submitted that the domestic industry does not have the capability to produce the coloured curved toughened glass. Further, there has been an issue with respect to the cutting and grinding technology employed by the domestic producers to manufacture curved toughened glass and hence, they aren't able to meet the precision requirements of LG India.
14. In this regard, the Authority notes that this type of toughened glass has not been manufactured by the domestic industry during the POI. Therefore, the Authority, has decided to exclude curved coloured glass for washing machines from the scope of the PUC.

2 MM and 3.2 MM thickness toughened glass used for microwave ovens/Subject goods having thicknesses of 2MM and 3.5 MM

15. The Authority notes the contentions of importers/users regarding the use of toughened glass of 2 MM, 3.2 MM and 3.5 MM thickness in manufacture and that in India, there is unavailability of 2 MM, 3.2 MM and 3.5 MM float glass in sufficient quantities. Therefore, the domestic producers of toughened glass have to import this raw material and for this reason they are not interested in manufacture and supply toughened glass of 2 MM, 3.2 MM, and 5 MM thickness to users in India.
16. In this regard, the Authority notes that from the information available on record, that the domestic producers import the clear float glass having thicknesses of 2 MM to 3.5 MM and also source the same domestically, then further temper/toughen the same.
17. The Authority further notes from the information on record, that M/s GSC Glass has the capacity to produce and have also sold 3.2 MM and 3.5 MM toughened glass during the POI, whereas M/s TPRS has the capacity to produce 2 MM toughened glass.
18. The Authority, therefore, holds not to exclude 2 MM, 3.2 MM and 3.5 MM thickness toughened glass used for home appliances from the scope of the PUC.

Dome shaped toughened glass

19. The Authority notes that the dome-shaped toughened glass is used in the front load washing machines manufactured by some users in India. It is manufactured by the process of sintering and using molds. The toughened glass is heat tempered and is generally transparent.
20. This type of toughened glass is not manufactured by the domestic industry. Therefore, the Authority, holds to exclude dome shaped toughened glass from the scope of the PUC.

Grooved toughened glass

21. The Authority notes that a grooved toughened glass is a specialized toughened glass that has grooves or trims in it. This groove / trim allows the glass to fit into a place without any adhesive or tape. The process of grooving is an additional process involving extra costs & resources. It is used as glass shelves in the refrigerator.
22. The domestic industry has not provided any evidence demonstrating that they have the capacity to produce this type of toughened glass. Therefore, the Authority, has decided to exclude grooved toughened glass from the scope of the PUC.

Printed/coloured toughened glass for refrigerator door

23. The Authority notes that there are some refrigerator manufacturers who require the toughened glass in coloured and printed form and the same is used with the front part of the entire door assembly of the refrigerator.
24. In this regard, the Authority notes that the domestic industry has the capability to produce printed/coloured toughened glass and has also produced and sold the same. Therefore, the Authority holds not to exclude printed/coloured toughened glass for refrigerator door from the scope of PUC. However, when such products are imported in assembled form, they are excluded from the scope of the PUC.

Euro deep grey tinted glass

25. The Authority notes the contentions of domestic users regarding euro deep grey tinted glass. The domestic users have submitted that the Indian glass processors will need to import euro deep grey glass as none of the glass manufacturers in India are producing tinted color glass of grey color and in respect of glass with molding and foaming technology, there is no manufacturer in India manufacturing glass of such technology. The glass

processors can only do cutting, etching and tempering process locally but the raw material required for the same is not available in India at all. Therefore, Samsung India has to import these toughened glass from outside India to be used in manufacturing washing machines.

26. In this regard, the Authority notes that, the said request is based on an assumption that the float glass, which is the raw material for the PUC, is not available in euro deep grey color in India. However, no evidence has been provided to establish the unavailability of the said product in India. Further, since the said product is a raw material for the PUC, the same can also be imported by the domestic producers of the PUC. The Authority further notes that the domestic producers have the capability to produce euro deep grey tinted toughened glass since the process of manufacture from float glass to PUC does not differ on account of the change in tint/color of the float glass. Thus, if any order is raised to the domestic industry for supply of such goods, the same can be fulfilled by them.
27. Accordingly, the Authority holds not to exclude euro deep grey tinted glass from the scope of the PUC.
28. The Authority has also received request to consider clarifications regarding the following types of the toughened glass for home appliances being under the scope of the PUC:
 - a. Insta-view door assemblies
 - b. Toughened glass door assemblies used in refrigerator
 - c. Microwave oven door assembly
29. As regards the submissions of interested parties to consider clarifications regarding the aforementioned types of the toughened glass for home appliances being under the scope of the PUC, the Authority notes that toughened glass as a part of door assemblies, whether for refrigerator, microwave oven or any other like purpose are similar to a Double-Glazed Unit (DGU). The Authority has already excluded toughened glass used in DGU from the scope of PUC while notifying the PCN methodology on 13.12.2022. Accordingly, it is clarified that toughened glass when imported in an assembled form, such as for Insta-view door assemblies, refrigerator or microwave oven, are not included in the scope of the PUC.
30. As regards the submission of the interested parties that the goods produced by the domestic manufacturers are of inferior quality, the Authority notes that none of the interested party has given any quantifiable standard such as BIS, which can demonstrate that the goods produced by the Indian manufacturers are of inferior quality. Further, most of the Indian producers have obtained the BIS license.
31. The present investigation is limited to the product under consideration imported for the purpose of use in home/household appliances such as refrigerator, cook-top, OTG, microwave, LED etc. Toughened glass imported for any other purpose such as automobiles, architecture etc. are excluded from the scope of the PUC.
32. As regards the submission of the interested parties that the PUC should not be defined on the basis of end-use, the Authority holds that there is no bar in the law from defining the PUC on the basis of end use. The Authority further notes that the customs classification for a large number of tariff items envisages the classification or distinction on the basis of the usage of a product. When the customs tariff itself prescribes use-based classification, it is incorrect to state that there is no tool or yardstick with the customs authorities to measure end use. Thus, there is no infirmity on account of defining the scope of the PUC on the basis of end use.
33. In view of the above, the product under consideration is as under:

“Toughened glass for home appliances having thickness between 1.8 MM to 8 MM and area of 0.4 SqM or less” excluding:

 - a) *Toughened glass used in glass lids of utensils*
 - b) *Toughened glass used in electronic switch and switch board panels*
 - c) *Curved coloured glass for washing machines*
 - d) *Toughened glass used in Double Glazed Unit (DGU)*

- e) *Dome shaped toughened glass*
- f) *Grooved Toughened glass*

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Views of the other interested parties

34. The other interested parties have submitted as follows with regard to the scope of the domestic industry and standing:
- a. The domestic industry has mentioned about 17 domestic producers of the subject goods in India. It is submitted that as per our understanding the number of domestic producers of manufacturing subject goods in India would be much higher in view of the low level of capital investment and reserving of the manufacturing of subject goods in MSME sector.
 - b. The domestic industry has not provided any evidence on record which indicates that there are only 17 domestic producers of the subject goods. Further, the domestic industry has also not provided the authentic details of the production of domestic producers apart from the petitioner and the supporting producers.
 - c. It is possible that there are also many other domestic producers in India that are not noted in the petition. Therefore, respondent requests the Authority to examine the standing of the applicants as domestic industry in India independently and not by relying solely on the information provided by the domestic industry.
 - d. The domestic industry for the first time vide their updated petition dated 04th February, 2023 has provided the details that there are 202 producers of the toughened glass in the country. Out of these 202 producers, the domestic industry has stated that there are only 17 producers of the subject goods in India as per their definition of the PUC. They have not provided any concrete evidence in support like the declarations/production details from other 185 remaining producers that they have not produced the subject goods during the entire injury investigation period i.e. 2018-19, 2019-20, 2020-21 and 2021-22.
 - e. Counsel for the petitioners made a statement in the oral hearing that the supporting industries are not in a position to provide the required data to the Hon'ble Authorities because the supporting industry contains small companies. However irrespective of this, the Authority need to comply with the procedural requirements established for all industries in an investigation. The support letters submitted by supporting producers do not adhere to the guidelines for support letters mandated in Trade Notice 13 of 2018 dated 27th September 2018. The Trade Notice prescribes at least 30 parameters including CA certification. However, the support letter attached to the petition hardly provides a handful of parameters. The Authority is required to follow standardised formats for all petitioners and industries. Selective implementation of trade notice should not be allowed.
 - f. When there are multiple domestic manufacturers, the standing of the domestic industry should be established with reliable evidence. In the present case, the applicant has not disclosed its source of information for its statement of Indian production.
 - g. Some of the major manufacturers like Asahi Glass Ltd. are neither the participants, nor the supporters of the application. Their names do not even figure in the list of other domestic producers disclosed in Exhibit - 4 to the petition. Hence, the total domestic production is certainly understated which puts the standing of the two applicants in question.
 - h. Absence of active participation of the major domestic producers should be investigated and their positions clarified. Further, given the magnitude of the turnovers, there is no merit in the petitioner's argument that the requirements of the Authority are onerous, and the domestic producers do not maintain sufficient records.

D.2. Submissions of the domestic industry

35. The domestic industry has submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and standing.
- a. The application has been filed by the Federation of Safety Glass (FOSG), an association of safety/specialty glass processors, on behalf of, M/s GSC Glass (P) Ltd. and M/s TPRS Enterprises. The application has been supported by M/s Nanda Glass Industries and M/s Shree Ashtavinayak Glass Private Limited by way of support letters.

- b. The applicants' share in the total domestic production of the subject goods is well above the criteria prescribed under the law. Also, the applicants with the supporters command the majority of share in the domestic market.
- c. The contention that the applicants are very small manufacturers when compared to producers like ASahi, is misplaced. The product under consideration as defined by the Authority in the initiation notification is "toughened glass for use in home appliances..." The toughened glass produced by ASahi and other big manufacturers in India such as Saint Gobain is for automobile applications. Other major players such as Ajay Poly Pvt Ltd, majorly deals in production and supply of refrigeration sealing systems for household and commercial industries. In any case, none of the interested party has placed any evidence on record to even indicate that the applicants do not meet any of the criteria prescribed under the law.
- d. The toughened glass used for appliances has measurably different production process and characteristics than the toughened glass used for architectural purposes, automotive applications etc. Such products are not substitutable in terms of characteristics and the producers engaged in production of toughened glass used for architectural purposes, automotive applications etc. cannot cater to the consumers requiring toughened glass for use in appliances and vice-versa. This shall be crystal clear to the Authority during verification of production process which shall demonstrate that the toughened glass used in appliances need various additional machinery which is not available with the other kinds of toughened glass manufacturers.
- e. In the present case, there is a clear demarcation between the toughened glass used for architectural/automobile purpose etc. and the toughened glass used in home appliances. For example, the toughened glass used in automobile and architectural purpose requires certain level of clarity in transmission, while the toughened glass used for appliances does not require any such specification. Further, the production process of two glasses also varies as the toughened glass used in appliances require additional machinery for drilling, painting/color, curvature etc.
- f. The contention of the interested parties that the standing of the applicants is flawed because the product scope has been restricted on end-use is incorrect, the standing requirement under Rule 5 is to be checked vis-à-vis the product under consideration only. There is no averment on record which may substantiate that the product under consideration cannot be restricted/defined on the basis of end use.
- g. FOSG has filed the application for anti-dumping duty on behalf of the two applicant domestic producers after the resolution dated 25.06.2021 was passed in the presence of the domestic producers of the subject goods.
- h. The need for filing the application through the association arose because most of the domestic producers were vary of filing the anti-dumping application because they were worried about upsetting their customers. The product under consideration is a made-to-order product. Most of the importers of the product under consideration are also procuring the product from domestic producers (though in small quantities). Thus, most of the customers consider the filing of anti-dumping case as an adversarial step. This is the reason that the domestic producers are not willing to file the application on their name or be an applicant.
- i. The orders received by one of the applicants, M/s GSC glass has significantly declined after the initiation of the investigation. Further, the customers which used to buy the product from GSC glass since years, have now started rejecting the material supplied by it on false pretexts. It is beyond comprehension that why the same customers which used to buy the subject products from the said domestic producer from so many years have suddenly started rejecting the very same products after initiation of the present investigation.

D.3. Examination by the Authority

36. Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves

importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

37. The application was filed by the Federation of Safety Glass (FOSG), an association of safety/specialty glass processors, on behalf of, M/s GSC Glass (P) Ltd. and M/s TPRS Enterprises ("the applicants"). The application was supported by M/s Nanda Glass Industries and M/s Shree Ashtavinayak Glass Private Limited by way of support letters.
38. As regards the claims of the interested parties that the support letters submitted by supporting producers do not adhere to the guidelines for support letters mandated in Trade Notice 13 of 2018 dated 27th September 2018, the Authority notes that vide Trade Notice No. 04/2021 dated 16.06.2021, the Authority had eased the information required from supporters in cases where information as laid down in Annex-1 and Annex-II of trade notice No. 13/2018 dated 27/09/2018 is not complied with. The said trade notice provided certain basic information in respect of injury periods including POI which are required to be provided by the supporters. The Authority notes that in the present case, the support letters furnished are in accordance with the requirements laid down under Trade Notice No. 04/2021 dated 16.06.2021.
39. The Authority also takes note of the submission of the domestic industry that the domestic producers of the subject goods are located in MSME sector and are relatively small players. The importers of the subject goods are also procuring the subject goods from such domestic producers in small quantities and are their customers.
40. Noting the concerns of the interested parties on ASahi and Ajay Poly being major producers of the PUC, the Authority sent letters to the two alleged producers of the PUC. However, no reply was received from either of the alleged producers.
41. The Authority also notes that none of the applicants have imported the subject goods or are related to any exporter or importer of the subject goods. The Authority has examined the detailed information on record and notes that the applicants account for a major proportion of the total domestic production in terms of Rule 2(b).
42. The applicants, along with supporters also constitute more than 50% (i.e. ****%) of the total domestic output. Therefore, the domestic industry satisfies the criteria of standing under Rule 5 of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions of the other interested parties

43. The other interested parties have submitted as follows with regards to confidentiality.
 - a. The petition filed by the domestic industry is deficient, and does not disclose the essential information which is necessary for the interested parties to put forth their defense.
 - b. The non-confidential version of the petition is not a replica of the confidential version. The exporters are therefore not able to defend their interests effectively.
 - c. The Petitioner has disregarded the requirements of Trade Notice 10/2018 dated 07.09.2018, and has claimed excess confidentiality.
 - d. The petition does not provide adequate information regarding: (i) manufacturing process; (ii) names of raw materials used in production of the product under consideration; (iii) volume and value of production by all producers except the domestic industry; (iv) average industry norms for capacity utilization; (v) average industry norms for inventory; (vi) funds raised: loans and advances; (vii) export price/unit; (viii) average industry norms for PBIT; (ix) purchase of PUC; (x) non injurious price.
 - e. The domestic industry has not provided any reason for not disclosing information as per Trade Notice 10/2018.
 - f. The petitioner has unjustifiably claimed confidentiality over the annual reports of the company.
 - g. With regards to claims by the domestic industry that the exporters have claimed excess confidentiality, it was submitted that all information relating to costing and pricing have been kept confidential, and the non-confidential version of the same has been provided indicating trends of the data.

- h. The information regarding the shareholdings of the exporters have been kept confidential since this is business sensitive information.

E.2. Submissions of the domestic industry

44. The domestic industry has submitted as follows with regards to confidentiality:
- a. The domestic industry has not claimed excess confidentiality.
 - b. Confidentiality claimed by the domestic industry is only for costing information which includes costs and prices.
 - c. The domestic industry has provided indexed figures for all information over which it has claimed confidentiality.
 - d. The non-confidential versions of the questionnaire response filed by the exporters is not a replica of the confidential version.
 - e. The exporters have claimed excess confidentiality and have not provided proper indexing of data.
 - f. The exporters have kept basic information like structure of enterprise, shareholding pattern, nature of the relationship between the exporter and those affiliated enterprises etc. confidential. There is no justification for the same.

E.3. Examination by the Authority

45. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various parties to all interested parties as per Rule 6(7).
46. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-Dumping Rules provides as follows:

“7. Confidential Information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

47. The interested parties, in their various submissions, have raised the issues of confidentiality claims of the other parties. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. Upon noting the deficiencies, the interested parties as well as the domestic industry were asked to update the information in their petition/responses strictly in terms of the Trade Notice issued by the Authority. Consequently, the interested parties provided updated information. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential versions of the evidence submitted by the various interested parties in the form of public file.
48. A list of all the interested parties was uploaded on DGTR’s website along with the request to all parties therein to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Submissions of the other interested parties

49. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions.

- a. The Bureau of Indian Standards is coming up with BIS applicable on toughened glass. Thus, any producer/exporter who will not be able to meet the requisite standards prescribed under the BIS will automatically be removed from the Indian market. This will reduce the quantity of imports from the subject country and will reduce the competition for the domestic producers, giving them a chance to further improve their already improving economic health.
- b. The revised BIS standard 2553: Part 1 will be applicable on import of subject goods from 1st April 2023. By way of BIS standard, the Government of India imposes qualitative regulation on the import of subject goods. This in turn results in exclusion of low priced and inferior quality of subject goods entering the domestic market in India. Therefore, low quality imports into India at low prices will be prevented automatically and interest of domestic industry will be safeguarded.
- c. The domestic industry in the current investigation has arbitrarily used the import data based on their market intelligence. We understand that the data used by the domestic industry was not representative nor reliable. It is due to this reason; the Authority has also not relied upon the import data submitted by the domestic industry.
- d. The producers forming part of the domestic industry i.e. M/s GSC Glass (P) Ltd. and M/s TPRS Enterprises have not provided the correct signed declarations for their imports and their relationship with the importers/exporters of the subject goods.
- e. CCCME should be considered as an interested party. The definition of the interested parties is inclusive in meaning thereby the list of the parties prescribed in the definition is not exhaustive and any other interested party that is not listed in the above definition may also be included as an interested party in an anti-dumping investigation.
- f. The import data for subject goods as per Ministry of Commerce import database for Tariff sub-heading 7007 1900 has been recorded in square meters (SqM). However, the applicants have submitted information pertaining to import data in metric ton (MT). The methodology used for conversion of import data from SqM to MT has not been provided by the applicants.
- g. Methodology used for segregation of imports should ensure that toughened glass for other end use is excluded, is not disclosed.
- h. Import data provided in the petition may not be reliable due to inherent issues affecting the transaction-by-transaction import data in glass products.
- i. The respondent submits that import data is indicative of transaction-wise import data on Bill of Entry ("BoE") basis. It is possible that when subject goods are imported, a single BoE may be composed of glass of varying thickness. It is possible that a single BoE may contain several line entries for imports of thickness ranging from 1.8mm to 8mm. However, the thickness of subject goods recorded in the import transaction may be of description with the largest thickness. In this case, the value of the BoE will not change but it will result in higher quantity in MT basis. Consequently, the price per MT will reduce.
- j. The initiation notification does not provide any other information about the import data obtained from DG Systems. Actual import data for subject goods sought from DG systems has not been disclosed.

F.2. Submissions of the domestic industry

50. The domestic industry has made the following miscellaneous submissions.

- a. China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) cannot be considered as an interested party in terms of Rule 2(c) of the anti-dumping Rules.
- b. The claim that the downstream user industry would be affected is without any basis. The likely impact of the duty would be minimal for the downstream industry and almost nil for the end users. The impact of imposing 10% duty would be between ***% to ***% on the end downstream industry.
- c. As regards the apprehension expressed by the interested parties regarding correctness of import data, it is clarified that the domestic industry, at the time of the filing of the petition, relied upon the private

import data available with it. The DGCI&S or DG Systems data were not provided to the applicants. In any case, the initiation notification itself notes that the present investigation has been initiated by the Authority after analyzing the DG systems data. Thus, the apprehensions expressed in this regard are unfounded.

- d. It is submitted that the descriptive part of the petition clearly mentions that the applicants are not related to any of the exporters of the subject goods or the importers thereof. Thus, the omission of “exporter” in the declaration is merely a typographical error and bears no significance.

F.3. Examination by the Authority

51. As regards the submission of the interested parties that the applicability of BIS standard shall reduce the quantity of imports, the Authority notes that the present investigation is to determine whether the imports of the subject goods from the subject country are dumped or not. Any action taken by BIS shall impact the qualitative aspect of the goods but not the dumping of the subject goods, if any.
52. As regards the concerns expressed by the interested parties regarding the import data used by the applicants in their petition, the Authority notes that for the purpose of the initiation, the Authority has relied upon DG-Systems data. Thus, no prejudice could have caused to the interested parties on this count.
53. Further, post initiation of the investigation, the Authority also received transaction wise import data from DGCI&S. However, as noted by the interested parties, and by co-relating exporter data with both DGCI&S data and DG Systems data, the Authority noted that when the subject goods of various thicknesses are imported under a particular invoice, the DGCI&S data reports entire such quantity of that invoice under only one thickness head whereas DG Systems data reports separate entries for separate items in one invoice. In view thereof, after due examination of the transactions and required analysis, DG Systems data has been relied upon for computation of the volume and value of imports to correlate quantum of exports from specified exporters and validate responses filed, to the extent feasible.
54. As regards the contentions of the interested parties regarding the methodology used for conversion of import data from SqM to MT, the Authority notes that the product under consideration is generally sold in square meters in the Indian market. The domestic industry maintains its quantitative data related to production, sales, stock etc. in square meters only. However, for the purpose of the subject investigation, the domestic industry has proposed conversion of all qualitative parameters from SqM to MT on the basis of standard weight/density of glass (2.5 kg/m³). Accordingly, the Authority has determined the constructed normal value and non-injurious price in MT on the basis of the standard weight of glass.
55. As per the questionnaire response submitted by co-operating producers/exporters, it is noted that the standard weight/density of glass claimed varied for different PCN types depending on the thickness of the glass, curve in the glass, cuttings in the glass such as in cooktops/chimneys etc. Therefore, for apple-to-apple comparison between exported subject goods and subject goods manufactured by domestic industry and for fair calculation of dumping and injury margin, the Authority has used the standard weight of glass to convert subject goods exported to India from China PR from square meters to weight in MT.
56. As regards the issue of incorrect declaration provided by the applicants, the Authority notes that the domestic industry stated in their petition that they are not related to any exporter or importer. The Authority has further verified the submissions made by the domestic producers from the transaction wise import data received from DG Systems and holds that they have not imported the subject goods during the POI or the injury period.
57. As regards the eligibility of CCCME as interested party, the Authority notes that though, CCCME has not registered as an interested party in the subject investigation within the timeline prescribed, the Authority has nevertheless dealt with the submissions made by CCCME at appropriate places.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

58. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

“(c) “normal value”, in relation to an article, means –

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.”

G.1. Submissions of the other interested parties

59. The other interested parties have submitted as follows with regards to normal value, export price and dumping margin.

- a. Designation of China PR as a Non-Market Economy (NME) is not in accordance with applicable laws and procedures.
- b. The relevant provision in Section 15 of China’s accession protocol which allowed for treatment of China PR as an NME has expired on 11th December, 2016. Therefore, there is currently no provision prevailing which allows the Authority to treat China PR as an NME in any investigation.
- c. Even if the Authority determines that China PR is a non-market economy for the purpose of this investigation, the Authority cannot directly resort to calculating the normal value based on the third methodology in Paragraph 7 of Annexure I to the Rules (i.e., *on any other reasonable basis*).
- d. The Authority must first attempt to determine the normal value based on; (i) price or constructed value in a market economy third country, or (ii) the price from such a third country to other countries, including India. Only if it is not possible to determine normal value based on these two methods, it can be determined on any other reasonable basis.
- e. Decision of the Hon’ble Supreme Court of India in the case of Shenyang Matsushita, 2005 (181) ELT 320 (SC) also supports the view that the Authority must proceed to determine normal value on any other reasonable basis only if it has exhausted the first two methods.
- f. There is no reason provided in the petition as to why the Authority cannot calculate the normal value based on the first two methods.
- g. The information provided by the domestic industry regarding the calculation of normal value has been kept entirely confidential, and it is therefore not possible for the respondents to answer any of the claims in that regard.

- h. The dumping margin provided by the domestic industry should not be relied upon without any verification from the Authority.

G.2. Submissions of the domestic industry

60. The domestic industry has submitted as follows with regard to the normal value, export price and dumping margin.
- a. China PR should be treated as an NME in accordance with Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules.
 - b. Paragraph 8 of Annexure I to the Rules leaves no choice to the Authority but to presume that China is an NME, unless the exporters prove otherwise. Therefore, regardless of the expiry of Section 15(a)(ii) of China's accession protocol, the Authority is bound by Paragraph 8 to presume that China is an NME.
 - c. Market economy status is not automatic upon the expiry of Section 15(a)(i), but rather, it would require China's compliance with the other provisions of Section 15 of the Accession Protocol.
 - d. The market economy claim of the exporters should not be accepted, as there is significant government intervention in several important sectors of the Chinese economy, warranting the maintenance of non-market economy status of China PR.
 - e. Market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules.
 - f. The market economy claim of the producers from China PR was rejected on the same basis in several recent investigations.
 - g. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the actual purchase prices of major inputs substantially reflect market values.
 - h. Market economy treatment must be rejected if Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards.
 - i. It is not for the Authority to establish that the responding companies are operating under market economy environment. But it is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.
 - j. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group has not filed the response, the claim for market economy status must be rejected.
 - k. The normal value in China PR can thus be determined on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit as per the consistent practice of the DGTR.

G.3. Examination by the Authority

61. The Authority sent questionnaires to the known producers / exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers have filed response to the exporter's questionnaire:
- a. Foshan Shunde Dehong Glass Industry Co., Ltd
 - b. Zhongshan Huangpu Jinfulai Glass Craft Factory
 - c. Chuzhou Xinjiang Glass Appliances Co. Ltd.

- d. Foshan Shunde Gaohua Glass Technology Co., Ltd.
- e. Zhangjiagang Weiyu Glassware Co., Ltd.
- f. Jiangyin City Heng Feng Plastic and Glass Co., Ltd.
- g. SCHOTT Glass Technologies (Suzhou) Co., Ltd.
- h. Benxi Chengxin Chengxin Electrical Co., Ltd
- i. Lianyungang Chengxin Glass Products Co., Ltd
- j. Pinghu Chengxin Glass Co., Ltd.
- k. Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co., Ltd
- l. Jiangyin Suifeng Glass Co., Ltd
- m. Zhongshan Meiyi Appliance Co. Ltd

G.3.1. Determination of normal value

Examination of Market Economy Treatment

62. The Authority sent questionnaires to the known producers / exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The Authority notes that none of the producers/exporters have filed a response to the relevant questionnaire to claim market economy treatment.

Normal value for China PR

63. Article 15 of China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy

conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.

64. The applicant has relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol as well as para 7 of the Annexure I. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
65. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to the supplementary questionnaire the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the Rules.
66. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under:

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the Country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

67. The Authority notes that under the provisions of para (7) of Annexure I, the normal value may be determined on the basis of price or constructed value in a third country, or the price from such country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.
68. As per paragraph 7 of Annexure I to the Rules, the Authority may move to the third method of determining normal value on any reasonable basis, when it has exhausted the first method, that is, price or constructed value in a third country, and the second method, that is, price from a third country to other countries, including India. However, it is noted that no information/evidence has been provided by the parties for the construction of the normal value on the basis of the first two methods. The Authority has not been provided with information regarding the price or constructed value of the subject goods in a market economy third country, or the price from such third country to other countries, including India. Also, import from other countries into India (excluding subject country) are very low (143 MT) as compared to total imports of subject goods into India. In the absence of the above information/evidence, the Authority holds to construct normal value based on the third method, i.e., *on any other reasonable basis*. Consequently, the normal value has been determined in terms of “price actually paid or payable in India” as stipulated in Para VII of the Annexure -I to the Anti-dumping Rules, 1995. The normal value has been computed on the basis of the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits.

G.3.2. Determination of Export Price

Export price for cooperating exporters/producers

i. M/s Foshan Shunde Dehong Glass Industry Co., Ltd.(Producer/Exporter) China PR, M/s Foshan Walsin Electrical Appliance Company Limited(Exporter/ Trader) China PR and M/s Haltech Industrial Company Limited(Exporter/Trader) Hong Kong

69. During the POI, Foshan Shunde Dehong Glass Industry Co., Ltd., China PR, has exported *** MT of subject goods for invoice value *** RMB to India on delivered (Ex-Work) basis indirectly through an unrelated exporter/trader namely, Foshan Walsin Electrical Appliance Company Limited. Further, Foshan Walsin Electrical Appliance Company Limited. China PR has also exported subject goods to India indirectly through another related exporter/trader namely, Haltech Industrial Company Limited, Hong Kong, and Haltech Industrial Company Limited, Hong Kong has exported subject goods to India to unrelated customers in India. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of credit cost only as goods has been exported to India on delivered (Ex-works) basis. Accordingly, the PCN-wise weightage average of net export price at ex-factory level so determined is as shown in the dumping margin Table below.

ii. M/s Zhongshan Huangpu Jinfulai Glass Craft Factory (Producer/Exporter) China PR, M/s Foshan Dimple Electric Appliance Co., Ltd. (Exporter/Trader) China PR and M/s Dimple HK Ltd.(Exporter/Trader) Hong Kong

70. During the POI, Zhongshan Huangpu Jinfulai Glass Craft Factory, China PR, (hereinafter referred to as Jinfulai) has exported *** MT of subject goods to India on delivered (ex- work) basis indirectly through an unrelated exporter/trader namely, Foshan Dimple Electric Appliance Co., Ltd., China PR, out of which Foshan Dimple Electric Appliance Co., Ltd., China PR has exported *** MT of subject goods to India directly to unrelated customers in India and rest of *** MT has been exported to India indirectly through another related exporter/trader namely, Dimple HK Ltd., Hong Kong to unrelated customers in India. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of credit cost only as goods has been exported to India on delivered (Ex-works) basis. Accordingly, the PCN-wise weightage average of net export price at ex-factory level so determined is as shown in the dumping margin Table below.

iii. M/s Foshan Shunde Gaohua Glass Technology Co., Ltd. (Producer/Exporter) China PR and M/s Zhongshan Cucinarte Intelligent Kitchen Co., Ltd. (Exporter/Trader) China PR

71. During the POI, Foshan Shunde Gaohua Glass Technology Co., Ltd., China PR, (hereinafter referred to as Gaohua) has exported subject goods to India indirectly through an unrelated exporter/trader namely, Zhongshan Cucinarte Intelligent Kitchen Co., Ltd., China PR. Further, Zhongshan Cucinarte Intelligent Kitchen Co., Ltd., China PR has exported subject goods to India to unrelated customers only. The producer/exporter has exported *** MT of subject goods to India. The dumping margin so determined is shown in the dumping margin table below.

iv. Chuzhou Xinjiang Glass Appliances Co., Ltd., China PR

72. During the POI, Chuzhou Xinjiang Glass Appliances Co., Ltd., China PR, has exported subject goods to India directly to unrelated customers only. The producer/exporter has exported *** MT of subject goods to India on FOB basis. The producer/exporter has claimed adjustments on account of inland transportation, credit cost and bank charges. Accordingly, the PCN-wise weightage average of net export price at ex-factory level so determined is as shown in the dumping margin table below.

v. SCHOTT Glass Technologies (Suzhou) Co., Ltd.

73. SCHOTT Glass Technologies (Suzhou) Co., Ltd., (hereinafter referred as “SCHOTT Glass”) is a producer of subject goods in China PR. SCHOTT Glass has produced and exported the subject goods directly to unrelated customers in India. SCHOTT Glass has provided relevant information in prescribed Exporter questionnaire format.

74. SCHOTT Glass has provided PCN wise information relating to exports of subject goods to India in Appendix 3A of the Exporters questionnaire response. It is noted that SCHOTT Glass has produced and exported *** MT of subject goods on FOB delivery terms to unrelated customers in India. SCHOTT Glass has claimed adjustments on account of inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges, which have been allowed by the Authority after verification.

75. The Authority has verified the PCN wise information for the exports to India reported in the questionnaire response by SCHOTT Glass. The weighted average dumping margin determined for SCHOTT Glass is given in the dumping margin table below.

vi. Zhangjiagang Weiyu Glassware Co., Ltd. (Weiyu Glassware), Zhangjiagang Weiyu International Trading Co., Ltd. (Weiyu Trading), and Weikang (Hong Kong) Limited

76. Weiyu Glassware has filed the exporter's questionnaire response along with its related trader Weiyu Trading, China and unrelated trader Weikang (Hong Kong) Limited. It is noted from the response that *** MT of subject goods has been sold by Weiyu Glassware to Weiyu Trading, China. Weiyu Trading, China has in turn exported the same to India through its unrelated trader Weikang (Hong Kong) Limited. The adjustments on account of inland transportation have been claimed by the said producer and trader. The said adjustments have been allowed after due desk verification. Further, both the related and unrelated trader have incurred losses on the export of subject goods to India. Therefore, the appropriate adjustment of losses has been made in the export price. Accordingly, the weighted average export price determined for Weiyu Glassware is given in the dumping margin table below.

vii. Jiangyin City Hengfeng Plastic and Glass Co., Ltd. (Hengfeng)

77. Hengfeng has filed the exporter's questionnaire response informing that the company has exported *** MT of the subject goods manufactured by itself to India directly. Adjustments were claimed on account of inland freight, port charges and other related expenses, credit cost and bank charges. In this regard, however, the Authority notes that Hengfeng has exported only curved coloured toughened glass used in washing machine during the POI. The Authority holds to exclude this type of toughened glass from the scope of PUC as the same has not been manufactured by the domestic industry during the POI.
78. Accordingly, the Authority has decided not to determine individual dumping and injury margins for Hengfeng.

viii. M/s Jiangyin Suifeng Glass Co., Ltd. (producer) exporting subject goods through related exporter M/s Zhangjiagang Qianchen Appliance Co., Ltd

79. The Authority notes that the producer M/s Jiangyin Suifeng Glass Co., Ltd. (Suifeng) has exported the subject goods through related exporter M/s Zhangjiagang Qianchen Appliance Co., Ltd. (Qianchen) during the POI. Both the aforementioned producer and exporter have provided their separate detailed responses to exporter's questionnaire and provided information for the determination of the Net Export Price (NEP). During the POI, the aforesaid companies have exported the subject goods to India of a total quantity of *** MT having total FOB value of their exports of US\$ ***. Adjustments were claimed by them on account of inland transportation, port and handling expenses and credit cost. The said adjustments have been allowed after due desk verification. Accordingly, the weighted average export price determined for Suifeng is given in the dumping margin table below.

ix. M/s Zhongshan Meiyi Appliance Co., Ltd. (producer) exporting subject goods through unrelated exporter M/s Zhongshan Foodstuffs Imp. and Exp. Co. Ltd. of Guangdong

80. The Authority notes that the producer M/s Zhongshan Meiyi Appliance Co., Ltd. (hereinafter referred to as Meiyi) has exported the subject goods through unrelated exporter M/s Zhongshan Foodstuffs Imp. and Exp. Co. Ltd. of Guangdong (hereinafter referred to as Zhongshan Foodstuffs) during the POI. Both the aforementioned producer and exporter have provided their separate detailed responses to exporter's questionnaire and provided information for the determination of the Net Export Price (NEP). During the POI, the aforesaid companies have exported to India a total quantity of *** MT of subject goods on FOB basis. Adjustments were claimed by them on account of inland transportation, port and handling expenses and credit cost. The said adjustments have been allowed after due desk verification. Accordingly, the weighted average export price determined for Meiyi is given in the dumping margin table below.

x. M/s Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co., Ltd.

81. The Authority notes that the producer M/s Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co., Ltd. (hereinafter referred to as Xiuqiang) exported the subject goods to India directly during the POI and submitted a detailed response to

exporter's. During the POI, the company has exported to India a total quantity of *** MT of subject goods having on FOB value. Adjustments were claimed by them on account of inland transportation, port and handling expenses and credit cost. The said adjustments have been allowed after due desk verification. Accordingly, the weighted average export price determined for Xiuqiang is given in the dumping margin table below.

xi. Benxi Chengxin Chengxin Electrical Co., Ltd, Lianyungang Chengxin Glass Products Co., Ltd and Pinghu Chengxin Glass Co., Ltd.

82. The Authority notes that Benxi Chengxin Chengxin Electrical Co. Ltd. (Benxi) and Lianyungang Chengxin Glass Products Co., Ltd (Lianyungang) are related producers of subject goods in China PR and both the producers have exported the subject goods to India indirectly through related exporter Pinghu Chengxin Glass Co., Ltd. (Pinghu). During the POI, Benxi have exported to India a total quantity of *** MT of subject goods having on FOB basis. Adjustments were claimed by them on account of inland transportation. The said adjustments have been allowed after desk verification. Accordingly, the weighted average export price determined for Benxi is given in the dumping margin table below.
83. During the POI, Liangyung have exported to India a total quantity of *** MT of subject goods having on FOB basis. Adjustments were claimed by them on account of inland transportation. The said adjustments have been allowed after desk verification. Accordingly, the weighted average export price determined for Liangyung is given in the dumping margin table below.

Dumping margin for related producers and Exporters

84. It is noted that in the subject investigation cooperative producers Benxi Chengxin Chengxin Electrical Co., Ltd and Lianyungang Chengxin Glass Products Co., Ltd and exporter Pinghu Chengxin Glass Co., Ltd are related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice of the Authority to consider related exporting producers or exporting producers belonging to the same group as one single entity for the determination of a dumping margin and thus to establish one single dumping margin for them. This is in particular because calculating individual dumping margins might encourage circumvention of antidumping measures, thus rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual dumping margin.
85. In accordance with the above, the relating exporting producers belonging to the same group are regarded as one single entity and attributed one single dumping margin which is calculated on the basis of the weighted average of the dumping margins of the cooperative producers in the respective groups.

Export price for non-cooperating producers/exporters from China PR

86. The export price for all other producers and exporters that have not participated in the present investigation has been determined on the basis of facts available.

G.3.3. Determination of Dumping Margin

87. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country is determined as follows:

| Sl. No. | Name of Producer | Currency/ Unit | Constructed Normal value | Export Price | Dumping Margin | Dumping Margin (%) | Dumping Margin (Range) |
|---------|--|----------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Foshan Shunde Dehong Glass Industry Co., Ltd | USD/MT | *** | *** | *** | *** | Negative |
| 2 | Zhongshan Huangpu | USD/MT | *** | *** | *** | *** | Negative |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-----|-----|-----|-----|----------|
| | Jinfulai Glass Craft Factory | | | | | | |
| 3 | Chuzhou Xinjiang Glass Appliances Co. Ltd. | USD/MT | *** | *** | *** | *** | 20-30 |
| 4 | Foshan Shunde Gaohua Glass Technology Co., Ltd. | USD/MT | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| 5 | Zhangjiagang Weiyu Glassware Co., Ltd. | USD/MT | *** | *** | *** | *** | 30-40 |
| 6 | SCHOTT Glass Technologies (Suzhou) Co., Ltd. | USD/MT | *** | *** | *** | *** | Negative |
| 7 | Benxi Chengxin Chengxin Electrical Co., Ltd. | USD/MT | *** | *** | *** | *** | *60-70 |
| 8 | Lianyungang Chengxin Glass Products Co., Ltd | USD/MT | *** | *** | *** | *** | *60-70 |
| 9 | Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co., Ltd | USD/MT | *** | *** | *** | *** | Negative |
| 10 | Jiangyin Suifeng Glass Co., Ltd | USD/MT | *** | *** | *** | *** | 0-10 |
| 11 | Zhongshan Meiyi Appliance Co. Ltd | USD/MT | *** | *** | *** | *** | 0-10 |
| 12 | Others | USD/MT | *** | *** | *** | *** | 60-70 |

* Weighted average dumping margin, dumping margin % and dumping margin range.

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions by the other interested parties

88. The other interested parties have submitted as follows with regards to injury and causal link.

- a. The domestic industry has not suffered material injury in the current investigation. All volume related parameters such as production, capacity utilization, domestic sales, productivity, number of employees, etc. have significantly increased over the injury investigation period.
- b. The evidence submitted by applicant did not establish a significant price effect under Article 3.2 of ADA and Para (ii) of the Annexure II to the Rules.
- c. No details/evidence provided by the domestic industry as part of the application for the interested parties to assess the increase of imports either in absolute terms or in relative terms.
- d. The domestic selling prices have come down over the injury investigation period. On the basis of CIF prices from China which have been provided only in indexed numbers, the import prices from China, on the other hand, have increased by 38% over the injury investigation period. However, when the decline in the domestic prices is objectively examined, it may be seen that there is no relationship between the import prices and the domestic prices. Both are moving in inverse directions.
- e. With regard to marginal decline in cost as alleged by the domestic industry, it may be seen that there is a significant decline in the cost per MT of the domestic industry by 36% over the injury investigation period which by no stretch of imagination can be considered as a marginal decline. It is submitted that while the cost per MT has come down by 36% in the POI, the domestic selling prices have come down only by 20% in POI as compared to the base year 2018-19. It indicates that there is a direct relationship between the domestic selling prices and cost of the domestic industry as the domestic selling prices followed the trend of decline in cost.
- f. There is a direct relationship between domestic selling prices and import prices from other countries.

- g. The price undercutting cannot be considered as a factor of injury unless there is an adverse effect on the sales, production, capacity utilization etc. of the domestic industry which is not the case in the current investigation.
- h. The price undercutting computed in the current investigation is on the basis of arbitrary use of import data by the domestic industry. Therefore, no injury can be alleged in the current investigation on the basis of price undercutting.
- i. The other interested parties sought to draw parallels in the instant investigation with the case of *Bridgestone*.
- j. There is no change in the production capacity of the domestic industry, and it has remained constant over the injury investigation period. The capacity utilization by the domestic industry has increased by 11% over the injury investigation period. The production of PUC has gone up from 100 in base year 2018-19 to 328 in the POI. It indicates there is a significant increase of 228% in production of PUC by the domestic industry. Further, the increase in production of PUC of the domestic industry in POI is by 45 percentage basis points as compared to immediate previous year 2020-21 and this increase in production happened simultaneously with the significant increase in the domestic prices by 15 percentage basis points. Considering the above facts, there is no injury to the domestic relating to capacity, production and capacity utilization.
- k. The applicants acknowledged in the application that the sales volume of the domestic industry has increased over the injury investigation period and therefore there is no injury with respect to sales volume of the domestic industry.
- l. The applicants have admitted that number of employees and as well as wages paid to them have increased over the injury investigation period.
- m. The domestic industry has alleged that average stock increased despite an increase in demand. It is submitted that this factor is not relevant for the injury examination in the current investigation in view of the nature of the product. The domestic industry in the application has itself mentioned that the glass used as the raw material is cut, drilled and grinded as per the customer required sizes before the process of toughening. It is due to the reason that after the process of toughening the glass cannot be cut, drilled or grinded. Therefore, the inventory, if any, lying with the domestic industry would be customer specific and would be waiting for dispatch but not due to the fact that the domestic industry is not able to sell the PUC.
- n. The losses of the domestic industry have significantly improved by 73 percentage points over the injury investigation period. Similarly, ROCE and cash profit of the domestic industry have also followed the same trend and have improved.
- o. The market share of the domestic industry has increased to 253% in the POI as compared to base year. Such an increase in the market share of the domestic industry is significant by all means. Further, the rate of increase in both sales and market share of the domestic industry is significantly higher than the rate of increase in demand.
- p. The only possible reason for not including other major domestic producers is to mislead the Authority with inaccurate and non-representative data. From market intelligence, these producers not considered by the applicants are considerably profitable. Hence, their inclusion in the computation of injury margin will not only provide a more realistic number but will also be more representative of the entire industry.
- q. The main cause of injury to the domestic industry is the non-meeting of required specifications of the products and inability to manufacture the PUC as per the specifications of the major users like Whirlpool. The products of the DI have a very high rate of rejection as they do not conform to the parameters or specifications of the users. Poor finish, uneven edges, low quality polish, and inaccurate dimensions are a regular feature of domestic producers' products.
- r. The unavailability of the underlying raw material also results in low-capacity utilization on part of the domestic producer which further aggravates the injury caused by their inability to meet user demands.
- s. The Authority must consider the "best utilization" principle to ensure that the impact of the high fixed costs per unit is normalized.

H.2. Submissions by the domestic industry

89. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link.
 - a. The data on record clearly demonstrates that the dumped imports from the subject country has caused significant injury to the domestic industry.
 - b. There has been a constant increase in the volume of imports of PUC from the subject country. The imports have increase both in absolute and relative terms.
 - c. The landed value of imports continues to undercut the prices of the subject goods in the country.

- d. The import prices from China are much below the cost of production and net sales realization of the domestic industry indicating clear price suppression/depression. The price underselling has been positive and significant throughout the injury investigation period.
- e. There has been significant negative impact of the imports on the economic parameters of the domestic industry. The domestic industry has severely unutilized capacity despite there being sufficient demand of the PUC in the country.
- f. The sales of the domestic industry have not increased in tandem with the increase in demand of the subject goods in the country. This is also evident from the fact that while the share of imports in demand increased by around 17%, the share of domestic producers in demand decreased by 16%.
- g. The price pressure put by the imports has ensured that the domestic industry has not been able to increase its selling price leading to significant losses and negative ROCE.
- h. The low-priced imports have put the domestic industry in a peculiar position where whenever the domestic industry makes attempt to get a decent market share, it is forced to sell its product at losses. This phenomenon is clearly visible in POI where the domestic industry was able to increase its sales but it remained in losses on account of lower selling price.
- i. Any improvement in few parameters of the domestic industry cannot be construed to mean that there is no injury to the domestic industry. In terms of the settled WTO jurisprudence, past practice of the Authority and the precedents of the courts in India, the examination of injury parameters cannot be done in a tick-mark approach as purported to be done by the interested parties.
- j. None of the interested parties has provided any evidence on record as to how the domestic industry has suffered injury due to factors other than dumping from the subject country. Only bare unsubstantiated statements have been made. Therefore, the submissions of the interested parties are required to be ignored.
- k. While there has been increase in imports, the import prices have improved. Due to this, domestic industry was able to increase its price and minimize its losses. However, the import prices continue to be below the cost and prices of the domestic industry. The domestic industry has not been able to match import prices, resulting into loss of orders and market share. This clearly establishes the causal link between the dumped imports and injury to the domestic industry.
- l. Despite the onset of Covid, the Chinese exporters continue to enjoy dominant position in the Indian market holding more than 60% of the market share. Further, the imports from China continued to be dumped in the Indian market below the cost of production, selling price and the non-injurious prices of the domestic industry.
- m. The performance parameters of the domestic industry have either declined or remained stagnant despite substantial increase in the demand of the PUC in the country. Despite such increase in demand, around ***% of the capacities of the domestic industries vis-à-vis PUC has remained idle throughout the injury period while the imports from China kept on swelling. This clearly indicates that the injury caused to the domestic industry is on account of the dumped imports from China.
- n. It was submitted that the demand in the domestic market has increased substantially. However, market share of the domestic industry has declined. At the same time, the market share of the subject country in demand has increased significantly from the base year to the POI.

H.3. Examination by the Authority

90. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and has examined various parameters in accordance with the Rules after duly considering the submissions made by the interested parties. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.
91. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting

by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

92. As regards the submissions relating the volume effect of the dumped imports, the Authority notes that there has been a significant increase in imports during the injury investigation period. The volume of imports relative to production in the country and the consumption/demand has also shown significant increase during the injury investigation period.
93. As regards the submissions relating the price effect of the dumped imports, the Authority notes that the import prices have increased over the injury investigation period. On the other hand, the net sales realization and the cost of sales of the domestic industry has decreased. The Authority notes that while the import price from China has increased, it continues to be below the cost of production and selling price of the domestic industry. The low prices of the imports from China have compelled the domestic industry to bring down its selling price. The extent of price pressure exerted by the imports from the subject country is evident from the fact that despite significant decrease in the cost of sales of the domestic industry and increase in the imports price, the domestic industry is still not able to recover its losses, as the import prices are still below the cost of sales and net sales realization of domestic industry.
94. As regards the submission that there is a direct correlation between the import prices from other countries and the selling price of the domestic industry, the Authority notes that the imports from other countries are in insignificant quantities. Such insignificant quantities cannot affect the selling price of the domestic industry.
95. As regards the contention that price undercutting cannot be considered as a factor of injury in terms of the *Bridgestone* case, the Authority notes that price undercutting examination has been carried out to determine the price effect of the dumped imports only. Injury, as mandated by Annexure II has been analyzed in this final finding vis-à-vis the mandatory factors listed under para (iv).
96. As regards the submission that the price undercutting has been computed by the applicants on the basis of arbitrary/incorrect usage of import data, the Authority notes that the price undercutting in the present final finding is determined on the basis of the import data acquired by the Authority from DG Systems.
97. As regards the contention of the interested parties that there has been considerable improvement in the parameters such as capacity utilization, market share, employment and wages etc., the Authority notes that the improvement in such parameters is largely on account of the commencement of the production of PUC by TPRS Enterprises in 2020-21.
98. As regards the contention relating to average stocks/inventory of the domestic industry, the Authority notes that since the subject goods are made-to-order products, the change in inventory is not a relevant factor of injury in the facts and circumstances of the present case.
99. The Authority takes note of the fact that while the demand of the subject goods in the domestic market has increased substantially, market share of the domestic industry has declined. During the same period, the share of imports from the subject country in demand has increased significantly.
100. As regards the submission of the domestic industry that whenever the domestic industry makes attempt to get a decent market share, it is forced to sell its product at losses, the Authority notes that the evidences on record indicates that the imports are restricting/preventing the domestic industry from increasing their prices to a profitable level.

101. The Authority also takes note of the fact that despite substantial reduction in the domestic selling prices to match the import prices from the subject country, the domestic producers have still not been able to match the import prices. On account of this, the share of imports from subject country in demand has seen a steady upwards trend with a significant increase in the POI.

I. Volume of the dumped imports, and demand/consumption

102. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DG Systems. The import volumes of the subject goods from the subject country, share of the dumped imports and demand during the injury investigation period are as follows:

| Particulars | UoM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (POI) |
|--|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Sales of domestic industry | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 122 | 307 | 357 |
| Sale of other Indian producers | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 91 | 78 | 63 |
| Total domestic sales | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 94 | 97 | 88 |
| Imports from China PR | MT | 15619 | 15358 | 20390 | 30176 |
| Un-dumped imports | MT | 0 | 0 | 0 | 2607 |
| Dumped imports from China PR | MT | 15619 | 15358 | 20390 | 27569 |
| Imports from other countries | MT | 480 | 546 | 1535 | 143 |
| Total imports | MT | 16099 | 15904 | 21926 | 30319 |
| % share of China PR in imports | % | 97% | 97% | 93% | 100% |
| % share of dumped imports from China PR in total imports | % | 97% | 97% | 93% | 91% |
| % share of other countries in total imports | % | 3% | 3% | 7% | 0% |
| Total demand/consumption | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 96 | 118 | 141 |

103. It is seen that demand for subject goods has increased throughout the injury investigation period with a marginal decline in 2019-20 over 2018-19. The volume of imports from the subject country have also increased throughout the injury investigation period. The Authority notes that the dumped imports from China have almost doubled from 15619 MT in the base year to 27569 in the POI. At the same time, the share of other countries in imports has declined. Further, the share of the imports from subject country in demand has also increased from ***% in the base year to ***% in the POI.

II. Imports from the subject country relative to production and consumption

104. The Authority has analyzed the increase of imports from the subject country both in absolute terms and relative terms by comparing the imports with the domestic production for each year:

| Particulars | UoM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (POI) |
|-------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------------|
| Imports from subject country | MT | 15,619 | 15,358 | 20,390 | 30,176 |
| Dumped Imports from subject country | MT | 15,619 | 15,358 | 20,390 | 27,339 |
| Domestic Production (Applicant) | MT | *** | *** | *** | *** |

| | | | | | |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|
| Trend | Indexed | 100 | 122 | 313 | 371 |
| Domestic Production (Supporter - Nanda Glass) | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 107 | 113 | 102 |
| Domestic Production (Supporter - Shri Ashtavinayak) | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 118 | 86 | 71 |
| Domestic production (Applicant + Supporter) | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 113 | 135 | 133 |
| Domestic Production (Other Producers) | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 74 | 58 | 41 |
| Total Indian production | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 94 | 97 | 88 |
| % Share of subject country in comparison to production (Total Indian Production) | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 104 | 135 | 220 |
| % Share of Dumped imports from subject country in comparison to production (Total Indian Production) | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 105 | 135 | 202 |

105. It is seen that:

- The volume of dumped imports from China PR have increased during the injury investigation period.
- There is a significant increase in production by the applicants throughout the injury investigation period whereas the production of the other domestic producers has declined.
- The volume of imports in relation to the production has increased from ***% in the base year to ***% in the POI.

III. Price effect of the dumped imports

106. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed price of imports from the subject country with the net sales realization of the domestic industry for the subject goods.

a. Price undercutting

107. To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and the net selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade.

| Particulars | UoM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (POI) |
|--|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Landed price of imports | Rs/MT | 65425 | 63223 | 66257 | 79093 |
| Landed price of dumped imports | Rs/MT | 65425 | 63223 | 66257 | 73452 |
| Net selling price of domestic industry | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 67 | 60 | 74 |
| Price undercutting | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| Price undercutting | % | *** | *** | *** | *** |
| Price undercutting | Range | 80-90 | 20-30 | 0-10 | 10-20 |
| Price undercutting (dumped imports) | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| Price undercutting (dumped imports) | % | *** | *** | *** | *** |
| Price undercutting (dumped imports) | Range | 80-90 | 20-30 | 0-10 | 10-20 |

108. It is noted that price undercutting is positive throughout injury investigation period. The price undercutting has declined till 2020-21 with an increase in the POI.

b. Price suppression/depression

109. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the information given by the domestic industry for the changes in the costs and prices over the injury period has been compared with the landed value.

| Particulars | UoM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (POI) |
|---|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Cost of Sales | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 93 | 66 | 55 |
| Selling Price | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 67 | 60 | 74 |
| Landed value from subject country | Rs/MT | 65425 | 63223 | 66257 | 79093 |
| Trend | Indexed | 100 | 97 | 101 | 121 |
| Landed value of dumped imports from subject country | Rs/MT | 65425 | 63223 | 66257 | 73452 |
| Trend | Indexed | 100 | 97 | 101 | 112 |

110. It is seen that the landed value of the subject goods from the subject country is much below the cost of production of the domestic industry. The landed value of imports is also below the selling price of the domestic industry. The selling price of the domestic industry has also been below the cost of production. The Authority notes that the subject goods are preventing the domestic industry from increasing their prices to a remunerative level. Thus, the imports have caused both, price suppression and depression.

IV. Economic parameters of the domestic industry

111. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a. Changes in Market Share held by the Indian producers

112. Market share of the domestic industry and other Indian producers is as below:

| Particulars | UoM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (POI) |
|------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------------|
| Imports from subject country | MT | 15619 | 15358 | 20390 | 30176 |
| Imports from other countries | MT | 480 | 546 | 1535 | 143 |
| Total imports | MT | 16099 | 15904 | 21926 | 30319 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| Sales of domestic industry | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 122 | 307 | 357 |
| Sales of other domestic Producers | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 91 | 78 | 63 |
| Total Indian domestic sales | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 94 | 97 | 88 |
| Demand | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 96 | 118 | 141 |
| Share in demand | | | | | |
| Imports from subject country | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 102 | 111 | 137 |
| Imports from other countries | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 118 | 272 | 21 |
| Total imports | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 103 | 116 | 134 |
| Total domestic sales | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 97 | 82 | 62 |

113. The Authority notes that the market share of domestic producers declined significantly from ***% in the POI to ***% in the POI. The Authority further notes that the market share of the imports from the subject country has increased significantly from 51% in the base year to 70% in the POI.

b. Output and Capacity Utilization

114. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, capacity utilization and sales is as follows:

| Particulars | UoM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (POI) |
|---|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Capacity | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total production | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 95 | 76 | 112 |
| Production PUC only | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 122 | 313 | 371 |
| Capacity utilization (Total production) | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 96 | 75 | 112 |

115. The Authority notes that the capacity of the domestic industry has remained constant throughout the entire injury investigation period. The production and capacity utilization of the domestic industry has consistently improved during the entire injury investigation period except for the year 2020-21.

c. Inventories

116. Inventories with the domestic industry over the injury period are as below:

| Particulars | UoM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (POI) |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Inventory | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 133 | 467 | 1219 |

117. It is seen that the average inventories of the domestic industry has increased significantly. However, the Authority notes that since the subject goods are made-to-order products, the change in inventory is not a relevant factor of injury in the facts and circumstances of the present case.

d. Employment, wages and productivity

118. The Authority has examined the information relating to employment, wages per employee and productivity per employee, as given below:

| Particulars | UoM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (POI) |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------------|
| Production | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 122 | 313 | 371 |
| Employees | Nos | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 91 | 143 | 142 |
| Production/Employee | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 150 | 250 | 300 |
| Wages | Rs. Lacs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 144 | 173 | 223 |
| Wages/employee (Rs) | Rs/Nos | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 158 | 120 | 157 |

119. It is seen that the production of the domestic industry has increased throughout the injury period. The number of employees has increased and the productivity per employee has also improved during the injury investigation period. Wages paid per employee has also improved during the injury investigation period.

e. Sales Volume & Value

120. The authority has examined the sales of the domestic industry as under:

| Particulars | UoM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (POI) |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Sales | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 122 | 307 | 357 |
| Sales Value | Rs Lacs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 82 | 185 | 263 |
| Selling Price/unit | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 67 | 60 | 74 |

121. It is noted that the domestic sales of the domestic industry have consistently improved during the injury investigation period. However, there has been a decline in the selling price of the domestic industry when compared to the base year.

f. Profitability, cash profits and return on capital employed

122. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period are as follows:

| Particulars | UoM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (POI) |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------------|
| Selling Price | Rs./MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 67 | 60 | 74 |
| Cost of Sales | Rs./MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 93 | 66 | 55 |
| Profit & Loss | Rs. Lacs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | -100 | -185 | -248 | -46 |
| Profit & Loss | Rs./MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | -100 | -151 | -81 | -13 |
| Cash Profit | Rs./MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | -100 | -158 | -78 | -3 |
| Return on Capital Employed | % | *** | *** | *** | *** |

| | | | | | |
|--------|---------|------|------|------|-----|
| (ROCE) | | | | | |
| Trend | Indexed | -100 | -188 | -201 | -20 |

123. From the aforesaid table, the Authority notes as follows:

- The selling price of the domestic industry has continued to be below cost of production leading to losses.
- The domestic industry continues to be in losses though the losses of the domestic industry have declined during the injury period.
- The ROCE of domestic industry was negative throughout the injury investigation period.

g. Growth

124. The performance of the domestic industry has improved in some of the volume parameters such as production, sales, and capacity utilization. The performance of the domestic industry has also improved with respect to the profitability and ROCE. However, the market share of the domestic producers have seen a significantly negative growth. Further, the profitability and ROCE of the domestic industry remain to be in negative despite improving upon the previous years. The Authority also notes that the statistical improvement in some of the parameters of the domestic industry is on account of account of the commencement of the production of PUC by TPRS Enterprises in 2020-21

| Particulars | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (POI) |
|--------------------------|---------|---------|---------------|
| Production | 22% | 156% | 19% |
| Domestic Sales | 22% | 152% | 16% |
| Profit/(Loss) per unit | (51)% | 47% | 84% |
| Inventory | 33% | 250% | 161% |
| Market Share (Applicant) | 27% | 106% | (3)% |
| Profit/(Loss) | (85)% | (34)% | 82% |
| PBIT per unit | (55)% | 49% | 87% |
| ROI % | (88)% | (7)% | 90% |

h. Ability to raise capital investment

125. The Authority notes that the domestic industry is not able to recover its cost while selling the subject goods. The import prices are much below the cost of production.

i. Factors affecting prices

126. The Authority notes that the volume of imports during the period of investigation was significant and such imports were at prices significantly below the cost of production of the domestic industry.

j. Magnitude of dumping

127. It is noted that the dumping margin from the subject country is significant.

I. CONCLUSION ON INJURY

128. The authority notes that the volume of imports has increased in absolute terms during the POI. The volume of imports in relation to production and consumption in the country has also increased continuously with a significant increase in the POI. The import prices have increased marginally in the POI, however, the same continues to be below the cost of the domestic industry. The price pressure exerted by the subject imports has adversely affected the profitability, ROCE and other parameters of the domestic industry. The domestic industry is suffering financial losses throughout the injury investigation period. Therefore, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury on account of the dumped imports from the subject country.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

129. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the period of investigation.

Injury margin for related producers and exporters

130. It is noted that in the subject investigation cooperative producers Benxi Chengxin Chengxin Electrical Co., Ltd and Lianyungang Chengxin Glass Products Co., Ltd and exporter Pinghu Chengxin Glass Co., Ltd are related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice of the Authority to consider related exporting producers or exporting producers belonging to the same group as one single entity for the determination of an injury margin and thus to establish one single injury margin for them. This is in particular because calculating individual injury margins might encourage circumvention of antidumping measures, thus rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual injury margin.
131. In accordance with the above, the relating exporting producers belonging to the same group are regarded as one single entity and attributed one single injury margin which is calculated on the basis of the weighted average of the injury margins of the cooperative producers in the respective groups.
132. The injury margin so worked out is as under:

| SN | Name of Producer | Currency/ Unit | Non- Injurious Price | Landed Value | Injury Margin | Injury Margin (%) | Injury Margin (Range) |
|----|--|-------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Foshan Shunde Dehong Glass Industry Co., Ltd | USD/MT | *** | *** | *** | *** | Negative |
| 2 | Zhongshan Huangpu Jinfulai Glass Craft Factory | USD/MT | *** | *** | *** | *** | Negative |
| 3 | Chuzhou Xinjiang Glass Appliances Co. Ltd. | USD/MT | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| 4 | Foshan Shunde Gaohua Glass Technology Co., Ltd. | USD/MT | *** | *** | *** | *** | Negative |
| 5 | Zhangjiagang Weiyu Glassware Co., Ltd. | USD/MT | *** | *** | *** | *** | 0-10 |
| 6 | SCHOTT Glass Technologies (Suzhou) Co., Ltd. | USD/MT | *** | *** | *** | *** | Negative |
| 7 | Benxi Chengxin Chengxin Electrical Co., Ltd. | USD/MT | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| 8 | Lianyungang Chengxin Glass Products Co., Ltd | USD/MT | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| 9 | Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co., Ltd | USD/MT | *** | *** | *** | *** | Negative |
| 10 | Jiangyin Suifeng Glass Co., Ltd | USD/MT | *** | *** | *** | *** | Negative |
| 11 | Zhongshan Meiyi Appliance Co. Ltd | USD/MT | *** | *** | *** | *** | Negative |
| 12 | Others | USD/MT | *** | *** | *** | *** | 20-30 |

* Weighted average injury margin, injury margin % and injury margin range.

K. EXAMINATION OF CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

133. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry:

a. Volume and price of imports from third country

134. The Authority notes that imports from other countries are insignificant and have substantially dropped throughout the entire injury investigation period.

b. Contraction in demand

135. It is noted that the demand of the subject goods has increased throughout the injury investigation period.

c. Changes in pattern of consumption

136. There has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration.

d. Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers

137. The imports of the subject goods are not restricted in any manner and are freely importable in the country.

e. Export performance

138. The Authority has considered data for the domestic operations only.

f. Productivity

139. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has improved during the injury investigation period.

g. Performance of other products of the company

140. The performance parameters of the domestic industry considered in this final finding are based upon the performance for the product under consideration only.

141. It is thus noted that other known factors listed under the Rules do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors. The Authority has also examined whether the dumping of the product has caused injury to the domestic industry. The following parameters show that material injury to the domestic industry has been caused by dumped imports:

- a. Imports of the subject goods from subject country have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption.
- b. The market share of subject imports has increased significantly during injury period, while the share of domestic industry has declined over the same period.
- c. The dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry. Further, the price undercutting has led to depressing effects on the prices of the product in the market.
- d. The adverse price effects caused by the dumped imports has adversely impacted the profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry.

142. The Authority, thus, concludes that the domestic industry has suffered material injury on account of the dumped imports from the subject country.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

143. The Authority issued the disclosure statement on 27th June, 2023 disclosing essential facts under consideration in the investigation and inviting comments from all the interested parties. Most of the issues raised in the post-

disclosure comments have already been raised earlier and addressed appropriately hereinabove. Additional submissions to the extent relevant have been examined below:

L.1 Submissions of the other interested parties

144. Following submissions have been made by the other interested parties:

- a. The Authority has noted that only inland transportation has been claimed as adjustments by Weiyu Group. However, the exporter has claimed adjustments on account of inland transportation (Weiyu Glassware), port and other related expenses, credit cost and bank charges (Weiyu Trading) and bank charges and credit cost (Weikang (Hong Kong)). They have requested the Authority to modify the paragraph in the final finding.
- b. Interested parties have submitted that the data submitted by the applicant in its petition is different from the data disclosed by the Authority for the injury analysis in the disclosure statement. They have requested the Authority to clarify the reasons for the revisions in the data in the final findings.
- c. The Authority has not stated that the “domestic industry” in the subject investigation has the capability to produce printed/coloured toughened glass for refrigerator doors but instead has mentioned “domestic producers”. The Authority is requested to clarify whether the domestic industry in the subject investigation has the capability to produce printed/coloured toughened glass for refrigerator doors or some other domestic producers who are not part of the subject investigation have the capability to produce printed/coloured toughened glass for refrigerator doors.
- d. The Authority has excluded curved coloured glass for washing machine based on the fact that the applicant does not carry out the toughening process for curved coloured glass for washing machine. The process of toughening for both the curved coloured glass for washing machine and curved plain glass for washing machine is similar. Therefore, if curved coloured glass for washing machine is excluded from the scope of product under consideration, the Authority should also exclude curved plain glass for washing machine from the scope of the product under consideration.
- e. The Authority has included certain products in the PUC on the ground that the domestic industry has the capability to manufacture them. It is submitted that mere capability of the domestic industry to produce is not sufficient. As per the Manual of Operating Procedure issued by DGTR, only those products which have been supplied by the domestic industry in commercial quantities can be included in the PUC.
- f. Hengfeng has submitted that inadvertently, the Authority has stated “*Hengfeng has exported only curved coloured toughened glass used in refrigerator*” in paragraph 76 of the disclosure statement instead of “*Hengfeng has exported only curved coloured toughened glass used in washing machines*”. They have requested the Authority to rectify the same.
- g. Samsung India has stated that the domestic producers of the toughened glass does not have sufficient capacity to meet their demand. On the basis of the communication made with one of the applicants, M/s GSC Glass, Samsung has stated that the spare capacity available with them is merely ***% of their requirement for refrigerator. Samsung has also contended that mere capability of the domestic industry to produce subject goods of thicknesses 3.2 MM to 3.5 MM is not sufficient for inclusion of such products in the PUC. They have reiterated their request for the exclusion of Euro Deep Grey tinted toughened glass.
- h. The determination of the standing of the domestic industry in the current investigation is fundamentally flawed as the current investigation is being continued on the basis of incorrect definition of the PUC.
- i. All the economic parameters of the petitioners have been on an upward trajectory or depicted a strong level and such trends cannot be termed as situation of dumping or injury.

L.2 Submissions of the domestic industry

145. Following submissions have been made by the domestic industry:

- a. It is apparent from the disclosure statement that more than 90% imports in India are at dumped prices. Some of the exporters are found to be not dumping or their injury margin is found to be

negative. The domestic industry submits that the said observation in the disclosure statement is not in line with the market realities and the information of the domestic industry.

- b. Most of the Chinese exporters, are selling the subject goods at much lower prices making it impossible for the domestic producers to sustain themselves in the market. In such a situation, the domestic industry apprehends that such exporters have artificially increased their prices while filing their questionnaire response.
- c. The Authority should match the export quantity and value reported by the exporters from the subject country with quantity and value reported in DG-systems data. The responses of the exporters should only be accepted if it matches with the quantity and value reported in DG-Systems data and such exports meet with all conditions applicable for granting individual dumping margin to exporters.
- d. It is submitted that “grooved toughened glass” is manufactured by multiple producers in India. The exclusion of such product is not warranted as manufacturing grooved toughened glass does not require any specialised process/machinery and any producer producing toughened glass can easily produce such type of toughened glass with miniscule added process and cost.

L.3 Examination by the Authority

146. The Authority notes that most of the submissions raised by the interested parties are repetitive and has already been addressed hereinabove. The submissions made by the interested parties, to the extent relevant and not addressed elsewhere, is examined below:

- a. As regards to the comment filed by Weiyu group with respect to the adjustments made in the export price, it is noted that the Authority has considered the price from Weiyu Glassware to Weiyu Trading as the starting point to arrive at ex-factory export price. Therefore, the expenses incurred by Weiyu Trading and Weikang (Hong Kong) has not been adjusted. The inland transportation expenses incurred by Weiyu Glassware are deducted to arrive at ex-factory export price. The appropriate adjustment of losses incurred by Weiyu Trading and Weikang (Hong Kong) has been made in the export price.
- b. As regards the difference in the data related to the domestic industry contained in the petition filed by them and the data contained in the disclosure statement related to the injury analysis, the Authority notes that the data contained in the disclosure statement is taken after the verification of the data earlier filed by the domestic industry in their application.
- c. As regards the contention that only those products can be included in the PUC which are actually manufactured and supplied by the domestic industry in commercial quantities, the Authority holds that the PUC in the present investigation is a made to order product. The various parameters of the product such as thickness, curvature, tint etc. ensures that there are practically innumerable variants of the PUC. The domestic industry has submitted that they can only manufacture a product type if there is demand of the same by the users/consumers in India. Further, the domestic industry has demonstrated that they have capability to produce product variants included in the PUC. Further, the examination of the data filed by the exporters also indicate that each producer is only supplying few grades/types of the PUC. This clearly establishes that the production and sales of the PUC is dependent upon the orders received from the users/consumers. In such a situation, the Authority notes that it will be unreasonable to include only those product grades/types which have been supplied in commercial quantities by the domestic industry. It is also noted that none of the interested party has provided any evidence where an order of any such type/grade of the PUC was placed on the domestic industry and they were unable to supply such types/grades.
- d. As regards the submission that curved coloured glass for washing machine has been excluded based on the fact that the applicant does not carry out the toughening process for curved coloured glass for washing machine, the Authority notes that the understanding of the interested party regarding the reason for exclusion of curved coloured glass for washing machine is incorrect. Curved coloured toughened glass for washing machine has been excluded by the Authority on the request of LG electronics India private limited. Also, no request was received for exclusion of curved plain glass for washing machine. Further, the domestic industry had stated that they do not manufacture curved coloured toughened glass for washing machine and did not object to the exclusion of the said

product. On the other hand, the domestic industry had provided evidence of sales of curved plain toughened glass. Thus, the exclusion of the same is not warranted.

- e. As regards the contention that mere capability to produce the subject goods with 3.2 MM to 3.5 MM thickness is not sufficient, the Authority notes from the information on record that the domestic industry has indeed produced and sold 3.2 MM and 3.5 MM toughened glass during the POI. Thus, the exclusion of the same is not warranted.
- f. As regards the request of the domestic industry to match the export quantity and value reported by the exporters from the subject country with quantity and value reported in DG-Systems data, the Authority notes that such analysis was carried out before the issuance of the disclosure statement.
- g. As regards the contention of the domestic industry regarding inclusion of “grooved toughened glass”, the Authority notes that while the applicant has submitted the evidence of sales of grooved glass by other domestic producer, no such evidence has been provided demonstrating that the domestic industry has either manufactured or supplied the same or have the capability to produce the same. Thus, the Authority holds not to include “grooved toughened glass” in the product under consideration.
- h. As regards the contention raised by Samsung that the excess capacity available with one of the applicants, M/s GSC Glass, is merely ***% of their requirement for refrigerator, the Authority notes from the data and information on record that the two applicants before the Authority, themselves have sufficient capacities to cater to the majority of the Indian demand. In addition, there are significant idle capacities lying with the applicants and other Indian producers which can sufficiently cater to the Indian demand. In any case, the purpose of the anti-dumping duty is not to restrict the imports in any manner whatsoever, instead, it is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping, so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market.

M. INDIAN INDUSTRY’S INTEREST

M.1. Submissions by the other interested parties

147. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the Indian industry’s interest:

- a. The BIS standard on toughened glass has come into force. With the onset of BIS standard, Whirlpool will be unable to import the types of toughened glass such as printed/coloured toughened glass for refrigerator doors from China as the producer in China may not be able to get a BIS certification. This may create a monopolistic situation in India wherein the users are unable to import any type of toughened glass and will be dependent on the domestic industry for supply. Due to the demand-supply constraint, the domestic industry may charge exorbitant prices on their products, which is not in the interest of the users in India.
- b. The appliance industry will be directly impacted by the imposition of duty on the PUC. The appliance industry is highly dependent on the import of the PUC supplied due to the poor quality of the PUC in the domestic market.
- c. In case of imposition of anti-dumping duty on the PUC, the cost of the appliance will increase significantly due to which the import of appliance will increase. Hence, it will negatively impact the appliance industry.
- d. The imposition of anti-dumping will be against the public interest and the interest of the user industry in India.
- e. The domestic producers of the subject goods do not have sufficient capacities to cater to the requirements of the users.

M.2. Submissions by the domestic industry

148. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the Indian industry’s interest:

- a. The imposition of duty shall not have any significant impact on the user industry. The impact of 10% duty on the industry would be in the range of ***% - ***% only.
- b. More than 70% of the capacities of the domestic producers are lying vacant. Despite significant demand in the country, most of the capacities of the domestic producers remain unutilized.
- c. None of the interested parties have quantified the impact of ADD on the end consumers. This is because the duties, if imposed, shall have minimal impact on end users.

M.3. Examination by the Authority

149. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measure would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
150. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. The Authority notes that the domestic industry has submitted evidences demonstrating that the effect of anti-dumping duty on the downstream product would be in the range of ***% to ***% in case of an imposition of 10% anti-dumping duty. The impact may be further reduced if the domestic industry is allowed to increase its capacity utilization and reduce its costs and corresponding selling prices. The existence of sufficient players in the market with substantial capacities also ensures that the conditions of fair competition would continue to prevail in the Indian market. It is, therefore, apparent that the interests of the downstream industry would not be affected in any manner so as to conclude that the imposition of anti-dumping duties would not serve the larger public interest.
151. The Authority notes that the fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help to maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
152. The domestic industry has submitted that entire domestic industry of the subject goods is operating as MSME. They have submitted that all the members of the association have MSME certificate. They have also provided the MSME certificate of two applicant producers.
153. As regards the submissions relating to the quality of the subject goods supplied by the domestic manufacturers, the Authority notes the submission of the domestic industry that the Indian producers have employed plant and machinery best in the industry to produce the subject goods. Thus, any apprehension raised regarding the quality of the product supplied by the domestic industry is unfounded. It is also noted that the user industry is using the domestic products interchangeably with those imported from China in a number of cases. The Authority further notes that the Indian producers of the subject goods are already BIS compliant while the majority exporters from China are yet to comply with the standard prescribed by the BIS standard. Therefore, the issues raised regarding the quality of the goods supplied by the domestic industry is not borne out from the facts available on record.
154. As regards the contention that with the coming into force of BIS standard on the subject goods, there might be a demand-supply gap or monopolistic situation in the country, the Authority notes that there are significant numbers of producers of the subject goods in India. The capacities available with the Indian producers of the subject goods exceeds the demand of the subject goods in the country. Thus, the apprehensions expressed regarding monopolistic situation in the country or the demand-supply gap does not hold any merit.

155. The Authority notes that the domestic industry themselves have the capacities to meet almost the entire Indian demand. Further, the capacity utilization of the domestic industry has been low in the POI. The Indian industry has the potential to cater to a higher share of the Indian market. However, due to the dumped import of the product under consideration, the Indian industry is faced with unutilized capacity and has much smaller share in domestic market than what otherwise would have been. The capacities available with the Indian producers shall ensure that there is no shortage of the product even if the anti-dumping duties are imposed.
156. In view of the aforesaid, the Authority is of the considered view that the imposition of anti-dumping duties would serve the larger public interest by protecting the domestic producers, all of whom are in the MSME sector, from unfair competition by way of injurious dumped imports from China.

N. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

157. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- a) The product under consideration has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping.
 - b) The dumping margin is not only above *de-minimus* level but also significant.
 - c) The imports from the subject country have increased in absolute as well as relative terms throughout the injury investigation period.
 - d) The price undercutting has been positive throughout the injury investigation period.
 - e) The imports from subject country are at prices even below the cost of sales. The imports are also causing price depression effect on the domestic prices.
 - f) The domestic industry is running into losses throughout the injury investigation period.
 - g) Even the profit before interest and tax (PBIT) and return on capital employed (ROCE) are negative during the investigation period. The cash profits of the domestic industry have also been negative.
 - h) The domestic industry has accordingly suffered material injury. The injury caused to the domestic industry is not on account of any other known factor.
 - i) The landed value of imports of the subject goods from subject country is much below the non-injurious price of the domestic industry indicating significant injury margin/price underselling.
 - j) The information on record shows that the imposition of the anti-dumping duty will have minimal impact the consumers or the downstream industry.
 - k) The imposition of the anti-dumping duty thus will not be against the public interest.
158. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty is required to offset the dumping and consequent injury. The Authority considers it necessary to recommend imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
159. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of antidumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject country, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below, for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government. The landed value of the imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of the customs duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A. of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

| Sl. No. | Heading | Description | Country of origin | Country of export | Producer | Amount of duty | Unit | Currency |
|---------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|----------------|------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | 70071900, 70072100, 70072900, 70074900, | Toughened glass for home appliances* | China PR | Any country including China PR | Foshan Shunde Dehong Glass Industry Co., Ltd | NIL | MT | USD |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|---------------------------------|--------------------------------|--|-------|----|-----|
| | 70079900, 70134900, 70139900, 70199090, 70200019, 70200029, 70200090 | | | | | | | |
| 2 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Zhongshan Huangpu Jinfulai Glass Craft Factory | NIL | MT | USD |
| 3 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Chuzhou Xinjiang Glass Appliances Co. Ltd. | 144.3 | MT | USD |
| 4 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Foshan Shunde Gaohua Glass Technology Co., Ltd. | NIL | MT | USD |
| 5 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Zhangjiagang Weiyu Glassware Co., Ltd. | 41.8 | MT | USD |
| 6 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | SCHOTT Glass Technologies (Suzhou) Co., Ltd. | NIL | MT | USD |
| 7 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Benxi Chengxin Chengxin Electrical Co., Ltd. | 135.3 | MT | USD |
| 8 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Lianyungang Chengxin Glass Products Co., Ltd | 135.3 | MT | USD |
| 9 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co., Ltd | NIL | MT | USD |
| 10 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Jiangyin Suifeng Glass Co., Ltd | NIL | MT | USD |
| 11 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Zhongshan Meiyi Appliance Co. Ltd | NIL | MT | USD |
| 12 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Any other producer excluding producers mentioned in Sl. No. (1) to (11) above. | 243 | MT | USD |
| 13 | -do- | -do- | Any country other than China PR | China PR | Any | 243 | MT | USD |

* "Toughened glass for home appliances having thickness between 1.8 MM to 8 MM and area of 0.4 SqM or less" excluding:

- a) Toughened glass used in glass lids of utensils
- b) Toughened glass used in electronic switch and switch board panels
- c) Curved coloured glass for washing machines
- d) Toughened glass used in Double Glazed Unit (DGU)
- e) Dome shaped toughened glass
- f) Grooved Toughened glass

O. FURTHER PROCEDURE

160. An appeal against the recommendation of the Designated Authority in this final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority